पंचम माला, खंड 25, अंक 23 — गुरुवार, 22 मार्च, 1973/1 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV, No. 23 — Thursday, March 22, 1973/Chaitra 1, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 23—गुरुवार 22 मार्च, 1973/1 चैत्र, 1895 (शक)

No. 23—*Thursday March* 22, 1973/*Chaitra* 1, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
421.	अत्यावश्यक सेवाएं बनाए रखने और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना की सहायता लेना	Army called for Maintenance of Essential Services and for controlling law and order situation	1—3
422.	युद्ध के दौरान बंगला देश में बन्दी बनाए गए भारतीय नागरिक	Indian Citizens Arrested in Bangla desh during war . .	4—5
423.	भारतीय खान संघ और भारतीय खान फेडरेशन के कर्मचारियों को काम पर लगाना	Absorption of Employees of Indian Mining Association and Indian Mining Federation .	5—7
425.	कृषि श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन एक्ट) के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव	Proposal for bringing Agricultural Workers under Workmen's Compensation Act . .	7—9
426.	विदेशों में भारतीय मिशनों को 'ब्लैक दिसम्बर' आन्दोलन द्वारा धमकी	Threat to Indian Missions Abroad by Black December Movement	9—10
427.	संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा वार्ता के लिए बुलाया जाना	Representative of India and Pakistan in U. N. Invited for talks by U. N. Secretary General	10—12
429.	चाय बागान के मालिकों द्वारा मजदूरों के लिए मकान बनाने पर व्यय की गई धन राशि	Amount Spent by owners of Tea Plantation for Building Houses for workers . . .	13—15
432.	भारतीय शिबिरों से पाकिस्तानी युद्धबंदियों का भाग निकलना	Escape by Pak P. O. W. s from Camps	16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
424.	पंचवर्षीय रक्षा योजना में सेना के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Army Personnel in Five Year Defence Plan	17
428.	हिंदुस्तान मोटर्स यूनिट, कलकत्ता का पुनः खोला जाना	Reopening of Hindustan Motors Unit, Calcutta . . .	17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य न वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—4 LSS (ND)/73

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
430.	भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य संबंधी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	Cultural Delegations on Indian Classical Music and Dance .	18—19
431.	आई० एन० एस० विक्रान्त के वर्तमान विमानों को बदलना	Replacement of Aircraft of I.N.S. Vikrant	20
433.	"एक्सपैन्डिग एक्सपैन्शनस्" शीर्षक के समाचार	News Report 'Expanding Expansions'	20
434.	नये श्रमिक विधान	New Labour Laws . .	20—21
435.	श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित शिक्षा कार्यक्रम	Need based Education Programme for labour . .	21
436.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बन जाने के बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को बंद करना	Winding up of Hindustan Steel Limited on formation of S. A. I. L.	21
437.	सैनिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढाना	Raising Retirement Age of Military Personnel . . .	21—22
438.	युद्ध पोतों के लिए पृथक नौसैनिक यार्ड का निर्माण	Building of separate Naval Yard for warships . . .	22
439.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तगत बीमारी लाभों संबंधी अदायगियां न करने के बारे में शिकायतें	Complaint regarding non-Disbursement of Sickness Benefits under E. S. I. Scheme . .	22
440.	सीमान्त क्षेत्रों से विस्थापित किए गए व्यक्तियों को मुआवजा	Compensation to uprooted Persons of Border Areas .	22—23
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4156.	काम करते समय मजदूरों के बच्चों के लिए मकानों की व्यवस्था	Provision of shelters for children of labourers while at work .	23
4157.	डी० डी० ए० में इस्पात की कमी	Shortage of steel in D.D.A. .	23—24
4158.	इस्पात की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to meet increasing demand for steel . . .	24—25
4159.	बिजली की कमी के कारण भारी उद्योगों में उत्पादन में कमी	Loss of productions in Heavy Industries due to Power Shortage	25
4160.	वायुसेना के जामनगर स्टेशन के लडाकू विमान का सामान्य उडान के दौरान जल जाना	I. A. F. fighter plane of Jamnagar station burnt during normal flight	25
4161.	गोरखपुर में श्रमिक डिपो का बन्द हो जाना	Closure of Labour Depot at Gorakhpur	26
4162.	इस्पात उद्योगों के लिए आरक्षित चूने के पत्थर क्षेत्रों का मुक्त किया जाना	Releasing of limestone areas reserved for Steel industries .	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4163.	गणतंत्र दिवस 1973 की परेड में शामिल होने वाले दिल्ली के स्कूलों के छात्रों को दिये अल्पाहार के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against refreshments served to students of Delhi schools participating in Republic Day Parade, 1973	26—27
4164.	वर्ष 1971–72 में आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय दूतावास पर हुआ व्यय	Expenditure on Indian Embassy in Australia during 1971-72	27
4165.	1971 के युद्ध में मरने वालों के परिवारों को पाकिस्तान द्वारा मुआवजा	Compensation by Pakistan to families of those killed in war of 1971	27
4166.	"इंडिया विल बर्न हर फिंगर्स इन बंगला" संबंधी राष्ट्रपति भुट्टो का वक्तव्य	President Bhutto's Statement 'India will burn her fingers in Bangla'	27—28
4168.	एगारिन्ड फैबरीकेशन्स का गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में विलय	Merger of Agrind Fabrications to Garden Reach Workshop, Calcutta	28
4169.	जापानी सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Steel Plant with Japanese Collaboration	28—29
4171.	त्रिपुरा में भू-स्वामियों को दिया गया मुआवजा	Compensation given to land owners of Tripura	29
4172.	चीफ कैंटीन्ज आफिसर द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद गोल्डन तम्बाकू कंपनी में नौकरी करना	Joining the Golden Tobacco Company by Chief Canteens Officers after retirement	29—30
4173.	खेतडी तांबा परियोजना में प्रयोगात्मक खनन	Experimental Mining Project at Khetri	30
4174.	खेतरी उद्योग समूह में उत्पादन के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट	Report of Expert Committee on Production in Khetri Complex	30—31
4175.	इंडियन कापर कोरपोरेशन के लागत प्राक्कलन तथा खनन समय सूचियां	Cost estimates and schedules at mines of Indian Copper Corporations	31
4177.	मुद्राओं के पुनर्मूल्यन और अवमूल्यन से होने वाली कठिनाइयों के बारे में दूतावास कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation from Embassy Employees about difficulties created by Revaluation and Devaluation	31—32
4178.	इंजीनियरिंग प्राजेक्टस् इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी	Staff in the Engineering Projects India Limited	32—33
4179.	बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा कारों का उत्पादन	Production of cars by Unemployed Engineers	33
4180.	देश में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र सेना की सहायता	Armed Forces Assistance for maintaining law and order in country	33—35
4181.	बहादुर शाह के अवशेष	Remains of Bahadur Sah	35—36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4182.	सेना के सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी जिन्होंने गैर सरकारी व्यापार गृहों या सरकारी उपक्रमों में नौकरी कर ली है	Retired High officials of Army who joined Private Houses or Public Undertakings . .	36
4183.	श्रीमती भुट्टो द्वारा चीन की यात्रा के दौरान किया गया भारत विरोधी प्रचार	Propaganda against India by Mrs. Bhutto on Her visit to China ..	36
4184.	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा इसके बाद कोयले का उत्पादन तथा मूल्य	Production and Prices of Coal before and after Nationalization	37
4185.	आयुध कारखानों के लिए आयात की गई मोटरगाडियों और कल पुर्जों का उपयोग न करना	Non-utilization of Vehicles and spare parts imported for Ordnance Factories	37—38
4186.	तामिलनाडु में खनिज के विकास के लिए धन का नियतन	Allotment of money for development of Minerals in Tamil Nadu	38
4187.	युद्धों में शहीद होने वाले उत्तराखण्ड के सैनिकों के आश्रितों को भूमि का आबंटन	Allotment of land to Dependents of soldiers of Uttarakhand killed during wars . .	38—39
4188.	सोवियत संघ द्वारा भारत को मिग 23 विमानों की सप्लाई	Supply of MIG-23 to India by U. S. S. R.	39
4189.	सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्षों की सेवाएं	Services of retired/retiring Chiefs of Armed Forces . . .	39—40
4190.	खेतडी परियोजना से तांबे का विपणन	Marketing of copper from Khetri Project	40
4192.	घाना में 'लायलटी' समूह की भारतीयों की कम्पनियों को वहां की सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of Indian owned loyalty Group of Companies in Ghana by that Government	40—41
4193.	कोयला खान श्रमिकों के लिए बचत और ऋण समितियां	Thrift and Credit Societies for Coal Mine workers . .	41
4194.	खानों में तौल मशीन लगाने के कारण खान श्रमिकों को हानि	Loss to Mine workers due to installation of Weighing Machines in Mines. . .	41
4195.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में नियुक्त मैसूर के व्यक्ति	Mysoreans Employed in Bharat Electronics Ltd. . .	41—42
4196.	मैसूर सरकार द्वारा चित्रदुर्ग कापर कंपनी में भाग लेना	Participation by Mysore Government in Chitradurga Copper Company	42
4197.	चीन भारत संबंधों में सुधार	Improvement in Sino-Indian Relations	42
4198.	कारों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Cars .	43
4199.	वाहनों के निर्माण के लिए आटोमोबाईल प्रोडक्टस् आफ इंडिया को औद्योगिक लाइसेंस देना	Industrial licence given to Automobile Products of India for Manufacturing Vehicles	43

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4200.	साइकिल रिक्शा चालकों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर रिक्शा का आवंटन	Allotment of Scooter Rikshaws to Cycle Rikshaws Drivers on priority Basis . . .	43—44
4201.	प्रधान मंत्री को विदेश यात्रा का निमंत्रण	Invitations to Prime Minister for visits abroad . . .	44
4202.	देश में निर्मित टैक्टरों की मांग में कमी	Shortfall in Demand for indigenously Manufactured Tractors	44
4203.	मारुति लिमिटेड द्वारा कारों का निर्माण	Production of Cars by Maruti Limited	45
4204.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में निर्मित बिजली पैदा करने वाले एककों में आयातित सामग्री का प्रयोग होना	Import Content in Power Generating Units Manufactured in H. E. L. and B. H. E. L.	45
4205.	ट्रैक्टरों का आयात, उसका देश में निर्माण तथा मांग	Import, Indigenous Production and Demand of Tractors .	45
4206.	विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चयन	Selections through Departmental Promotion Committees .	46
4207.	लेटेराइट पर अधिकार शुल्क निर्धारण करने का प्रस्ताव	Proposal for Fixing Royalty on Laterite	46
4208.	राज्यों में खनिज का उपयोग	Utilization of Minerals in States	46
4209.	'विक्टोरिया क्रॉस' विजेताओं की सूची	List of Victoria Cross winners .	46—47
4210.	भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड	Indian Soldiers, Sailors and Air men's Boards . .	47—50
4211.	राज्यों में प्रादेशिक सेना के लिए परामर्शदात्री समितियों का गठन और उनके सदस्यों के नाम	Constitution and composition of Advisory Committees for Territorial Army in States	50—51
4212.	बंगाल चबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाना	Covering of Employees of Bengal Chamber of Commerce and Industry under E. P. F. Act, 1952	51
4213.	अमृतसर छावणी में रक्षा इमारतें बनाने में ठेकेदारों द्वारा प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री की किस्म	Quality of Material used by contractors for Defence Buildings at Amritsar Cantt. .	51
4214.	कृषि श्रमिकों को मजूरी अधिनियम की अदायगी का लाभ देने का प्रस्ताव	Proposal for Extension of Benefits of Payment of Wages Act to Agricultural workers .	51—52
4215.	युद्ध बंदियों को स्वदेश भेजने की शर्त पर बंगला देश को मान्यता देने के संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो का कथित वक्तव्य	Reported Statement of Pak President Regarding Recognition of Bangladesh conditioned to Repatriation of P. O. Ws. .	52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4216.	दण्डकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सुविधाएं	Facilities to work-charged Staff of Dandakaranya Project	52
4217.	दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को परिवहन सुविधाएं	Transport facilities to Employees of Dandakaranya Project .	53
4218.	विदशों में इस्पात संयंत्र स्थापित करना	Setting up of Steel Projects Abroad	53
4219.	भारत और नेपाल के बीच शान्ति समझौते को पुनः लागू करना	Revival of Peace Treaty between India and Nepal . . .	53—54
4220.	10,000 बंगालियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव	Pak proposal for Release of 10,000 Bengalies . . .	54
4221.	राजस्थान के युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास और उन्हें दी गई सहायता	Rehabilitation and Assistance given to War-widows of Rajasthan	54—55
4222.	पश्चिम जर्मनी की तुलना में भारत में स्टेनलेस स्टील के मूल्य	Prices of Stainless Steel in India as compared with those in West Germany . . .	55
4223.	सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति के बाद उनके पुनर्वास के लिए एक निगम की स्थापना करना	Setting up a Corporation for Rehabilitation after Retirement of Armed Forces Personnel .	55
4224.	ईरान द्वारा अमरीका से सैनिक साज सामान की खरीद	Purchase of Military Hardwares by Iran from U. S. A. .	55—56
4225.	भारत द्वारा हिन्द महासागर बेडा बनाए जाने का सुझाव	Suggestion for creation of Indian Ocean Fleet by India .	56
4226.	समूचे कोयला खान उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाना	Bringing of entire Coal Mining Industry under Public Sector	56
4227.	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के लिए सलाहकार बोर्ड	Advisory Board for Nationalised Coal Mines . . .	57
4228.	भारत अर्थ मूवर्ज द्वारा खनन मशीनों को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौपना	Handing over of Mining Machines to National Mineral Development by Bharat Earth Movers	57—58
4229.	भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि	Increase in Pension of Ex-Servicemen	58
4230.	हरियाणा में ढलवा लोहे के संयंत्र की स्थापना करना	Setting up of a Pig Iron Plant in Haryana . . .	58
4231.	अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाना	Pak found guilty by I. C. R. C.	59
4232.	विभिन्न कार्यालयों में अनुसन्धान एककों की स्थापना करना	Establishment of Research Units in various offices . . .	59
4233.	श्रीलंका में भारत मूलक चाय बगान श्रमिकों का शोषण	Exploitation of Plantation Workers of Indian Origin in Sri Lanka	60

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4234.	भारत पाक युद्ध से प्रभावित हुए पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर किया गया व्यय	Expenditure on Border Areas of Punjab affected by Indo-Pak war	60
4235.	सरकार की विभागीय संस्थाओं को पुनरीक्षित दरों पर बोनस का दिया जाना	Revised Bonus to Depatmental Organisations of Government	61
4236.	कारखानों में एक सप्ताह के दौरान 7 कार्य दिवस सम्बन्धी योजना	Scheme regarding 7 Working days in Factories during a week	61
4237.	मैंगनीज अयस्क उद्योग संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestions made by Expert Committee on Manganese Ore Industry	61
4238.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के मुख्यालयों को बिहार से बाहर ले जाना	Shifting of Headquarters of N. C. D. C. and Hindustan Steel Company from Bihar .	62
4239.	लन्दन स्थित भारतीय मिशन पर हमले के सम्बन्ध में जांच	Investigations into Attack on Indian Mission in London .	62
4240.	मझगांव डॉक का विस्तार	Expansion of Mazagaon Dock.	62
4241.	अमरीका स्थित भारतीय मिशन में बम का भय	Bomb Scare in India's Mission in U.S.	63
4242.	इस्पात का उत्पादन बढाने की योजना	Scheme for increasing Production of steel . . .	63
4243.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन	Production at H. E. C. Ranchi	63
4244.	नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल को विशाखापटनम से चिल्का कोस्ट ले जाना	Shiftup of Naval training school from Visakhapatnam to Chilka Coast	64
4245.	दण्डकारण्य परियोजना के निर्माण विभाग को सुविधाएं	Amenities to Construction Department of Dandakaranya Project	64
4246.	पांच वर्ष की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees with Five Years Service	64
4247.	बाक्साइट वाले क्षेत्रों को अल्यूमिनियम बनाने के लिए आरक्षित करना	Reservation of Bauxite Bearing Areas for Aluminium making	64
4248.	युद्धों में शहीद हुए गढवाली सैनिकों को आर्थिक सहायता	Help to Dependents of Garhwali Soldiers killed in wars. .	65
4249.	युद्ध के दौरान शहीद हुए गढवाली सैनिक	Garhwali Soldiers killed during War	65
4250.	रक्षा विभाग द्वारा चमोली और गढवाल जिलों में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of land in Chamboli and Garhwal Districts by Defence Department. . .	65

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4251.	विदेशों में उपलब्ध किये गये प्रचार साहित्य पर हुआ व्यय	Expenditure on Publicity Literature circulated Abroad .	65—66
4252.	रक्षा सप्लाई विभाग के लिए उपकरणों का आयात	Imports of Equipment for Department of Defence Supply	66
4253.	राजस्थान में न्यूनतम मजूरी अधिनियम का लागू किया जाना	Enforcement of Minimum Wages Act in Rajasthan .	66
4254.	राजस्थान में उद्योगों द्वारा उपदान अधिनियम का लागू न किया जाना	Non-Implementation of Gratuity Act by Industries in Rajasthan	66
4255.	इस्पात संयत्रों में पूंजी निवेश तथा उत्पादन	Investment in Steel Plant and Production	67
4256.	गुट निरपेक्ष शक्ति संगठन की स्थापना	Formation of non-aligned Powers' Organisation .	67
4257.	एशियाई-अफ्रीकी विधि परामर्शदात्री समिति	Asian-African Legal Consultative Committee . . .	67—68
4258.	पाकिस्थान के साथ मिल कर कुछ देशों द्वारा युद्ध बन्दियों की मुक्ति के लिए भारत विरोधी प्रचार	Propaganda against India for release of P. O. Ws. by some Foreign Countries together with Pakistan . . .	68
4259.	कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण और तत्पश्चात उनका उत्पादन	Nationalisation of Coal Mines and Production thereafter .	68—69
4260.	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त वर्तमान प्रबन्धकों की सेवाओं का उपयोग	Services of existing managements used after Nationalisation of Coal Mines . . .	69
4261.	राजस्तान में जिप्सम का भण्डार मिलना	Discovery of Gypsum deposits in Rajasthan . . .	69
4262.	सेना द्वारा रीवा जिले में कृषि भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of agricultural land by army in Rewa District .	69—70
4263.	रिजर्व सैनिकों को अदायगी	Payment to Reservists . .	70
4264.	भारत पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की युवा विधवाओं से विवाह करने वाले युवको को प्रोत्साहन और सुविधाएं	Facilities and incenties to youths for marrying young widows of soldiers killed during Indo-Pak war	70
4265.	कोयला खान श्रमिकों के वेतन बढाना	Revising of salaries of Coal mine workers	70—71
4266.	कोयला खान में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से ज्ञापन	Memorandum from labourers working in Coal mines . .	71
4267.	भारत पाक युद्ध के सैनिक अधिकारियों को सम्मानित किया जाना	Decoration of officers in Indo-Pak War	71
4269.	असंगठित श्रमिकों को संगठित करना	Organising of unorganised labour	71

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4270.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हीरों के प्रति चयन पर किया गया व्यय	Expenditure on sampling of diamonds by N. M. D. C.	72
4271.	पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को राजस्थान में भूमि का आबंटन	Allotment of land to refugees from West Pakistan in Rajasthan.	72
4272.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य	Targets of annual production of N.C.D C.	72
4273.	गढवाल और कुमाऊ क्षेत्रों में तांबे और सीस के भंडारों के खनन हेतु सर्वेक्षण	Survey for copper and lead deposits in Garhwal and Kumaon regions	72—73
4274.	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मलेशिया में बैठक	Meeting of Foreign Ministers of "A. S. E. A. N." in Malaysia	73
4275.	अन्तर्राष्ट्रीय नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन	International Disarmament Conference	73—74
4276.	युद्ध बंदियों के लिए व्यक्तिगत रूप में भेजे गये पार्सलों पर तटकर लगाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का विरोध	Pak Protest against Customs Duty on Private Gift Parcels for P.O.Ws.	74
4277.	युद्ध पीडितों के पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता	U. N. D. P. assistance for Rehabilitation of War Victims	74
4279.	रोजगार के लिए रजिस्टर्ड भूतपूर्व सैनिक	Jobs to registered Ex-Servicemen	74—75
4280.	औद्योगिक शान्ति के लिए अपेक्षित बातें	Ingredients for bringing about Industrial	75
4281.	बम्बई औद्योगिक संबंध (गुजरात संशोधन) विधयक	Bombay Industrial Relations (Gujarat Amendment) Bill	75
4282.	कोयला खान मजदूरों को बोनस	Bonus for Coal Mine Labourers	75
4283.	ड्राइसेल उद्योग के लिए मैंगनीज डाई ओक्साइड का उत्पादन	Production of Manganese Dioxide for Dry Cell Industry	76—77
4284.	संगठित उद्योगों में रोजगार पर कम्पूटरों का प्रभाव	Effect of Computers on Employment in Organised Industries	77
4285.	रक्षा निरीक्षण संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बारी बारी से एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करना	Rotation of officers and staff of Defence Inspection Organisation	77
4286.	वर्ष 1972 में औद्योगिक अशांति	Industrial Unrest in 1972	78
4287.	कोयला खानों में उत्पादन बढाने की योजना	Scheme for increasing production at Coal Mines	78

1(a)—4 LSS (ND)/73

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4289.	गैर कोकिंग कोयला ख़ानों के स्वामियों को दिया जाने वाला मुआवजा	Compensation Payable to owners of Nationalised Non-coking Coal Mines . . .	78—79
4290.	लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा हमला	Pak Citizens' attack on Indian High Commission at London	79
4291.	वेतन तथा लेखन कार्यालय कलकत्ता के मान्यता प्राप्त संघ को कारण बताओ नोटिस देना	Show cause notice to recognised Union of Pay and Account office, Calcutta . . .	79
4292.	राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें	Recommendations by National Commission on Labour .	80
4293.	सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे में धिमी प्रगति	Slow progress regarding participation of representatives of workers on Board of Directors of Public Sector Industrial Undertakings . . .	80
4294.	मध्य प्रदेश में बेरोजगारी	Unemployment in Madhya Pradesh	80—81
4295.	मध्य प्रदेश में टिन प्लेटों को बनाने वाली फर्मों को लाइसेंस जारी करना	Licences issued to Firms manufacturing Tin in Madhya Pradesh	81
4296.	मध्य प्रदेश के महाकोशल क्षेत्र की खानों में उत्पादन	Production at Mines in Mahakoshal areas of Madhya Pradesh	81
4297.	महिलाओं को रोजगार	Employment of women . . .	82
4298.	केरल हथकरघा मजदूर संघों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Handloom Workers Trade Unions, Kerala	82
4299.	सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में अधिकतम उत्पादन के लिए प्रयत्न	Steps for Optimum Production in Public and Private Sector Units	83
4300.	उडीसा में निकल, सीसा और लोह अयस्क के भंडारों के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	Preparation of Project Reports for Nickel, Lead and Iron Ore Deposits in Orissa . .	83—84
4301.	भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध दूर करने के लिए पहल किया जाना	Initiative to break deadlock between India and Pakistan .	84
4302.	जापान के प्रधान मंत्री का शिमला समझौते के माध्यम से भारत पाकिस्तान मतभेद को दूर करने की अपील	Japanese Prime Minister's statement regarding Resolving Indo-Pak differences through Simla Agreement . .	84
4303.	**बंगला देश युद्ध के दौरान चीन द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन**	**Indian Space Violation Committed by China during Bangladesh War . . . .**	**84—85**

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4304.	युद्ध के दौरान पाकिस्तान से भारत को आए हिन्दू परिवारों की पाकिस्तान को वापसी	Return of Hindu families to Pakistan who crossed over to India during war	85
4305.	भारत और पाकिस्तान में युद्ध बन्दियों के परिवार	P. O. Ws. families in India and Pakistan	85
4306.	गैर-सरकारी कोयला खानों के मालिकों की ओर बकाया भविष्य नीधि	Arrears of P. F. from owners of Private Coal Mines	85—86
4307.	कम्बोडिया में शांति स्थापित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission for Restoring Peace in Cambodia	86
4308.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संस्थानों का बंद होना	Closure of Industrial Establishments in West Bengal	86
4309.	गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के समय मशीनों की स्थिति	Condition of Machinery at time of Nationalisation of Non-Coking Coal Mines	86—87
4310.	हिन्दुस्तान ऐरानाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में बनाए जाने वाले एक विमान की निर्माण लागत	Production cost of an Aircraft Manufactured at H. A. L. Bangalore	87
4311.	सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किये गए सैनिक अधिकारी	Service officers on Deputation to Public Sector Undertakings	87—88
4312.	कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ	Social Security benefits to Agricultural Labourers	88
4313.	कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी	Minimum Wages for Agricultural Labour	89
4314.	विदेशों के साथ समझौते	Agreements with Foreign Countries	89
4315.	शिमला समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर मुठभेड़	Border clashes between India and Pakistan after Simla Agreement	89
4316.	रुरकेला इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक	Contract Labour in Rourkela Steel Plant	90
4317.	चान्दीपूर प्रूफ एण्ड ऐक्सपैरीमेंटल इंस्टालेशन से गोला बारुद प्रयोग कार्य का स्थानांतरण	Shifting of Ammunition Experiment work from Chandipur Proof and Experimental Installation	90
4198.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन्स रांची में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर	More Production and Employment opportunities at H.E.C. Ranchi	90—91
4319.	पाकिस्तान का हिन्दू परिवारों को भारत वापस भेजने का प्रस्ताव	Pak proposal to send back Hindu Families to India	91
4320.	दानपुर छावनी क्षेत्र की सडकों की मरम्मत	Repair of Roads of Danapur Cantonment Area	91

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4322.	पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिल्ली में कृषि भूमि का आबंटन	Allotment of Agricultural land in Delhi to Refugees from Pakistan	91—92
4323.	पश्चिम तिब्बत में चीन का विशाल रडार समूह	Massive Radar Complex of China in Western Tibet . .	92
4324.	सडकों के निर्माण कार्य में लगे हुए दैनिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Daily Workers engaged in Construction of Roads	93
4325.	रोजगार दफ्तरों द्वारा भेजे गए व्यक्तियों को रोजगार	Employment to persons recommended by Employment Exchanges	93
4326.	उडीसा में बाक्साइट निक्षेपों के लिए खोज	Investigations for Bauxite deposits in Orissa	93—94
4327.	शिमला समझौते की क्रियान्विति	Implementation of Simla Agreement	94

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . .	Calling Attention of Matter of Urgent Public Importance—	
दिल्ली में एक मिनी बस में कथित छेड-छाड और मारपीट के कारण एक नर्सिंग आफिसर की मृत्यु हो जाने और दूसरी के गम्भीर रूप से घायल हो जाने का समाचार .	Reported death of a nursing officer and serious injury to another due to alleged assault and molestation in a Mini Bus in Delhi . .	94
श्री सेझियान . . .	Shri Sezhiyan . .	94-95
श्री कृष्णचन्द्र पंत . . .	Shri K. C. Pant . .	95-96
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	Papers Laid on the Table .	99
प्राक्कलन समिति . . .	Estimates Committee . .	100
33 वां प्रतिवेदन . . .	Thirty-third Report . .	100
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नौवां प्रतिवेदन	Committee on Absence of Members from sittings of the House—Ninth Report .	100
गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad	100
श्री आर० के० खाडिलकर .	Shri R. K. Khadilkar .	100–102
अमेरीका से आयातित धतूरा मिले माइलो के बारे में	Re. Dhatura-mixed Milo imported from U.S.A. . .	102
चंडीगढ में प्रदर्शनकारियों की गिरफतारी के बारे में	Re. Arrest of Demonstrators at Chandigarh . .	103

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आन्ध्र प्रदेश बजेट, 1973-74—सामान्य चर्चा	Andhra Pradesh Budget, 1973-74—General Discussion	103
लेखानुदानों को मांगे, 1973-74 और अनुपूरक अनुदानों की मांगे, 1972-73	Demands for Grants on Account, 1973-74 and Supplementary Demands for Grants, 1972-73 .	103
श्री समर मुखर्जी . .	Shri Samar Mukherjee .	103-104
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P.V.G. Raju . . .	105
श्री भोगेन्द्र झा .	Shri Bhogendra Jha .	105-106
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी .	Shri K. Ramakrishna Reddy	106
श्री जी० विश्वनाथन .	Shri G. Viswanathan .	107-108
श्री पी० वेंकटासुबय्या	Shri P. Venkatasubbaiah .	108-109
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi .	110
श्री के० सुर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	110-112
श्री पीलू मोदी .	Shri Piloo Mody . .	112-113
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी .	Shri M. Ram Gopal Reddy	113
श्री एम० एस० संजीवीराव .	Shri M. S. Sanjeevi Rao .	113-114
प्रो० मधु दंडवते .	Prof. Madhu Dandawate	114
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishnaiah	115
श्री एम० सत्यनारायण राव .	Shri M. Satyanarayana Rao	116
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तमा	Shrimati T. Lakshmikanthamma . .	117
श्री के० नारायण राव .	Shri K. Narayana Rao .	117-118
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	118-123
आन्ध्र प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1973—पुरःस्थापित . .	Andhra Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973-Introduced . . .	123
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Consider Motion to Pass	123
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatsubhaiah .	124
श्री के० नारायण राव . .	Shri K. Narayana Rao .	124
श्री जी० विश्वनाथन .	Shri G. Viswanathan	124
श्री० के० आर० गणेश . .	Shri K. R. Ganesh . .	125-126

1(b)—4 LSS (ND)/73

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आन्ध्र प्रदेश विनियोग विधेयक 1973—पुरःस्थापित और पारित	Andhra Pradesh Appropriation Bill, 1973—Introduced and Passed.	125
चिथडा कांड के बारे में . .	Re. The Rags scandal . .	126
उडीसा के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में संविधिक संकल्प और उडीसा बजेट, 1973–74, सामान्य चर्चा, लेखानुदानों का मांग, 1973–74 और अनुदानों की अनुपूरक मांगे, 1972–73.	Statutory Resolution re. Approval of proclamation in relation to Orissa & Orissa Budget, 1973-74—General Discussion, Demands for Grants on Account, 1973-74 And Supplementary Demands for Grants. 1972-73.	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त . .	Shri K. C. Pant . . .	127–128
श्री पी० के० देव . .	Shri P. K. Deo . .	128–129
श्री दीनेन भट्टाचार्य . . .	Shri Dinen Bhattacharyya .	129–130
श्री जगन्नाथ राव . . .	Shri Jagannath Rao . .	130–131
श्री रुद्रप्रताप सिंह . . .	Shri Rudra Pratap Singh	131
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi . .	131–132

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, मार्च 22, 1973/1 चैत्र, 1895 (शक)

Thursday, March 22, 1973/Chaitra 1, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

The Lok Sabha met at one minute past Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अत्यावश्यक सेवाएं बनाए रखने और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर नियन्त्रण के लिए सेना की सहायता लेना

*421. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1972 में और जनवरी-फरवरी 1973 में कितने अवसरों पर और किन-किन स्थानों एवं राज्यों में अत्यावश्यक सेवाएं बनाए रखने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों को सहायता देने के विचार से सेना को बुलाया गया;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में सेना के कमान्ड अधिकारियों से अनुरोध करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली थी; और

(ग) क्या प्रादेशिक उद्देश्यों से चलने वाले राजनैतिक और हिंसात्मक आन्दोलनों पर नियन्त्रण पाने के लिए सशस्त्र सेनाओं को तैनात करने की प्रवृत्ति का किन्ही वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने हाल ही में विरोध किया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1972 पंचांग वर्ष के और जनवरी तथा फरवरी 1973 के महीनों के दौरान अनिवार्य सवाओं के अनुरक्षणार्थ सेना को 8 अवसरों पर बुलाया गया और कानून एवं व्यवस्था के लिए 17 अवसरों पर। इस संबंध में और अधिक ब्योरे संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखें गए। देखिए संख्या एल० टी०–4556/73]**

2—4 LSS (ND)/73

(ख) सरकारी स्थायी अनुदशों के अनुसार कानून एवं व्यवस्था रखने में राज्य सरकारों द्वारा सेना की सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, कुछ अनुदशों के अनुसार अनिवार्य सेवाओं के अनुरक्षण के लिए सेना केवल केन्द्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकती है।

(ग) सरकार का ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी वरिष्ठ सेना अफ़सर द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया गया है ।

प्रो० नारायण चंद पाराशर : जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, जब हम इस बात की सराहना कर रहे हैं कि विभिन्न अवसरों पर सेना ने अच्छा कार्य किया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन अवसरों पर हुए व्यय को कौन उठाता है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं समझता हूं कि राज्य सरकार यह खर्च उठाती है।

प्रो० नारायण चंद पाराशर : चूंकि, (ग) भाग का उत्तर "जी नही" है तो क्या मंत्री महोदय यह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि सेना के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा वक्तव्य नही दिया है क्योंकि यह प्रश्न जरा राजनीति की हद को पहुंचता है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रश्न की विस्तृत जांच की जायेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने इस प्रश्न की विस्तृत जांच की है । सभी तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही (ग) भाग का उत्तर दिया गया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथाकथित कानून और व्यवस्था कई कारणों से बढती हुई दिखाई देती है तो क्या सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिये, बजाय दूसरे कि वह इस कार्य के लिए सशस्त्र सेनाओं को लगाये, कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रही है ताकि इस बात को ध्यान में रखा जा सके कि ऐसे कार्यों के लिये बार बार सशस्त्र सेना को बुलाने से, जो उनके सामान्य कर्तव्यों से अलग कर्तव्य है, जो उनके हौसले के लिये अच्छा नहीं है और साथ ही सशस्त्र सेनाओं के कुछ व्यक्तियों के दिमाग में यह भी विचार उत्पन्न हो जाता है कि असैनिक अधिकारी सशस्त्र सेनाओं की सहायता के बिना कार्य ही नही कर सकते ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उससे मैं साधारणतया सहमत हूं। न तो हम और न ही राज्य सरकारें यह चाहते है कि जब तक आत्यावश्यक न हो कानन और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सेनाओं को बुलाया जाये। सामान्यतया असैनिक कानन और व्यवस्था का ही प्रयोग किया जाता है, तब यदि आवश्यक हो, तो वे अपनी सशस्त्र 'कांस्टीबुलैरी', सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को बुलाते है। जब कानून और व्यवस्था संभालने वाले असैनिक अधिकारियों के निर्णय में अत्यंत आवश्यक होता है तभी यह कार्यवाही की जाती है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब ऐसा किया जाता है तो वह अंतिम कार्यवाही के रूप में होता है, दैनिक अथवा अन्य प्रकार से नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं ने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार सेना की इस भावना के राजनैतिक परिणामों पर विचार कर रही है कि असैनिक प्राधिकरणों के अनरक्षण के लिये वे आवश्यक हो गए है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि मैंने कहा, हमारी अपनी भी यही धारणा है, अतः इस पर विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : एक बार जब आन्ध्र प्रदेश में लोकप्रिय सरकार थी तब भी सेना को बुलाना पडा था । अब कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो गई है । चूंकि वहां राष्ट्रपती का शासन है, वहां के लोगों में व्याप्त गलत धारणा को दूर करने के लिये क्या सरकार वहां से शीघ्रातिशीघ्र सेनाएं वापस बुलाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वहां सेना के यूनिटों को उनके सामान्य स्थानों पर रखा गया है। इस समय उन्हें वहां असैनिक कार्यों के लिये नही लगाया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : According to the Law the District Magistrate or Deputy Collector is entitled to requisition the services of the army if he thinks it proper to do so. Will the Government consider not to leave this matter to the Deputy Commissioner as to whether the Army should be called. This decision should be taken at the State level so that any possibility of misuse in this regard may not remain or if their development is possible to avoid, that could be avoided ?

Shri Vidya Charan Shukla : The hon. Member is right. Normally it happens that if such necessity arises, the decision is taken at the State level but sometimes when emergency arises locally, the senior-most officers Magistraties are entitled to seek such help. But generally they seek this help through proper channel and after that it is decided at the higher-level as to whether this should be done or not. Therefore, the District Magistrate or senior officer exercises this power in certain exceptional circumstances, when there is any accident, otherwise they themselves do not exercise this power.

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : क्या केन्द्रीय सरकार ने असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिये इस प्रकार से सशस्त्र सेनाओं को लगाने की जांच की है और उसमें कोई औचित्य मिला है या नहीं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस प्रकार की जांच करने का कोई प्रश्न इस लिये नहीं उठता क्योंकि इस बारे में निर्णय और कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य में असैनिक अधिकारियों का है । हम उनके निर्णय के औचित्य की जांच नहीं कर सकते।

Shri D. N. Tiwary : Will the Government evolve norms in order to ensure that army may be deployed only when such a situation arises and not in a state of terror by the State Governments ?

Mr. Speaker : The answer to this question has already been given in reply to the question of Mr. Vajpayee ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is always seen that no such situation arises and nothing happens in panic.

श्री एच० एम० पटेल : क्या ऐसे अवसरों पर राज्य सरकार खर्च उठाती है और यदि हां, तो क्या वह व्यय की मदों के बारे में बतायेंगे ? क्या इसका तात्पर्य सशस्त्र सेनाओं को बुलाने से जो लागत आती है उस सबसे है या खर्च की मदें कौन कौन सी है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस बारे में मेरे पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि आवर्ती खर्च अर्थात परिवहन, आनें जाने आदि का खर्च—राज्य सरकार द्वारा उठाया जायेगा। परन्तु वेतन, भत्ते आदि नियोक्ता अर्थात् केन्द्रीय सरकार द्वारा ही दिये जायेंगे ।

युद्ध के दौरान बंगला देश में बन्दी बनाये गये भारतीय नागरिक

*422. श्री अरबिन्द एम० पटेल† :
श्री बेकारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के युद्ध के दौरान बंगला देश में युद्ध-बन्दियों के साथ गिरफ्तार किये गये उन भारतीयों के नाम तथा संख्या क्या है जो अब भारतीय जेलों में हैं ;

(ख) क्या उनकी रिहाई के लिये भारत सरकार से सम्पर्क किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) : युद्धबन्दी कैम्पो में सुरक्षात्म कहिरासत में रखे गए कुछ सिविलियनों ने भारतीय नागरिक होने, का दावा किया है और उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Arvind M. Patel : While replying to my supplementary question, the Minister of Defence ruled out four-five days back that there were Indian citizens in the camp of civilian prisoners-of-war. But it is good that he is agreeing to-day. Is the Government thinking to release the Indian citizens arrested during disturbances after making investigation against them in case they had not done anything against that Government?

Shri Vidya Charan Shukla : Whatever was said by the Minister of Defence on an earlier occasion was correct. It is still not known whether the claims filed by the people are genuine or not. We have received such claims and when it is ascertained after enquiries of those claims that they are Indian citizens, only then their release or other action can be considered. First of all it is compulsory to confirm the claims filed recently. After their confirmation, other action can be taken.

डा० रानेन सेन : प्रश्न से ऐसा लगता है कि युद्धबन्दियों के साथ साथ भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। क्या सरकार को वास्तव में कोई ऐसी सूचना मिली थी कि उन दिनों बंगला देश में पाकिस्तानी सरकार का समर्थन करते हुए कोई भारतीय नागरिक पकड़ा गया और वे भारतीय नागरिक पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ पकड़े गये थ ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐसी बात नहीं है । जैसा कि माननीय सदस्य को याद होगा, कुछ असैनिकों ने—जो कई हजार थे, जब बंगला देश में आत्मसमर्पण किया गया था, तब भारतीय टुकड़ियों को सुरक्षात्मक हिरासत में लेने को कहा था । तब उनमें से कई लोग को सुरक्षात्मक हिरासत में लिया गया था। जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को पहले दिये गये उत्तर में बताया है उनमें से कुछ लोगों ने भारतीय नागरिक होने के दावे किये हैं और उनके मामलों की जांच हो रही है । जब हमने लोगों को सुरक्षात्मक हिरासत में लिया था तब किसी की ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी– उस समय या तो आत्म-समर्पण किया जाने वाला था या किया गया था—कि क्या वे पाकिस्तान के लिये काम कर रहे है या नहीं ।

Shri Shiv Nath Singh : How many such claims have been filed and how much time has elapsed since the date they were filed and what action has so far been taken ?

Shri Vidya Charan Shukla : Two claims have been filed so for and not much time has elapsed—perhaps a few weeks—but the acceptance and refusal of these claims will have to be scrutinized carefully.

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने कहा है कि ये लोग अभी भी हिरासत में है और उनकी जांच हो रही है। क्या ऐसे लोगों की जांच करने में इतना लम्बा समय लगन दिया जाना चाहिये, जिन्होंनें भारतीय नागरिक होने का दावा किया है? क्या किसी मामले को अंतिम रूप दिया गया है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अभी तक तो किसी भी मामले को अंतिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु जांच में तो थोडा समय लगेगा ही जैसा कि इसमें लगता है। हम इसे जल्दी ही करने की क़ोशिश कर रहे है। जब तक हम यह निश्चित नहीं कर लें कि य दावे सत्य है तब तक हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री पीलू मोदी : क्या यह काम दस वर्ष में कर लेंगे?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या उन एक हजार आदमियों में उर्दू भाषी बिहारी भी ह?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं?... **(व्यवधान)** आप अलग सूचना दे सकते है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उर्दू भाषी लोगों के नाम से बिहारी मुस्लिम भारत में प्रवेश करना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय : उर्दू भाषी लोगों का कोई प्रश्न नही है। यदि आप चाहते है तो अलग सूचना द सकते हैं।

भारतीय खान संघ और भारतीय खान फेडरेशन के कर्मचारियों को काम पर लगाना

*423. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-कोकिंग कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद भारतीय खान संघ और भारतीय खान फेडरेशन तथा खनिकों की संयुक्त कार्य समिति के कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : क्योंकि भारतीय खनन संगम भारतीय खनन परिसंघ और संयुक्त कार्यकरण समिति कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 में दी गई परिभाषा के अनुरूप वह कोयला खानें नहीं है जिनका उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंध ग्रहण किया गया है अतः इन संगठनों के कर्मचारियों के आमेलन का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर का आधार तकनीकी स्पष्टीकरण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये खानें कोककर खाने अथवा अकोककर खानें भारतीय खान संघ और भारतीय खान मण्डल जिनके मुख्य कार्यालय कलकत्ता में थे जब तक निजी क्षेत्र में भी क्या सार्वजनिक क्षेत्र में जिन्हें अब भारत कोकिंग कोल और कोयला खान प्राधिकरण कहा जाता है, के ही अंग नही थीं? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि खान मालिकों की इन दो केन्द्रीय संगठनों के मुख्य कार्यालयों के कर्मचारियों को भारत कोकिंग कोल और कोयला खान प्राधिकरण में खपाने पर भी क्या विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पहले निजी क्षेत्र में जिसे अब हस्तगत कर लिया गया है केन्द्रीय संगठन थे।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं भारत कोकिंग कोल और कोयला खान प्राधिकरण की सादृश्यता खान मालिक संघ से करने के माननीय सदस्य के

मन्तव्य से सहमत नहीं हूं । ये संस्थायें केवल कोयला खान मालिकों की गतिविधियों का समन्वय करती थी जबकि अब ये संगठन सीधे खानों का कार्य चलाएंगी और अन्ततः राष्ट्रीयकरण के बाद वे उनकी मालिक स्थापित हो जायेंगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि सादृश्यता करने की यह बात सही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सादृश्यता का प्रश्न नहीं है। यहां काम करने वाले कर्मचारी समन्वय की बाट देख रहे हैं। सालों-साल काम करने पर इन कोयला खानों के सम्बन्ध में उन्होंनें दक्षता प्राप्त कर ली है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत कोकिंग कोल और कोयला खान प्राधिकरण ने नए संगठनों के लिए कर्मचारी भरती करने के लिए क्या कोई चयन समितियां नियुक्त की है और यदि हां तो क्या चयन समितियों को इन दोनों संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रार्थनापत्रों पर भी विचार करने को कहा जायेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर निजी कोयला खान उद्योग के कार्यालयों में कार्यालय कार्य करने वाले 500 फालतू कर्मचारियों को कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कलकत्ता में अपना कार्य चलाने के लिए काम पर लगाया जायेगा। यह हमारा इस समय का अनुमान है तथा कर्मचारियों का अन्य जगहों पर, जहां उन्हें उचित काम दिया जा सकता है, स्थानान्तरण करके हम इसे और युक्तिसंगत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर यह बहुत ही सीमित रूप में सम्भव है।

भारतीय खान संघ और भारतीय खान मण्डल क कर्मचारियों की रोजगार देने के बारे में कठिनाई यह है कि यदि हम इनके कर्मचारियों को भी स्वीकार कर लेते है तो वे पहले से फालतू 500 कर्मचारियों के अतिरिक्त होंगे । और फिर खान मालिक संघ, मध्य प्रदेश—विदर्भ खान संघ, सॉफ्ट कोक वितरक संघ के कर्मचारी इस आधार पर कि हम भी कोयला उद्योग का राष्ट्रीकरण होने पर उसके एक अविभाज्य अंग है सम्भवतः रोजगार दिए जाने की मांग करें और फिर एक समय वह भी आ सकता है जब कोयला व्यापारी और दलाल तथा उनके कर्मचारी भी अपने रोजगार के लिए जोर डालें। ये सब कठिनाइयां हमारे सामने है । ये सभी संस्थाएं तथा उनके कार्य करने वाले इस समय बडे सक्रिय है और ये लोग अधिनियम के अन्तर्गत अपने अपने दावों के सम्बन्ध में बेखबर नहीं रहेंगे तथा राष्ट्रीयकरण के बाद से मिलने वाले प्रत्यक संभव दावों को पाने के लिए वे प्रयत्न करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या अकोककर कोयले की खानों के राष्ट्रीकरण के बाद अब तक बडी संख्या में क्लर्क आदि सेवा में लिए जान के इन्तजार में है ? चतुर्थ श्रेणी, तथा टलीफोन आपरेटर्स, साधारण क्लर्क आदि अन्य श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें अभी खपाया जाना है, वे मंत्रालय को दिल्ली में और उसके कलकत्ता स्थित कार्यालय में अभ्यावेदन भेजे है, क्योंकि वे काफी समय से बेरोजगार है । इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर स्थित विभिन्न खान मालिकों के मुख्य कार्यालयों में काम करनेवाले क्लर्कों और गैर क्लर्कों को रोजगार देने के प्रश्न पर सरकार को अभ्यावेदन दिए गये है। एक कोयला खान छानबीन समिति गठित की गई जो इस बात को सुनिश्चित करगी कि कौन कौन कर्मचारी वास्तव में इन कार्यालयों में कार्य कर रहे थे । इस छानबीन में हम मजदूर संघों की सहायता भी ले रहे है। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि यह एक कठिन समस्या है और हम इसका फैसला न्यायपर्ण और उचित ढंग से करने का प्रयत्न कर रहे है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन दो केन्द्रीय संगठनों के कर्मचारियों की छानबीन की क्या आवश्यकता है। वे किसी कोयला खान कम्पनी के मुख्य कार्यालय में नहीं है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक दो केन्द्रीय संगठनों का सम्बन्ध है, छानबीन का प्रश्न नहीं उठेगा। अभी हमने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है उन्हें नए संगठन में रोजगार पाने का अधिकार है। इसमें बहुत सी बाते गुथी हुई है और जब तक गहराई और विस्तार से मामले की जांच नहीं कर ली जाती तब तक किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना असम्भव है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय ने टेलीफोन आपरेटरों और धावनों आदि को न खपाने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किए है? यदि हों, तो इसके क्या कारण है?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इस प्रकार के कोई अनुदेश मैंने जारी नहीं किये है।

कृषि श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन एक्ट) के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

*425. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : ट्रैक्टरों या स्टीम या अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत द्वारा चलाये जाने वाले अन्य यंत्रों से की जाने वाली खेतीबाड़ी में नियोजित श्रमिक पहले ही कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत आते हैं। अन्य कृषि श्रमिकों को शामिल करने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री एम० कतामुत्तु : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से मैंने अनुमान लगाया है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम केवल पूर्ण यंत्रीकृत फार्मों पर लागू होता है। यदि ऐसा है तो हमारे देश में कितने फार्म कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं और उनमें से कितने कितने फार्म राज्यों, सहकारी समितियों और व्यक्तियों के पास हैं? इन फार्मों में कितने खेतिहर मजदूर काम करते हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस बारे में मेरे पास तत्काल जानकारी नहीं है। मैं जानकारी एकत्र करने के उपरान्त सभा-पटल पर रखूंगा।

श्री एम० कतामुत्तु : खेतिहर मजदूरों पर कार्मिक संघ अधिनियम लागू नहीं होता। फार्म पर काम करने वाले मजदूरों और खेतिहर मजदूरों को कृमिनाशक और कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग करना पड़ता है जिसके कारण वे हताहत हो जाते हैं और उसके लिए मृत्यु या अनुदान राहत देनी पड़ती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार एक विस्तृत विधाम बनाने का है ताकि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और अन्य कार्मिक संघ अधिनियमों को खेतिहर मजदूरों पर लागू किया जा सके?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस मामले का भी अध्ययन किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि जिस वर्ग का मंत्रि महोदय ने उल्लेख किया है उसकी प्रतिशतता कुल मजदूरों की संख्या से कम है और यदि हां, तो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत सभी मजदूरों को लाने के प्रस्ताव पर विचार करने में सरकार को कितना समय लगेगा ? सरकार कब तक विधान लाएगी ? क्या इस बारे में निश्चित अवधि का पता लग सकता है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने अपने उत्तर में जिन वर्गों का उल्लेख किया है, उनको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का विस्तार कम है । जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें जब भी वे आवश्यक समझें, अनुसूची में संशोधन करने और विभिन्न वर्गों पर अधिनियम के उपबन्धों के विस्तारण के लिए स्वतन्त्र हैं । इन सब बातों के सम्बन्ध में समस्या के परिणाम और महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी खेतिहर मजदूरों पर किस ढंग से लागू किया जा सकता है ।

Shri B. P. Maurya : In view of the fact that per Capita income of agricultural workers, comprising large number is less than 20 P. Will the hon. Minister give assurance to the effect that Minimum Wages Act would be made applicable to them immediately ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक 20 पैसे प्रति व्यक्ति आय का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य के साथ सहमति या असहमति प्रकट नहीं कर सकता । मेरे पास तत्काल आंकड़े नहीं हैं । ये अधिक भी हो सकते हैं । जहां तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने का सम्बन्ध है, मैंने सदन के ध्यान में यह बात लाई थी कि मैं इस बात के लिए पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा हूं कि खेतिहर मजदूरों पर भी न्यूनतम मजूरी अधिनियम किस प्रकार लागू किया जा सकता है ।

श्री के० एस० चावड़ा : अध्ययन करने में सरकार को कितना समय लगेगा और क्या सरकार अध्ययन प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अध्ययन पूरा होने पर प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न का उत्तर श्रम मंत्री द्वारा न दिया जाकर कृषि मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : यह बहुत अच्छा विचार है कि सरकार सभी खेतिहर कृषकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह किस दिशा में सोच रहे हैं ? मंत्री महोदय श्रम मंत्री है, लेकिन इस विषय का सम्बन्ध कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय से है । इस विधान के अन्तर्गत कौन से वर्ग आएंगे और किनको लाभ पहुंचेगा और मुआवजा किसे देना होगा ? मुआवजा मालिक देंगे या सरकार ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बारे में मंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : पूरे मामले का अध्ययन किया जा रहा है । इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस सदन में बोनस विधेयक पर चर्चा के दौरान भूतपूर्व श्रम मंत्री ने कहा था कि देश के शहरी क्षेत्र के मजदूर संघ नेता शहरी क्षेत्रों के लाभ के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा की है । क्या यह प्रश्न खेतिहर मजदूरों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम अथवा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत लाकर अधिनियमो की प्रभावशाली क्रियान्विति करने का है क्योंकि वे इस तथ्य को छिपा रहे हैं कि वे खेतिहर

मजदूरों के हितों के लिए अधिक चिंतित हैं और शहरी क्षेत्रों के मजदूरों को लाभ देना नहीं चाहते क्या हमारा कर्तव्य कर्मकार प्रतिकर अधिनियम अथवा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षत्रों के सभी खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा करना नहीं है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : पूरा मामला विचाराधीन है । इसका उत्तर देना कठिन है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जिन राज्यों में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू है, वहां भी उसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा । क्या मंत्री महोदय इस समस्या का भी अध्ययन कर रहे हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित करना एक बहुत बड़ी समस्या है । इसके लिए किसी विनियम की आवश्यकता नहीं है । मैं सदन के समक्ष एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन बुलाना चाहता हूं ताकि यह पता लगाया जा सके कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम को जिस प्रकार लागू किया जा सकता है ।

प्रश्न कानून बनाने का नहीं अपितु उसे क्रियान्वित करने का है । क्रियान्वयन के समय इन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना होगा कि इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे क्रियान्वित करने के लिए कौनसे उपकरण आवश्यक हैं । केवल कानून पास करने से ही यह मामला हल नहीं हो सकता ।

विदेशों में भारतीय मिशनों को 'ब्लैक दिसम्बर' आन्दोलन द्वारा धमकी

*426. **श्री प्रसन्न भाई मेहता† :**
श्री एस० ए० मरूगनन्तम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में 'ब्लैक दिसम्बर', आन्दोलन द्वारा दी गई इस धमकी के बाद, कि भविष्य में भारतीय मिशन उसके आक्रमण का मुख्य लक्ष्य होगा, विदेशों में भारतीय मिशनों में समुचित सुरक्षा प्रवन्ध सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(ख) क्या भारतीय राजनयिक मिशनों की सुरक्षा के लिये इस समय समुचित सुरक्षा प्रबन्ध विद्यमान है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश स्थित हमारे मिशनों को इस बारे में पहले ही विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं कि जब कभी इस तरह की सुरक्षा संबंधी समस्या सामने आए तो उसे रोकने के लिए उन्हें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए । वास्तव में लंदन मिशन पर जिस दिन असफल हमला किया गया था उस दिन भी इस तरह के उपाय बरते गए थे और उक्त दुर्घटना का जो परिणाम निकला उसमें ये उपाय भी सहायक कारण थे ।

(ख) जी हां । आतिथेय देशों की सरकारों की सुरक्षा एजेन्सियों के सहयोग से ऐसा किया गया है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विदेशों में भारत के किसी दूतावास ने अनुभव किया है कि सुरक्षा के प्रबन्ध पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे दूतावास कौनसे हैं और उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सामान्य सुरक्षा उपाय सदा करते जाते हैं। परन्तु लन्दन की इन घटना के पश्चात् हमारे पास कई दूतावासों से संदेश प्राप्त हुए हैं। उनमें निवेदन किया गया है कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाना चाहिए। इस बारे में हमने कार्यवाही की है।

श्री वसन्त साठे : लन्दन की दुर्घटना के समय हमारे दूतावासों में कितने व्यक्ति तनात थे, उनके पद क्या थे और उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न वांछनीय है। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा वार्ता के लिए बुलाया जाना

*427. **श्री गिरिधर गोमांगो**† :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के दौरे के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधियों को वार्ता के लिये बुलाया था; और

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार के लिये कोई निष्कर्ष निकले है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि प्रधान सचिव से सामान्य तौर पर मिलते ही रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि महासचिव ने भारत और पाकिस्तान की यात्रा के पश्चात् अपनी धारणा बताई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां। अपनी न्यूयार्क वापसी पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया था।

श्री गिरिधर गोमांगो : मुख्य प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर है "प्रश्न नहीं उठता"। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत-पाकिस्तान के संबन्धों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत-पाकिस्तान संबन्धों की इस समय की स्थिति यह है कि उनके मध्य हुए शिमला समझौते को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया है। अन्य अंशों को अभी क्रियान्वित किया जाना है और हम चाहते हैं कि उन्हें क्रियान्वित किया जाय।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : May I know as to when did the India's representative meet the Secretary General during the past few days ? Was his attention drawn towards anti-India activities in Pakistan so that these may be stopped?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि प्राय: महासचिव से मिलते रहते हैं। इस प्रश्न का संबन्ध ऐसी बैठक के संबन्ध में है जो महासचिव द्वारा बुलाई गई थी और जिसमें भारत-पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। यह सच है कि हमारे स्थायी प्रतिनिधि महासचिव को न्यूयार्क वापसी के पश्चात् और उसके बाद भी उनसे मिल चुके हैं और हम महासचिव को उप-महाद्वीप की परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी देते रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या महासचिव की यात्रा के दौरान उन्हें भली प्रकार स्पष्ट कर दिया गया था कि जबतक पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता नहीं देता तबतक इस उप-महाद्वीप में अपेक्षित शान्ति संभव नहीं और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा यह मत है कि भारतीय उप-महाद्वीप में स्थिति सामान्य बनाने और स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता दिया जाना आवश्यक है । यह बात महासचिव को बता दी गयी है । ऐसे मामलों में महासचिव की कोई निजी राय नहीं होती क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन किसी भी समस्या पर अपनी राय दे सकते हैं । परन्तु महासचिव ऐसे मामलों में अपनी राय व्यक्त नहीं करते ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Has the attention of the External Affairs Minister been drawn to the statement of President of Pakistan wherein he has invited our Prime Minister for a summit conference for full implementation of Simla Agreement ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां । मैंने समाचार पत्रों में वक्तव्य देखा है । इस बारे में सैद्धांतिक रूप से हमने शिखर वार्ता का कभी विरोध नहीं किया है । परन्तु हमारा मत है कि एसी बैठक की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि निचले स्तर पर बैठकों में पर्याप्त तैयारी की जाए जिससे कि शिखर वार्ता के उपयुक्त परिणाम निकले ।

श्री हरि किशोर सिंह : इस बात को देखते हुए कि बंगला देश में हाल ही के चुनावों में मुजीब सरकार को बहुत अधिक बहुमत मिला है, क्या भारत सरकार द्वारा शिमला समझौते के बारे में कोई नई अनुवर्ती कार्यवाही किये जाने की संभावना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पूरी स्थिति का हमें सही रूप से अपने सम्मुख रखना चाहिए । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिमला वार्ता में बंगला देश उपस्थित नहीं था । हमने बंगला देश के इस निर्वाचन का जिसमें शेख मुजीबुर्रहमान को उत्साहजनक सफलता प्राप्त हुई है, स्वागत किया है । इससे बंगला देश की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता स्थिर हो गई है जिसका हम हृदय से स्वागत करते हैं । परन्तु शिमला समझौते पर अनुवर्ती कार्यवाही का बंगला देश के चुनावों से कोई संबन्ध नहीं है । यह बिल्कुल अलग मामला है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम शिमला समझौते के वाद अनुवर्ती कार्यवाही करने के पक्ष में है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, it was agreed to in Simla that disputes between India and Pakistan would be settled by mutual discussions and no third party would be allowed to intervene. Does the hon. Minister agree that by accepting military assistance from U. S. A. Pakistan has violated the Simla Agreement ?

श्री स्वर्ण सिंह : शिमला समझौते के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख के कारण दोनों देशों के मध्य सभी मामले और विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाये जाने चाहिएं । उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान द्वारा शस्त्र प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है । यह कहना मामले की अधिक तूल देना होगा कि यह कार्य शिमला समझौते की किसी धारा के विरुद्ध है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा था कि यह शिमला समझौते की भावना के विरुद्ध है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने भी यही कहा था । यह हमारा दृढ मन्तव्य है कि भारत-पाकिस्तान के मध्य विवादों का निपटारा द्विपक्षीय आधार पर किया जाना चाहिए और हम यही मार्ग अपनाना चाहते हैं ।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रिय कार्यवाही की अपेक्षा निष्क्रिय कार्यवाही करता है । क्या इसका कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय आधार को माना है जो बड़ी शक्तियों के लिए सिर्फ कागजी सिद्धांत रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है जो उन्होंने पहले भी पूछा था ।

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हीं मामलों में पहल करता है जहां शान्ति भंग हो जाती है । परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस उप-महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र न तो भारत-पाकिस्तान में युद्ध रोकने में सफल हुआ है और न ही युद्ध छिड़ने पर कोई प्रभावी कदम उठा पाया है । इसी कारण भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ताओं पर सहमत हुए और शिमला समझौता हुआ । मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र समेत कोई भी संगठन चाहेगा कि सक्रिया भाग ले पाए । परन्तु हमें ऐसे सुझाओं के अभिप्राय को समझना चाहिए । हमारा रवैया भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों का दोनों के हित में द्विपक्षीय आधार पर हल करने का है । और संयुक्त राष्ट्र समेत बाह्य अभिकरणों को इन मामलों से पृथक रखना चाहिए और उप-महाद्वीप के देशों को पारस्परिक स्वीकार्य आधार पर समझौतों को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने बताया कि शिखर वार्ताओं के पूर्व निचले स्तर की कुछ बैठकें आवश्यक हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रयत्न जारी हैं ? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बीच में श्री भुट्टो ने प्रधान मंत्री को शिखर वार्ता के लिए पत्र लिखा है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं स्वीकार करता हूँ कि शिमला समझौते में निचले स्तर की बैठकों का उल्लेख नहीं है । परन्तु पाकिस्तान के रवैये को जानने के लिए यह सही तरीका है । यह स्मरण रखना चाहिए कि बंगला देश के निर्वाचन से दो मास पूर्व से राष्ट्रपति भुट्टो निरन्तर कहते आ रहे हैं कि बंगला देश के चुनाव की प्रतीक्षा की जानी चाहिये । हमने इसे शिमला समझौते के अतर्गत वार्ताएं न किए जाने के लिए कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया । पाकिस्तान के रवैये को भली प्रकार जानते हुए हमारे द्वारा पहल करना फलदायक नहीं हो सकता था । बंगला देश में बहुमत वाले दल को पूर्ण बहुमत मिल जाने से अब हमें पहल करनी चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे अंश का उत्तर नहीं दिया कि क्या श्री भुट्टो ने प्रधान मंत्री को शिखर वार्ता के लिए निजी पत्र लिखा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति भुट्टो के मध्य पत्र-व्यवहार में एक समय यह सुझाव दिया गया था कि एक शिखर वार्ता होनी चाहिए । जैसा कि मैंने पहले बताया है, बिना तैयारी के शिखर वार्ता फलदायक सिद्ध नहीं होगी ।

प्रश्न 429 के बारे में
Re : Q. 429

डा० रानेन सेन : इस प्रश्न का उत्तर आवास मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किस मंत्रालय को संबंधित है ?

डा० रानेन सेन : इसका उत्तर आवास मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए । तो भी, श्रम मंत्री उत्तर दे दें ।

चाय बागान के मालिकों द्वारा मजदूरों के लिए मकान बनाने पर व्यय की गयी धनराशि

*429. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चाय बागान के मालिकों ने 1972 में मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित 40,00,000 रु० की धन राशि में से केवल 20,000 रु० ही व्यय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चाय बागान के इन मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) मजदूरों के लिए मकान बनाने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया है ।

विवरण

(क), (ख) और (ग) : बागान श्रमिकों संबंधी सहायता-प्राप्त आवास योजना को, जिसके अधीन क्षेत्रपालों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिल सकती है, सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है ।

1970-71 के दौरान, राज्य में इस योजना के कार्यान्वियन के लिए 6 लाख रुपये की राशि, ऋण के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपी गयी थी । इस राशि में, 1971-72 के दौरान राज्य-सरकार केवल 20,000 रुपये क्षेत्रपालों को अग्रिम के रुप में दे सकी । उन्हें चालू वर्ष में 5.50 लाख रुपये की और राशि के इस्तेमाल कर सकने की आशा है ।

इस योजना के कार्यान्वियन में मुख्य कठिनाई यह थी कि क्षेत्रपालों को पश्चिम बंगाल राज्य अभि-ग्रहण अधिनियम, 1954 के अधीन जो भूमियां रखने की अनुमती है, वे उनके पट्टे नहीं ले रहे थे । इन पट्टों को अंतिम रूप दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कार्यवाही की है ।

एक और कठिनाई जो बतलाई जाती है, वह उत्तर बंगाल के जिलों में, जिनमें ये बागान स्थित हैं, भवन-निर्माण सम्बन्धी सामग्री विशेषकर जी० आई० शीटें और सीमेंट आदि प्राप्त करने के बारे में हैं ।

इस योजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने सम्बन्धी सभी सम्बन्धित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये एक बैठक 18 फरवरी, 1973 को दार्जिलिंग में बुलाई गई । यद्यपि सम्बन्धित राज्यों ने योजना के कार्यान्वियन पर गूढ़ निगरानी करना स्वीकार कर लिया, यह भी निर्णय किया गया कि सभी सम्बन्धित मंत्रालयों और अभिकरणों को मिलाकर एक तंत्र स्थापित किया जाए, जो इस योजना की प्रगति की समय समय पर पुनरीक्षा करे और जो समस्याएं इसकी प्रगति में बाधक होती हों उनको हल करने के लिए सुझाव दे ।

डा० रानेन सेन : सभापटल पर रखा गया विवरण पश्चिम बंगाल सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से मेल नहीं खाता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पश्चिम बंगाल के मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बागान मालिकों ने राजसहायता तथा सरकार द्वारा 87.50 प्रतिशत तक दिया जाने वाला अनुदान स्वीकार करने से मना कर दिया है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार राज्य सरकार से इस बात पर ध्यान देने के लिये कहेगी कि मकानों के निर्माण के लिये बागान मालिक सरकारी अनुदान तथा राजसहायता का उपयोग करे और यदि वे इन्कार करे तो

राज्य सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाये क्योंकि श्रम अधिनियम के अन्तर्गत बागानों को चलाने का दायित्व राज्य सरकार का है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : राज्य सरकार के वक्तव्य के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । मैं स्थिति का पता करूंगा कि वक्तव्य किन परिस्थितियों में दिया गया है । परन्तु यह सच है कि जो व्यवस्थायें की गयी हैं अथवा बागान मजदूरों की आवास योजना के लिये जो सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं बागान मालिक उनका उपयोग करने में बहुत मन्द रहे हैं । माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि सरकार ने और सरकारी संगठनों ने 87.5 प्रतिशत राजसहायता अथवा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया है । परन्तु क्षेत्रपाल उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं । सरकार को पूरी तरह मामले की जानकारी है । वास्तव में योजना को राज्यक्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र में लाने का विचार है ।

डा० रानेन सेन : मकान बनाने के लिये बागान मालिकों को देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को 40 लाख रुपये की राशि दी गई थी । उसमें से क्षेत्रपालों ने केवल 20,000 रुपये की राशि ली है . . .

एक माननीय सदस्य : 6 लाख रुपये की राशि में से ।

डा० रानेन सेन : केन्द्रीय सरकार के विवरण के अनुसार 6 लाख रुपये की राशि एक वर्ष के लिये है । परंतु पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार भारत सरकार ने मकान बनाने के लिये कुल 40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है । अब आप इसकी जांच कर सकते हैं ।

कार्य निष्पादन की दयनीय स्थिति को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि यदि बागान मालिक मकान नहीं बनाते तो नियोक्ताओं, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो, तीन वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी निधी से सरकार मकानों का निर्माण कराने के लिये, क्या कोई और कदम उठा रही है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : भारत सरकार ने योजना को वर्ष 1970-71 से राज्य के योजना क्षेत्र से निकाल कर केन्द्रीय-क्षेत्र में लाने का निर्णय किया है । भारत सरकार ने चौथी योजना के दौरान इसके लिये 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की । चौथी योजना की योजनाओं के अनुसरण में बागान मजदूरों को मकान उपलब्ध कराने के लिये आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक सम्मेलन किया जिसमें राज्य के कुछ अधिकारियों तथा अन्य प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया, इस मामले में गम्भीरता से कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : केन्द्रीय सरकार ने अब योजना को केन्द्रीय क्षेत्र में ले लिया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि चाय उद्योग पहले से ही केन्द्रीय क्षेत्र में है, मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार ने ऐसा निर्णय करने में इतना समय क्यों लगाया । मंत्री महोदय ने बागान मजदूरों के लिये आवास योजना को क्रियान्वित न करने के दो कारण बताये हैं । एक यह कि बागान मालिक राज्य सरकार से, पश्चिम बंगाल राज्य अधिग्रहण अधिनियम, 1954 के अर्न्तगत भूमि पट्टे पर नहीं ले रहे हैं, दूसरी कठिनाई भवन निर्माण सामग्री जैसे जी० आई० शीटस् तथा सीमेंट आदि उपलब्ध होने के सम्बन्ध में बताई जाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बागान मजदूरों की आवास योजना के लिये उत्तर बंगाल में निर्माण सामग्री ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है, क्या सरकार आवास श्रम मंत्रालय पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों की आवास योजना को पूरा कराने हेतु कच्चे माल की उपलब्धि के लिये अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इतना बड़ा प्रश्न मत पूछिये । छोटा प्रश्न पूछिये ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : बागानों से पट्टों का शीघ्रातिशीघ्र नवीकरण कराने के लिये कहा जाता है ।

जहां तक मकानों के लिये निर्माण सामग्री आदि के शेष प्रश्न का सम्बन्ध है, इस ओर सम्बद्ध मंत्रालयों का ध्यान दिलाया गया है और उन्होंने बहुत ही सहयोग पूर्ण रवैया अपनाया है .... (**व्यवधान**) जस्ती चादरों तथा निर्माण सामग्री आदि के बारे में इस्पात मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और उन्होंने इस मामले में सहयोग पूर्ण रवैया अपनाया है ।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन, मैंने आपका मूल प्रश्न देखा है जो आपने स्वयं अपने हाथ से लिखा है और आपने इसे श्रम मंत्रालय से पूछा है ।

डा० रानेन सेन : फिर भी आप इसे निर्माण और आवास मंत्रालय को भेज सकते थे ।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बागान मजदूरों के लिये मकान बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित कई लाख रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी है । सरकार इस राशि को तमिलनाडू तथा केरल, जहां धन राशि की कमी है, को देने के बारे में विचार क्यों नहीं करती है ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बंगाल से इधर उधर की बाते पूछने लगे है खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री नवल किशोर शर्मा ।

श्री भागवत झा आजाद : यदि यह सच है और यह अच्छी तरह जानते हुये कि चाय बागान स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं सरकार चाय बागान मजदूरों के लिये मकान बनवाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्री पी० जी० मावलंकर : श्रीमन क्या आपने इन्हें बोलने की अनुमति दी है ? जब आपने अगला प्रश्न ले लिया है तो वह किस प्रकार प्रश्न पूछ सकते है ?

श्रीभागवत झा आजाद : क्या आप अध्यक्ष हैं ?

श्री पी० जी० मावलंकर : जब अध्यक्ष पीठ ने अगले प्रश्न के लिये कह दिया है तो वे प्रश्न किस प्रकार पुछ सकते है ? मैं आपका निर्देश चाहता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष पीठ ने कहा है परन्तु मंत्री महोदय नहीं आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न लेने के लिये कहा था परन्तु मंत्री नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आजाद मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है । (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : जब आपने अगला प्रश्न ले लिया हैं तब क्या कुछ सदस्य आपको ऐसा करने से रोक सकते हैं ? यह किस प्रकार हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरराव सावंत ।

भारतीय शिविरों से पाकिस्तानी युद्धबन्दियों का भाग निकलना

*432. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री धामनकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शिविरों से अब तक कितने पाकिस्तानी युद्धबंदी भाग निकले है;

(ख) भाग निकलने के प्रयास में कितने युद्धबंदी मारे गये तथा कितनों को पुनः गिरफ्तार किया गया ;

(ग) युद्धबन्दियों के भाग निकलने में सहयोग के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं ; और

(घ) क्या युद्धबंदियों के भाग निकलने में कोई संगठन सहायता करने का प्रयास कर रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 22

(ख) मारे गये . . 12

पुनः गिरफ्तार किए गए 49

(ग) और (घ) : युद्धबन्दियों को शिविरों से भागने को रोकने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय पहले ही किए हुए हैं परन्तु इनके होते हुए भी युद्धबन्दी भागने का खतरा उठाते हैं। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि कोई संगठन उन्हें भागने में सहायता कर रहा है ।

श्री शंकरराव सावंत : सैनिकों की आचार संहिता के अनुसार प्रत्येक युद्ध बन्दी से भाग निकलने का प्रयास करने की आशा की जाती है । भारतीय युद्धबन्दियों ने भाग निकलने का प्रयास इसलिये नहीं किया है कि उनके चारों ओर के लोग उनके शत्रु हैं । पाकिस्तानी शिविर सीमा से दूर हैं । इस पर भी 92 सनिकों ने भाग निकलने का प्रयास किया और 22 उसमें सफल भी हो गये है । यद्यपि हो सकता है उनकी सहायता के लिये कोई संगठन न हो, क्या किसी व्यक्ति ने युद्धबन्दियों के भाग निकलने में सहायता की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? ऐसे कितने व्यक्ति है ? उनके नाम क्या है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारे ध्यान में कुछ थोड़े से ऐसे मामले आये हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रियों ने उनकी सहायता करने का प्रयास किया है । उन्हें पकड़ लिया गया है । मामलों में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शंकरराव सावंत : ऐसे कितने व्यक्ति है ?

श्री विद्याचरण शक्ल : बहुत थोड़े से, 3 अथवा 4 ।

श्री धामनकर : क्या जिन व्यक्तियों ने भाग जाने वाले व्यक्तियों की सहायता की वे उसी क्षेत्र में रहते है जहां युद्धबन्दी शिविर बने हुये हैं । इन युद्धबंदियों के क्या नाम हैं । क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वे उन्हीं क्षेत्रों के हैं जहां शिविर स्थित हैं। जब मामलों पर कार्यवाही चल रही है तो उनके नाम बताना उपयुक्त नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पंचवर्षीय रक्षा योजना में सेना के कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण

*424. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय रक्षा योजना में सेना के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने हेतु कुल कितना परिव्यय किया गया था ;

(ख) उसमें से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई हैं ; और

(ग) सेना के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) (1970–71 से 1974–75 तक की) पंचवर्षीय रक्षा योजना में अलग से आवास व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि लगभग 86 करोड़ रूपए की राशि को कुल पूंजी संकर्म के लिए निर्धारित में सेना कार्मिकों क पारिवारिक आवास के लिए व्यय करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) मार्च 1973 तक 62.71 करोड़ रूपए तक व्यय होने की अनुमान है।

(ग) सन् 1970–71 के दौरान 1,043 अफसर क्वार्टर, 6,646 अन्यों के लिए क्वार्टरों को पूरा किया गया है जबकि 1971–72 के दौरान 598 अफसर क्वार्टर तथा 6,150 क्वार्टर अन्यों के लिए पूरे किए गए थे।

इस के अतिरिक्त 4,904 अफसरों के क्वार्टर तथा 25,347 अन्यों के क्वार्टरों की मंजूरी दी गई है जिनमें से कुछ निर्माणाधीन हैं। उनमें से कुछ 1972–73 वर्ष के दौरान पूरे होने की सम्भावना है।

हिन्दुस्तान मोटर्स युनिट, कलकत्ता का पुनः खोला जाना

*428. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित हिन्दुस्तान मोटर्स यूनिट के पुन: खोले जाने के बारें में हाल में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और इस यूनिट में कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : राज्य प्राधिकारियों द्वारा 22 फ़रवरी, 1973 को दिये गये सुझावों के आधार पर जबरी छुट्टी और हड़ताल समाप्त की गई। ये इस विषय में थे कि जबकि प्रबन्ध तंत्र द्वारा, आरोप–पत्रों और निलंबन आदेशों (20 श्रमिकों के मामले को छोड़कर) को वापस लिया जाना चाहिए, श्रमिकों को सताया नहीं जाना चाहिए और उनकी सेवा की अविच्छिन्नता कायम रखी जानी चाहिए; श्रमिकों को अनुशासन तथा उत्पादन लक्ष्य बनाये रखने चाहिएं। हड़ताल की अवधि के लिये कोई मजदूरी नहीं दी जायेगी। बाद को राज्य सरकार ने, श्रमिकों को दी जाने वाली मजूरियों की वृद्धि पर अपने निर्णय की घोषणा की और प्रबंधन्तंत्र को यह सलाह दी कि वह उन श्रमिकों के विरूद्ध लगाये गये आरोप–पत्रों को जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया है, वापिस ले लें।

3—4 LSS (ND)/73

भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य संबंधी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

*430. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक मुख्य उद्देश्य विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन करना है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में परिषद ने क्या उपाय किये हैं; और

(ग) क्या परिषद ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की श्रेष्ठता से विदेशों को अवगत कराने के लिये कोई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अपने उद्देश्यों के अनुपालन के लिए विविध कार्य किए हैं जैसे :– विदेशों में भारतीय अध्ययन–पीठों की स्थापना ; दूसरे देशों से विद्वानों, कलाकारों और प्रतिष्ठित नेताओं को भारत की यात्रा पर बुलाना और भारतीय विद्वानों, कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सद्भावना तथा व्याख्यान यात्राओं पर विदेश भेजना; भारतीय कला, पुस्तकों तथा हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां बाहर भेजना ; अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा सेमिनार आयोजित करना ; भारतीय जीवन तथा भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों की विदेशों में और अधिक जानकारी देने के लिए विदेशी भाषाओं में पुस्तके तथा पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करना ; भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों में प्रशिक्षण तथा उच्च अध्ययन के लिए विदेशी विद्वानों को अनुसंधान, अनुदान तथा छात्रवृत्तियां देना, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोलना, आदि।

(ग) जी, हां। सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

1970–71

—एक शिष्टमंडल जिसमें कुमारी उमा शर्मा (कत्थक) और भारतीय कला केन्द्र का दल शामिल था, मारीशस गया।

—नृत्य लेखन संस्थान, नई दिल्ली का एक 15 सदस्यीय शिष्टमंडल अफगानिस्तान गया।

—उस्ताद विलायत खां (सितार) अफगानिस्तान गए।

—एक शिष्टमंडल, जिसमें गोगिया पाशा (जादूगर) और श्रीमती सन्ध्या मुखर्जी (गायक) सम्मिलित थे, अफगानिस्तान गया।

—एक शिष्टमंडल जिसमें श्रीमती मृणालिनी साराभाई (भारत नाट्यम) और श्रीमती ज्योत्स्ना भोले (गायक) सम्मिलित थे, नेपाल गया।

—एक शिष्टमंडल, जिसमें कुमारी भारती गुप्ता (कत्थक) शामिल थी, सिक्किम गया।

—भारतीय नाट्य संघ कठपुतली दल का एक 6 सदस्यीय शिष्टमंडल भूटान गया।

—लोक नर्तकों का एक 16 सदस्यीय दल सिक्किम गया।

1971–72

—एक शिष्टमंडल नेपाल गया जिसमें श्रीमती माधुरी मट्टों (गायक) श्रीमती मन्दाकिनी मालवीया (कत्थक) और श्री याकूब अली खां (सरोद) सम्मिलित थे।

—एक शिष्टमंडल नेपाल गया जिसमें श्रीमती एम० के० सरोजा (भारत नाट्यम) और श्री निखिल बैनर्जी (सितार) शामिल थे।

—श्री जोग सुन्दर के नेतृत्व में भारतीय रिवाइवल नृत्य दल भूटान गया।

—कुचिपुडि नृत्य अकादमी, मद्रास के निदेशक और नृत्य गुरू श्री चेन्ना सत्यम के नेतृत्व में एक दस सदस्यीय शिष्टमंडल सिक्किम गया।

—भारतीय लोक कला मंडल का एक कठपुतली दल तथा लोक नृत्य दल सिक्किम गया।

—त्रिवेणी कला संगम का मणिपुरी नृत्य दल अफगानिस्तान गया।

—उस्ताद हलीम जफर खां (सितार वादक) केन्या गए।

1972–73

—कुमारी यामिनी कृष्णामूर्ति (भारत नाट्यम नर्तकी) थाईलैंड गई।

—कुमारी कल्याणी राय (सितार वादिका) मारीशस गई।

—एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान गया जिसमें बेगम अख्तर तथा उस्ताद हलीम जफर खां (सितार वादक) सम्मिलित थे।

—रांची से एक जनजातीय नृत्य दल सिक्किम गया।

—एक शिष्टमंडल नेपाल गया जिसमें डा० सुमति मुटेटकर (गायक) श्री देवू चौधरी (सितार वादक) और कुमारी विजय लक्ष्मी मोहन्ती (औडिसी नर्तकी) शामिल थे।

—श्री वी० जी० जोग (वायलिन वादक) श्री लंका गए।

—श्री याकूब अली खां (वायलिन वादक) स्विट्जरलैंड गए।

—एक शिष्टमंडल अफगानिस्तान गया जिसमें उस्ताद नजीर जहीरुद्दीन डागर (गायक) उस्ताद नजीर फैयाजुद्दीन डागर (गायक) उस्ताद असद अली खां (बीन वादक) और कुमारी नलिनी मलहोत्रा (कत्थक और औडिसी नर्तकी) शामिल थे।

—एक शिष्टमंडल बंगलादेश गया जिसमें श्री देवव्रत विश्वास, श्रीमती सुनिता बन्दोपाध्याय, श्रीमती मंजु गुप्ता, श्रीमती पूर्वी बन्दोपाध्याय और कुमारी रीतू गुहा, सभी संगीतज्ञ शामिल थे।

—एक शिष्टमंडल नेपाल गया जिसमें श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी (गायक), कुमारी उमा शर्मा (कत्थक नर्तकी) और श्री रहमत अली खाँ (सरोद वादक) शामिल थे।

—एक शिष्टमंडल सिक्किम गया जिसमें कुमारी स्वप्न सुन्दरी (कुचिपुडि नर्तकी) और श्री विजय कुमार (कत्थक नर्तक) शामिल थे।

—एक शिष्टमंडल मारीशस गया जिसमें श्री अनन्तलाल (शहनाई वादक) और श्री राजा तथा, श्रीमती राधा रेड्डी शामिल थे।

आई० एन० एस० विक्रान्त के वर्तमान विमानों को बदलना

*431. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एन० एस० विक्रान्त के पुराने हो गये विमानों को आधुनिक विमानों में बदलने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"एक्सपैन्डिग एक्सपेन्शन्स" शीर्षक के समाचार

*433. **श्री वयालार रवि :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'इकोनोमिक एण्ड पोलीटिकल वीकली', दिनांक 17 फरवरी, 1973 में "एक्सपेन्डिग एक्सपैन्शन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) बोकारो में 40 लाख टन क्षमता का कारखाना लगाने की कल्पना की गई है और जिसमें प्रथम चरण की क्षमता 17 लाख टन होगी । भिलाई कारखाने की 25 लाख टन पिंड की वर्तमान क्षमता को बढाकर 40 लाख टन पिंड करने के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तयार किया जा रहा है ।

भारत सोवियत संयुक्त आयोग द्वारा हाल में किए गए विचार-विमर्श के दौरान यह स्वीकार किया गया था कि बोकारो की क्षमता को और बढ़ाकर लगभग 100 लाख टन पिंड और भिलाई की क्षमता को लगभग 70 लाख टन पिंड किया जा सकता है और इन विस्तार कार्यों के लिए तकनीकि और आर्थिक प्रतिवेदन तैयार करने का फैसला किया गया है । अन्तिम निर्णय तकनीकि आर्थिक बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा ।

भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों के प्रावस्था-भाजित विस्तार कार्य के अलावा पांचवी योजना में सेलम, विशाखापतनम और विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं का काम भी चलता रहेगा ।

नये श्रमिक विधान

*434. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र का कौन-कौन से नये श्रमिक विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या संसद में कोई विधेयक पेश किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : निम्नलिखित वैज्ञानिक सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं :—

(i) औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विस्तृत कानन

(ii) फिल्म उद्योग में रोजगार को विनियमित करने सम्बन्धी विधान;

(iii) भवन और निर्माण उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए विधान; और

(iv) मैंगेनीज खानों में कल्याण निधि स्थापित करने के लिए विधान ।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कारखाना अधिनियम, 1948 जैसे वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयकों पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित शिक्षा कार्यक्रम

*435. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को मजदूर संघ, मजदूर कानूनों तथा औद्योगिक सम्बन्धों के विषयों की अपेक्षित जानकारी देने के लिए श्रमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) इस समय श्रमिक शिक्षा के कितने प्रादेशिक केन्द्र चल रहे हैं और क्या विभिन्न प्रदेशों में उनके विस्तार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा को उसमें सम्मिलित किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी):(क) श्रमिक शिक्षा सम्बन्धी एक देश-व्यापी योजना 1958 से चल रही है जिसमें मजदूर संघ तत्वज्ञान, मजदूर संघ संघटन, संघ-प्रबन्धक सम्बन्ध, श्रमविधान सामहिक सौदाकारी और श्रमिकों के हित सम्बन्धी अन्य मामलों में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) इस समय 32 प्रादेशिक केन्द्र है जो श्रमिक शिक्षा केन्द्रों के नाम से ज्ञात है । चार और केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) उड़ीसा में एक प्रादेशिक केन्द्र रूरकेला में काम कर रहा है ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बन जाने के बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को बंद करना

*436. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का पंजीकरण हो जाने के बाद सरकार का विचार हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड के कार्य को बन्द करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) : फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया के बन जाने से कुछ समय पश्चात हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन करना होगा ।

सैनिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाना

*437. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सैनिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

युद्ध पोतों के लिए पृथक नौसैनिक यार्ड का निर्माण

*438. **श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक बन्दरगाहों पर युद्ध पोतों की मरम्मत और रखरखाव से सुरक्षा सम्बन्धी तथा अन्य अनेक समस्याएं पैदा होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो युद्ध पोतों के लिए पृथक नौसैनिक यार्ड बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) बम्बई में एक नेवल डाकयार्ड काम कर रहा है और एक अन्य विशाखापत्तनम में निर्माणाधीन है। तथापि हमारे नौसैनिक जहाज सरकारी क्षेत्र के विभिन्न शितयार्डों में मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए भी जाते हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी-लाभों संबंधी अदायगियाँ न करने के बारे में शिकायतें

*439. **डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** :
श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमारीलाभों संबंधी अदायगीयां न किये जाने के बारे में गत एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है : –

(क) दिल्ली परिवहन निगम संबंधी पृथक आकंड़े उपलब्ध नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन लाभों की अदायगी न किए जाने के बारे में दिल्ली में 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कुल मिला कर 412 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) 412 शिकायतों में से 340 की जांच की गई और उन्हें निपटाया गया। बाकी के 72 मामलों की जांच की जा रही है। निपटाये गये मामलों में से, कुछ को स्वीकृत किया गया था जब कि अन्यों को स्वीकृति के योग्य नहीं पाया गया।

सिमांत क्षेत्रों से विस्थापित किए गए व्यक्तियों को मुआवजा

*440. **श्री० जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि सीमान्त क्षेत्रों के विस्थापित किए गए लोगों को उस भूमि के लिए मुआवजा दिया जाए जिसमें कि वे 1972 के खरीफ मोसम के दौरान बुवाई नहीं कर पाये थे;

(ख) क्या उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि रक्षा उद्देश्यों से अधिकार में लिए गए क्षेत्रों के लिए भुमिपतियों की शुद्ध आय की फसल क्षतिपूर्ति का आधार बनाया जाय ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। पंजाब के मुख्य मंत्री ने भूमि के मालिकों को प्राप्त होने वाली शुद्ध आय के आधार पर जैसा कि 1971 की खरीफ की फसल के मामले में किया गया था, फसल के मुआवजे के भुगतान के सिद्धान्त को अपनाने के प्रश्न को उठाया था।

(ग) (क) के सम्बध में, मामले पर पर्याप्त विचार करने पर, पंजाब सरकार को ऐसी योजनाएं बनाने की सलाह दी गई थी जिनसे उन क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों का उपयुक्त पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके जहां शत्रु का अस्थायी कब्जा होने के कारण 1972 की खरीफ की फसल नहीं बोई जा सकी। इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने लगभग 8 करोड़ रूपए की योजनाएं भेज दी हैं। इन योजनाओं की जांच की जा चुकी है और आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।

(ख) के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों के लिए लिए गए क्षेत्रों में फसल का मुजावजा शुद्ध आय के साथ पहले ही सम्बद्ध कर दिया गया है। पंजाब सरकार का एक सुझाव था कि जिस भूमि पर खेती नहीं की जा सकी उसके सम्बन्ध में श्रमिकों के हिस्से को न काटा जाय। इस सुझाव को मानना सम्भव नहीं पाया गया है।

काम करते समय मजदूरों के बच्चों के लिए मकानों की व्यवस्था

4156. **श्री सी० के० जाफरशरिफ** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव किया है कि उन मजदूरों के लिए जिनको काम करते समय अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है, मकानों की व्यवस्था की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : जी नहीं। तथापि कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 और खान अधिनियम, 1952 जैसे विभिन्न कानूनों में महिला-श्रमिकों के बच्चों के लिए बालगृहों हेतु उपबन्ध विद्यमान है।

डी०डी०ए० में इस्पात की कमी

4157. **श्री टी० सोहन लाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसकी आवश्यकतानुसार इस्पात उपलब्ध नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से प्राधिकरण के निर्माण-कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पडा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० सुबोध हंसदा) : (क) देश में इस्पात की कमी है और हो सकता है कि देश के दूसरे भागों के उपभोक्ताओं की तरह दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनकी पूरी आवश्यकता के अनुसार माल का आवंटन न किया गया हो।

(ख) इस्पात की कमी के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने का एसा कोई मामला हाल में सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही

4158. **श्री बयालार रवि :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में इस्पात की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1973–74 में कितना इस्पात आयात किया जायगा और इस अवधि में कुल मांग की तुलना में आयातित इस्पात की मात्रा कितने प्रतिशत होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : वर्तमान इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं ।

(i) जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों का सम्बन्ध है कम्पनी के प्रबन्धक उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपाय इस प्रकार हैं : कोक भट्टियों को विशिष्ट मरम्मत गैस की उपलब्धि को बढाने के लिए दूसरे इंधनों का उपयोग, उर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि के लिए कुछ भट्टियों में तेल का प्रयोग, बेहतर रख-रखाव जिससे बेहतर उपकरण-उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए पूंजीगत कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करना और योजनाबद्ध ढ़ंग से फालतू पुर्जे, उष्मसह और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करना शामिल है। हाल में दुर्गापुर में ओद्योगिक विवादों और मजदूरों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक त्रि-स्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है। उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना शुरू की गई है ।

(ii) सरकार द्वारा 14 जुलाई, 1972 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के पश्चात् इसकी तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने और उत्पादन बढ़ाने हेतू बहुत से उपाय किये गये हैं जिनमें, कोलतार और कोक की सप्लाई, कोक भट्टियों की आयात आधार पर मरम्मत मैटरियल हैन्डलिंग उपकरण की प्राप्ति तथा स्टील मैल्टिंग शाप में केनों अन्य उपस्करों की मरम्मत तथा उनका प्रतिस्थापन सम्मिलित है ।

(iii) टाटा आयर्न एन्ड स्टील कम्पनी पुरानी कोक भट्टियों के लिए प्रतिस्थापन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर कोक की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी। रख-रखाव को बेहत्तर बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रह हैं।

(iv) इस दिशा में स्टील अर्थारिटी आफ इण्डिया की स्थापना से काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि इससे पर्यवेक्षण तथा समन्वय प्रभावशाली ढ़ंग से हो सकेगा, विशिष्ट परामर्शदाता सेवायें उपलब्ध होंगी तथा इस्पात उद्योग से घनिष्ट रूप में सम्बद्ध अन्य क्षेत्रों का जो इस्पात उद्योग के कोकिंग कोयला, लोह खनिज और मैंगनिज जैसे कच्चे माल के प्रमुख सम्भारक है, प्रबन्धात्मक एकीकरण तथा समन्वय होगा ।

(v) सरकार भी स्टाक फोर्स की सावधिक बैठकों और समिक्षाओं द्वारा इस्पात कारखानों के कार्य-करण पर सतत नजर रखती है ।

2. 1973–74 में 5 मुख्य उत्पादकों द्वारा 55 लाख टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन का कार्यक्रम बनाया गया है। यदि उत्पादन का यह कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो इस वर्ष आयात की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी। इस समय 1973–74 में आयात की जानेवाली इस्पात की मात्रा का ठीक ठीक पता लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्य बातों के साथ साथ यह इस वर्ष की आयात नीति पर निर्भर करेगी जिसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

बिजली की कमी के कारण भारी उद्योगों में उत्पादन में कमी

4159. **श्री बयालार रवि** : क्या **भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बिजली की कमी के कारण देश के भारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किस हद तक उत्पादन कम हुआ है और अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन प्रतिष्ठानों में पृथक विद्युत् उत्पादन यूनिट लगाने का है; और

(ग) यदि हां तो इस बारेमें सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि भविष्य में ऐसी हानि न हो ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : 75 प्रतिशत की विद्युत कटौती से कुछ राज्यों के भारी उद्योग प्रतिष्ठानों से उत्पादन गंभीररूप से गिरा है। अन्य राज्यों में जहां विद्युत कटौती 25 प्रतिशत तक अथवा अधिक रही है उत्पादन थोडा बहुत अव्यवस्थित हुआ है। फिर भी इस कारण से हानि की सीमा का परिणाम बताना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के एक भारी उद्योग प्रतिष्ठान पर उनका अपना जनित्रण सेट है। उत्तर प्रदेश में ही एक अन्य यूनिट का विचार अपना जनित्रण सेट लगाने का है। सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय ने क्षेत्रीय विद्युत् सम्मेलन में विद्युत की कमी के सम्बन्ध में विचार किया है उनके तात्कालिक अभ्यपायों तथा पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यवाही के दीर्घकालीन उपायों के विषय में शिफारिशें की हैं। तात्कालिक अभ्यपायों में विद्युत परियोजनाओं तथा खराब पड़े बिजली जनित्रण एककों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य को तेज करना शामिल है। किन्हीं किन्हीं मामलों में उन समीप के क्षेत्रों से जिनमें विद्युत शक्ति फालतू है उधार लेकर कमी पुरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए गठित मन्त्रीयों के दल द्वारा इस विषय का निरन्तर पूनरीक्षण किया जा रहा है।

दीर्घकालीन अभ्यपायों में देश की बढ़ती हुई विद्युत शक्ति की आवश्यकताओं को पुरा करने हेतु पांचवी योजना में स्थापित किये जाने वाली नई परियोजना शामिल है।

जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में जहां वर्षा तथा जलाशयों पर निर्भरता है, इस वर्ष विद्युत की कमी हुई है. आशा है कि अगले मानसून में स्थिति सुधर जाएगी।

I.A.F. Fighter Plane of Jamnagar Station Burnt During Normal Flight

4160. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an Indian Air Force Fighter plane belonging to Jamnagar Station was burnt and destroyed during normal flight;

(b) if so, whether Government have conducted any enquiry into this incident; and

(c) the outcome thereof and the estimated loss suffered ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) . The proceedings of the Court of Inquiry ordered to investigate into this accident have not yet been finalised.

गोरखपुर में श्रमिक डिपों का बन्द हो जाना

4161. **श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के कारण गोरखपुर स्थित श्रमिक डिपो बन्द होने वाला है ; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या सरकार कोयला खानों में गोरखपुरी श्रमिकों को रोजगार देने सम्बन्धी किसी योजना पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

इस्पात उद्योगों के लिए आरक्षित चूने के पत्थर क्षेत्रों का मुक्त किया जाना

4162. **श्री आर० बी० बड़े : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात उद्योगों के लिए चूने के पत्थर के जो क्षेत्र आरक्षित रखे थे उनको मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी, नहीं।

गणतंत्र दिवस, 1973 की परेड में शामिल होने वाले दिल्ली के स्कूलों के छात्रों को दिये अल्पाहार के विरुध्द शिकायतें

4163. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 के गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों के कितने कितने छात्रों ने भाग लिया था;

(ख) उन्हें दिए गए अल्पाहार पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या सरकार को उन्हें दिए गए अल्पाहार के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गणतंत्र दिवस परेड 1973 में दिल्ली के निम्नलिखित पाठशालाओं ने भाग लिया है :—

(1) राजकीय विद्यालय	14
(2) सहायता प्राप्त विद्यालय	17
(3) पब्लिक स्कूल	1
(4) चिल्ड्रन होम	1
योग .	33

(ख) 8,744.75 रुपए ।

(ग) जी नहीं श्रीमन् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1971–1972 में आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय दूतावास पर हुआ व्यय

4164. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971–72 में आस्ट्रेलिया स्थित हमारे राजदूत तथा दूतावास पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या यह व्यय वर्ष प्रति वर्ष बढता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बढते हुए व्यय को घटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) आस्ट्रेलिया में राजदूत पर 1.08 लाख रुपए और राजदूतावास पर 14.81 लाख रुपए खर्च हुए ।

(ख) जी नहीं, खर्च में कुछ कमी हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1971 के युद्ध में मरने वालों के परिवारों को पाकिस्तान द्वारा मुआवजा

4165. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार 1971 के बंगला देश के युद्ध में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देगी और असैनिक भारतीयों के परिवारों को पाकिस्तान द्वारा की गई बमबारी से हुई क्षति की भी पूर्ति करेगी;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अब तक पाकिस्तान के साथ हुए विचार विमर्श में इस विषय की चर्चा नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

"इंडिया विल बर्न हर फिंगर्स इन बंगला" सम्बन्धी राष्ट्रपति भुट्टो का वक्तव्य

4166. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेशनल हेराल्ड दिनांक 27 फरवरी, 1973 में "इंडिया विल बर्न हर फिंगर्स इन बंगला – भुट्टो" (भारत बंगला के मामले में पडकर हानि उठाएगा – भुट्टो) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बंगला देश की सरकार के साथ हमारी सरकार के अत्यन्त निकट एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है और उसे पूर्ण विश्वास है कि चाहे कोई बाहरी पक्ष कितना ही क्यों न उकसाए ये सम्बन्ध बिगडेंगे नहीं ।

एगरिन्ड फेब्रीकेशन्स का गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता में विलय

4168. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एगरिन्ड फेबरीकेशन्स को अपने हाथ में ले लिया है तथा इसका गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता में विलय कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या सरकार ने लेखा कर्मचारियों सहित सभी मजदरों तथा कार्यालय कर्मचारियों को खपा लिया है; और

(ग) क्या इन सभी लेखा कर्मचारियों को जिनका अगस्त, 1972 में इन्टरव्यू लिया गया था और जिन्होंनें दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, खपा लिया गया है; और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी नहीं श्रीमन । कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 1968 में पास किए गए एक आदेश द्वारा मेसर्स एगरिन्ड फेबरीकेशन लिमिटेड का परिसमापन हो गया था । उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जोयंट रिसीवर द्वारा एक खुले निविदा के उत्तर में गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड ने स्थिर सम्पत्ति के लिए बोली दी और अप्रेल 1972 में इसका अधिग्रहण कर लिया । गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता ने इस परिसर में अपनी रोड रोलर मैनुफॅक्चरिंग यूनिट स्थापित कर ली है।

मेसर्स एगरिन्ड फेबरीकेशन के जिन भूतपूर्व कर्मचारियों को नौकरी के लिए उपयुक्त समझा गया उन्हें कम्पनी द्वारा काम पर लगा लिया गया है।

(ग) इस परिसर में गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड की कार्य कर रही रोड रोलर यूनिट के लेखा कार्य की मात्रा कम है । अत: इस समय गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड के लेखा विभाग द्वारा एक जगह ही लेखा रखा जा रहा है । तथापि, मेसर्स एगरिन्ड फेबरीकेशन के भूतपूर्व लेखा कर्मचारियों का साक्षात्कार किया गया था और भविष्य में रिक्त स्थानों के प्रति सम्भव भर्ती करन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का एक पेनल बनाया गया है।

जापानी सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना

4169. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जापानी सहयोग से एक इस्पात संयंत्र लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में भू-स्वामियों को दिया गया मुआवजा

4171. **श्री दशरथ देब** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के तुईसिदराय (तेलीमुरा) के उन भू-स्वामियों को, जिनकी भूमि सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ले ली थी, मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन परिवारों की संख्या कितनी है जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है ;

(ग) मुआवजे के भुगतान में विलम्ब के कारण क्या है; और

(घ) इसके कब तक भुगतान कर दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : अक्तूबर 1971 में भूमि के अर्जित किये जाने के समय उक्त भूमि पर खडी फसलों, झोपडियों और पेडों क लिए प्रारम्भिक मुआवजे के रूप में रु० 1,76,089.69 की राशि वितरित की गई है। अर्जन के संबंध में दिये जाने वालें लाभ के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाना है । 186 परिवार ऐसे है जो मुआवजा पाने के पात्र हैं । अवार्ड पर निर्णय होते ही देय मुआवजा अदा कर दिया जाएगा ।

चीफ कैंटीन्ज आफिसर द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद गोल्डन तम्बाकू कंपनी में नौकरी करना

4172. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्थल सेना मुख्यालय के भतपूर्व कैन्टीन्ज चीफ आफिसर ने 1972 में अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद गोल्डन टोबेको कंपनी लिमिटेड में नौकरी कर ली और वे अपनी कंपनी की ओर से माल की बिक्री बढाने के लिए विभिन्न सैनिक कैनटिनों का दौरा करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करने के लिए उन्होंनें सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली थी;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह दूसरी घटना है जब कि सेवानिवृत्त होने वाले चीफ कैन्टीन्ज आफिसर ने सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद उस प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली जिसके साथ उनके सेवा में रहते सरकारी तौर पर संबंध थ; और

(घ) यदि हां, सेवा के अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद ऐसा करने को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) कर्नल पद से नीचे के अफसर को निजी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। भूतपूर्व चीफ कैंटीन्ज अफसर सेवानिवृत्ति के समय ले० कर्नल के पद पर था और इसलिए सरकार की किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) जी हां श्रीमन। परन्तु चीफ कैंन्टीज अफसर का प्राइवेट कंपनियों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रयोगात्मक खनन

4173. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन खान तथा धातु राज्य मंत्री, श्री नीतिराज सिंह ने खतडी में प्रयोगात्मक खनन परियोजना का उद्घाटन किया था; और यदि हां, तो तब कितने स्टोप तैयार थे; और

(ख) उस समय खनन उत्पादन सीमा सूची क्या थी और क्या उसको बनाये रखा गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। उस समय एक संकुचन और एक उप-स्तर निखनन तैयार थे।

(ख) अयस्क के 400 टन प्रतिदिन की दर से उत्पादन आरंभ करना और उसे जनवरी 1972 से शनैः-शनैः अयस्क के 2,000 टन प्रतिदिन तक वर्धित करना प्रस्तावित था। इस समय सारिणी का पालन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रयोगात्मक निखनन के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि उत्पादन की उच्चतर दर अभिप्राप्त करने के लिए निखननो के विद्यमान डिजायनों में पर्याप्त रूप से उपांतरण करना पड़ेगा। तदनुसार जुलाई 1971 में पुनरीक्षित खनन प्रायोजना लागू की गई जिसके अनुसार उच्च उत्पादन खनन संक्रियाएं करने के लिए संसक्त अयस्क लैंसों के क्षीण विभाजकों को आमेलित करना था। उत्पादित अयस्क के तेज कर्षण को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान अयस्क निकास पद्धति का परिवर्तन करने और खान विकास और उत्पादन संक्रियाओं को त्वरित करने के लिए पथविहिन खनन लागू करने का भी विनिश्चय किया गया। उपर्युक्त समस्त उपांतरणों में पर्याप्त अतिरिक्त कार्य अंतर्वलित था और उसके फलस्वरूप पहली समय सारिणी का पुनरीक्षण करना पड़ा।

खेतड़ी उद्योग समूह में उत्पादन के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

*4174. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतडी उद्योग समूह के उत्पादन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए 1969 में विशेषज्ञों कि एक समिति बनाई थी; और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या है; और

(ख) क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। विशेषज्ञ समिति की मुख्य प्रेक्षण/सिफारिशें निम्नलिखित थीं;

(1) खान के निम्न स्तरों पर अयस्क निकायों के रेखा–चित्रण के लिए अन्वेषण में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जानी चाहिए जिससे उत्पादन बचन बद्धताओं को पूरा किया जा सके।

(2) अयस्क निकासी पद्धति और अयस्क कर्षण तकनीको कीं ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

(3) सिकुडन और सह-स्तर निखनन के संयोजन को विकसित किया जाए और निखननों की संख्या में अभिवृद्धि की जानी चाहिए।

(4) तकनीकी कार्मिकों की जाम्बिया, आस्ट्रलिया इत्यादि देशों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

(5) सुरक्षात्मक अनुरक्षण की ओर उचित स्थान दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहक बोनस की पद्धति भी प्रारम्भ की जानी चाहिए; इत्यादि

विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से एक को खेतड़ी ताम्र परियोजना के महाप्रबंधक के रुप में नियुक्त किया गया है।

(ख) रिपोर्ट में अंतर्विष्ट मुख्य प्रेषण/शिफारिशें पहले ही प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लीखित की जा चुकी है।

इण्डियन कापर कारपोरेशन के लागत प्राक्कलन तथा खनन समय-सूचियां

4175. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत विभिन्न लागत प्राक्कलन क्या है;

(ख) प्राक्कलनों के साथ क्या समय-सूचियां दी गई है;

(ग) इन समय-सूचियों के अनुसार खनन के लिए कितने निक्षेप उपलब्ध थे, और क्या यह स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप थे; और

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व इंडियम कापर कारपोरेशन की खानों में क्या प्रथा थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सरकार ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात घाटशिला स्थित भारतीय ताम संकुल के लिए अभी तक किसी लागत प्राक्कलन की मंजूरी नहीं दी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते है।

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व भारतीय ताम्र निगम की खानों में यह प्रथा थी कि नई प्रायोजनाओं के लागत प्राक्कलन भारतीय ताम्र निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते थे।

मुद्राओं के पुनर्मूल्यन और अवमूल्यन से होने वाली कठिनाइयों के बारे में दूतावास कर्मचारियों का अभ्यावेदन

4177. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय दूतावासों के कार्यालयों में कर्मचारियों को वेतन–भत्ते, नियुक्ति स्थान में प्रचलित वेतन तथा भत्तों के अनुसार दिये जाते है या किन्ही समान निश्चित वेतन क्रमों के अनुसार दिए जाते है;

(ख) क्या ये भुगतान देश की मुद्रा के बदले मूल्य और मुद्रा अवमूल्यन के अनुपात को ध्यान में रख कर दिए जाते है; और

(ग) क्या मुद्राओं के पुनर्मूल्यन और अवमुल्यन में उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में किसी दूतावास आदि के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, और यदि हां, तो किस क्षेत्र से और उसमें किन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कर्मचारियों को उस जगह के रहन सहन के खर्च के अनुसार विदेश भत्ता दिया जाता है। विदेश भत्ते की दरे विदेश सेवा निरीक्षकों की सिफारिश पर बदली जाती हैं, जो निरीक्षक विद्यमान विनिमय दर, स्थानीय खर्च तथा अन्य बातों पर ध्यान रखते हुए सिफारिश करते है जैसे किसी अधिकारी को उसी श्रणी के भारत में रहने वाले अधिकारी की अपेक्षा विदेश में रहते हुए देश में या विदेश में, अनिवार्य रुप से कितना अधिक खर्च करना पडता है।

(ख) विदेश भत्ते की दरें तब बदली जाती हैं जब सम्बद्ध देश में विनिमय दर में अन्तर आने से तथा स्थानीय खर्च को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों से उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों के किसी कर्मचारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई अभ्यावेदन नहीं आया है। पूर्व एशिया और पश्चिम यूरोप के भारतीय मिशनों से जहां की स्थानीय मुद्रा का पूनर्मूल्यांकन हुआ था, विदेश भत्ते की दरे बदलने के लिए अभ्यावेदन मिला है।

इंजोनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारी

4178. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या भारी उद्योग मंत्री 8 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2587 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस् इण्डिया लिमिटेड हाल ही में बहुत कम कर्मचारियों के साथ आरंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह निगम कब आरंभ हुआ था और प्रथम मार्च, 1973 को निगम में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे; और

(ग) देश के विभिन्न स्थानों में इसके कितने शाखा कार्यालय है और प्रत्येक स्थान पर कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

भारी उद्योग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1970। 11 मार्च, 1973 को कम्पनी म काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 174 थी। (देहली व अन्य शाखाओं/स्थल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल है।)

(ग) कम्पनी के 4 कार्यालय है : एक देहली में – एक कांड़ला में और दो कलकत्ते में स्थित है। इन कर्मचारियों की कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :–

	कर्मचारी की संख्या
दिल्ली कार्यालय (फरीदाबाद और मरायना स्थल कार्यलयों को मिला कर)	119
क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता	13
कोक औवन प्रभाग, कलकत्ता	33
कांडला कार्यालय	9
योग .	174

बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा कारों का उत्पादन

4179. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार इंजीनियरों को मोटर कारों के डिजाइन तैयार करने तथा उन्हें विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु यदि कोई विशिष्ट कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है;

(ख) क्या श्री संजय गांधी द्वारा जिस कार का डिजाइन तैयार किया गया है तथा जो कार बनाई गई है उसका परीक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस तकनीकी निकाय ने इसकी जांच की थी और उस की टिप्पणियां क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आशय पत्र ऐसे इंजीनियरों को जारी किए गये है जो पूर्ण रूप से देशी डिजाइन और पूंजीगत माल का आयात किए बिना कार का उत्पादन करने को तैयार हैं।

(ख) अभी तक नहीं, जी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र सेना की सहायता

4180. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न ागों में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितनी बार कहां-कहां और किन अधिकारियों के अनुरोध पर सशस्त्र सेना की सहायता की गई; और

(ख) सिविल प्राधिकारियों ने सहायता के लिए अनुरोध की क्या प्रक्रिया अपनाई और ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने संबंधी क्या हिदायतें दी हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) सन 1972 तथा 1973 के जनवरी तथा फरवरी महीनों के दौरान कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17 अवसरों पर सशस्त्र सेनाओं को बुलाया गया था। अन्य ब्यौरे विवरण एक जो संलग्न है, में दिए गए हैं।

(ख) सिविल प्राधिकारियों को सशस्त्र सेनाओं की सहायता देने का कार्य केन्द्रीय सरकार का है तथा जब भी सम्भव हो उनके नियोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए।

2. कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सिविल प्राधिकारियों का है और ये जहां तक भी सम्भव हो उपलब्ध साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए तथा सशस्त्र पुलिस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा बी० एस० एफ० को रिइनफोर्समेंट करके प्राप्त करना चाहिए। यदि सिविल प्राधिकारियों की राय से ये बल इस कार्य के लिए असमुचित सिद्ध होंगे तब वे सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए बुला सकते है। सिविल बलों को सेनाओं के द्वारा किस अवस्था में रिइन्फोर्स किया जायेगा यह स्थानीय सिविल प्राधिकारियों को यदि सम्भव हो तो सशस्त्र सेनाओं के अफसर कमान्डिग के परामर्श से करना होगा।

3. जब कानून और व्यवस्था के बनाए रखने के लिए समय कम हो तब उपस्थित उच्चतम मॅजिस्ट्रेट निकटतम सैनिक प्राधिकारी से जो उसके क्षेत्र में स्थित हो सीधी मांग कर सकता है । स्थानीय सैनिक प्राधिकारी ऐसी मांगों का अनुपालन करते है। ऐसे मामलों की उच्चतर प्राधिकारियों को तत्काल रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

विवरण

शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना--1972

क्रम सं०	स्थान	तारीख	सहायता की मांग करने वाला प्राधिकारीं
1.	जयपुर, राजस्थान	22 तथा 23 फरवरी 1972	राजस्थान सरकार का गृह विभाग
2.	पश्चिम बंगाल के अनेकों जिले तथा सहरसा और पूर्निया बिहार के जिले	26 फरवरी से 21 मार्च 1972 तक	पश्चिमी बंगाल तथा बिहार सरकार
3.	गुलबर्ग, मैसूर	2 से 6 मार्च 1972 तक	मुख्य सचिव, मैसूर सरकार
4.	मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, पटना, गया, धनबाद, सिंहभूमि तथा रांचि-बिहार के जिले	4 से 12 मार्च 1972 तक	अपर मुख्य सचिव, बिहार सरकार
5.	मिजोराम में विभिन्न जल ।	मार्च–अप्रैल 1972	भारत सरकार
6.	मुगलसराय, उत्तर प्रदेश	20 से 24 मई 1972	गृह सचिव उत्तर, प्रदेश सरकार
7.	गौहाटी, (असम)	9 से 13 जून 1972	उपायुक्त, कामरुप
8.	सिलीगुडी, प० बंगाल	25 से 27 जून 1972	एस० डी० ओ०, सिली गुडी

क्रम सं०	स्थान	तारीख	सहायता की मांग करने वाला प्राधिकारी
9.	कछार (असम)	28 तथा 29 जून 1972	जिला, आयुक्त कछार
10.	कोयम्बटूर तामिलनाडू	6 से 11 जुलाई 1972	गृह सचिव, तामिल नाडू सरकार
11.	मोकाकचुंग (नागालैंड)	18 तथा 19 अगस्त 1972	उपायुक्त, मोकोकचुंग
12.	पटना (बिहार)	7 से 25 सितम्बर 1972	मुख्य सचिव, बिहार सरकार
13.	असम के विभिन्न जिले (मोंगुलदाई, घुवरी, गोहाटी तथा तेजपुर)	6 अक्तूबर से 12 नवम्बर 1972 तक	संयुक्त सचिव, असम सरकार
14.	पंजाब तथा हरियाणा के विभिन्न जिले (लुधियाना मोगा तथा जगराव	7 अक्तूबर से 2 नवम्बर 1972	मुख्य सचिव, पंजाब तथा हरियाणा सरकार
15	नौगांव (असम) .	25 अक्तूबर से 12 नवम्बर 1972	उपायुक्त, नौगांव
16.	आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिले	22 नवम्बर, 1972 सहायता कार्य की व्यवस्था चालू है	मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार
17.	सिल्चर जिला कछार असम	13 से 29 दिसम्बर 1972	उपायुक्त, कछार

1973

जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 16 में बताया गया है आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए सेना सहायता की व्यवस्था चालू है । इसके अतिरिक्त 1973 के दौरान भारत के अन्य किसी भाग में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की सहायता प्रदान नहीं की गई है ।

बहादुरशाह के अवशेष

4181. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने, स्वाधीन भारत की प्रथम अन्तरिम सरकार के प्रधान के रूप में रंगून के निकट बहादुरशाह की कब्र के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेता के अवशेषों को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुनः दफनाने के लिए लाल किले ले जायेंगे ;

(ख) क्या बहादुरशाह के अवशेषों को रंगून के निकट कब्रगाह से वापिस लाने के लिये सदन में बार बार अपील की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय स्वाधीनता के 25 वे वर्ष के दौरान सरकार बहादुरशाह के अवशेषों को राष्ट्रीय सम्मान के साथ लाल किले वापस लाने की वांछनीयता पर पुनर्विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इसके बारे में कोई अधिकृत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : बहादुरशाह के अवशेषों को वापस लाने के सवाल पर विचार किया गया है लेकिन बहुत से कारणों से यह संभव नहीं पाया गया है। सरकार को बताया गया है कि उलमाओं का भी यही कहना है कि धार्मिक आधार पर भी इन अवशेष को वहां से हटाना उचित नहीं होगा क्योंकि दफ़न के समय ऐसी कोई अमानत नहीं की गई थी।

सेना के सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी जिन्होंने गैर-सरकारी व्यापार गृहों या सरकारी उपक्रमों में नौकरी कर ली है

4182. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना के उन ब्रिगेडियरों, मेजर जनरलों, लेफ्टिनंट जनरलों और जनरलों के नाम क्या हैं जिन्होने गत तीन वर्षों मे सेवा निवृत्त होने के बाद गैर सरकारी व्यापार गृहों या सरकारी उपक्रमों में नौकरी कर ली है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सैनिक सेवा समाप्त होने की तारीख से 2 वर्ष की समाप्ती से पहले नौकरी करने के लिए कर्नल और उससे उपर के पद के अफसरों द्वारा सरकारी अनुमति निम्नलिखित मामलों मे लेनी आवश्यक होती है ।

(1) नीजि उपक्रमों मे वाणिज्यक रोजगार; और

(2) असैनिक पद पर नौकरी, जिसमें सरकार की अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय के अधीन पद भी सम्मिलित है, यदि अफसर को उसके अपने अनुरोध पर उसकी सेवा निवृत्ति स पूर्व सेवानिवृत्त होने की आज्ञा दी गई हो । अपेक्षित सूचना केवल उन्हीं श्रेणियों के अफीसरों के बारे में उपलब्ध है जो ऊपर बताई है, और वह संलग्न विवरण म दी गई है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4557/73]**

श्रीमती भुट्टो द्वारा चीन की यात्रा के दौरान किया गया भारत-विरोधी प्रचार

4183. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या श्रीमती भुट्टोने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल की मुखिया के रूप में चीन को अपनी हाल की सरकारी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की रिहाई के प्रश्न पर भारत के विरुद्ध कटुतापूर्ण प्रचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस भारत विरोधी प्रचार का निराकरण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान के इस प्रकार के प्रचार का खण्डन करने के लिए तथा सही स्थिति से विश्व जनमत को अवगत कराने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाए है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व तथा इसके बाद कोयले का उत्पादन तथा मूल्य

4184. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से दो मास पूर्व और उसके दो मास पश्चात् उनका उत्पादन कितना कितना था और विभिन्न श्रेणियों के कोककर तथा अकोककर कोयले तथा हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक के सप्लाई मूल्य क्या क्या थे;

(ख) यदि उत्पादन और सप्लाई में कमी हुई है तो उसके क्या कारण है और कोयले के मूल्यों में यदि वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार ने अभी तक केवल कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया है। जहां तक नान-कोकिंग कोयला खानों का सम्बन्ध है सरकार ने 1–1–73 से केवल इन का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है।

1–5–1972 को राष्ट्रीयकरण के 2 मास पहले तथा 2 मास बाद का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोकिंग कोयला और नान-कोकिंग कोयला खानों के उत्पादन और प्रेषण का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—4558/73]

राष्ट्रीयकरण से 2 मास पूर्व और 2 मास बाद तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा उत्पादित विभिन्न श्रेणियों के कोल और कोक के मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) राष्ट्रीयकरण से 2 मास पूर्व और 2 मास बाद का उत्पादन और प्रेषण लगभग वैसा ही बना रहा है ।

(ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा उत्पादित सभी श्रेणियों के कोयले के उत्पादन और प्रेषण में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे है ।

आयुध कारखानों के लिए आयात की गई मोटरगाड़ियों और कल पुर्जों का उपयोग न करना

4185. **श्री राम सहाय पाण्डे :**
श्री मूलचन्द डागा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों को सप्लाई करने के लिए बुलगारिया और रुमानिया से आयात की गई बहुत सी मोटरगाडियों और उनके कल पुर्जों को उपयोगी नहीं पाया गया है, अतः वे अप्रयुक्त पडे है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर कुल कितनी पूंजी खर्च की गई;

(ग) इन मोटार गाडियों/मशीनों और उनके कल पूर्जों के आयात की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी और किस किस एजेंसी ने उनका आयात किया; और

(घ) क्या उक्त मशीनों के आयातकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और आयुध कारखानों द्वारा उन्हें बदलने या उनके निपटारे के लिए कोई कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) : प्रश्न सम्भवत: 3 टन के हल्के ट्रकों से सम्बन्धित है । चूंकि पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है अत: उसे एकत्र किया जा रहा है और सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

तमिलनाडु में खनिजों के विकास के लिए धन का नियतन

4186. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में खनिज निकालने के लिए बहुत बडी राशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अग्रिम कार्यवाही कहां तक पूरी हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

Allotment of Land to Dependents of Soldiers of Uttarakhand Killed During Wars

4187. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state : (a) the number of military-men belonging to Uttar Pradesh, particularly Uttarakhand, who were disabled during the last Sino-Indian war and the last two Indo-Pak wars or the number of such families of the military-men belonging to the said areas killed in action, who do not possess any agricultural land of their own and who have been provided land by the Government and the number of those among them who have not been provided any land, indicating the reasons for which no land has been provided to them so far ;

(b) the action proposed to be taken by Government to ensure that these disabled soldiers or the families of soldiers killed in action are allotted land immediately ; and

(c) other schemes or of those under contemplation by Government for settling the said persons ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b). Since allotment of land is made by State Governments under their respective land laws/rules through their officers' uptodate information regarding total area of land allotted so far to the families of the servicemen killed in different conflicts is not available. However, Government of U. P. have informed that high priority is accorded in allotment of land to landless dependents of servicemen, from U. P., killed in enemy action. Higher priority is given to the gallantry awardees belonging to Kumaon and Garhwal Divisions. The precise figures regarding land holding of service personnel belonging to U. P., particularly Uttar Khand and rendered disabled or killed during the Chinese aggression and the Indo-Pak wars, and other figures regarding allotment of and to them are not readily available.

(c) The Government have liberalised pensionary awards for war widows and war disabled servicemen. The benefit of these orders is admissible to those injured in battle in 1962, 1965 and 1971 operations and the dependents of those killed in action.

In addition, a number of measures have been taken by the Government to ensure rehabilitation of those disabled in operations and the families of those disabled and those killed in action. Upto two members each of the family of any member of the Armed Forces killed in action may be appointed in class III and class IV posts under the Central Government by direct recruitment, without registration at the Employment Exchanges. Furthermore, for the purpose of appointment to class III and class IV posts, under the Central Government, which are filled through Employment Exchanges, members of the Armed Forces disabled in operations are accorded the highest available priority and upto two members of each family of service personnel killed in action are given the next lower priority. Disabled ex-servicemen are also given preference over other ex-servicemen for absorption against the reserved vacancies for class III and class IV posts filled by direct recruitment. The total extent of reservation has also been en hanced up to 50%, the additional vacancies so created, being exclusively filed by disabled ex-servicemen.

In addition, Indian Oil Corporation have agreed to accord priority to widows and dependents of ex-servicemen killed in action and to service personnel disabled in operations in matters of allotment of agencies for Gas and Kerosene apart from petrol pumps. Kiosks are also being allotted to disabled servicemen and dependents of personnel killed in action.

Ex-gratia grants have been provided to those disabled and families of those killed in action. They are also accorded priority in allotment of residential plots/flats, priority for grant of land for house building and supply of construction material. Furthermore, children of those disabled/killed in action are also entitled to enducational concessions.

सोवियत संघ द्वारा भारत को मिग-23 विमानों की सप्लाई

4188. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 1973 के "स्टैट्समैन" में "बीटवीन दि लाइन्स" शीर्षक से छपे इस आशय के समाचार को देखा है कि सोवियत संघ ने भारत को मिग-23 विमान देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने रिपोर्ट देखी है । इसमें मिग-23 विमान के प्रसंग वस्तुतः गलत है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्षों की सेवाएं

4189. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त हो रहे स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना अध्यक्षों जैसे युद्ध के अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं आवश्यकता पड़ने पर देश को प्राप्त होती रहें ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : इस बात का सुनिश्चय कर लिया गया है कि युद्ध के अनुभवी लोगों की सेवाएं उन्हें रिजर्व में रखने पर देश को उपलब्ध हो । रिजर्व में रखे जाने के उत्तरदायित्व संलग्न विवरण में दिए गए हैं :

विवरण

थल सेना

(1) अफसर . सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पर सेवानिवृत्त होने पर थल सेना के अफसरों पर कोई रिजर्व दायित्व नहीं है ; केवल समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पर पहुंचने तक का दायित्व होता है ।

(2) अन्य रैंक . 10–18 वर्ष की सक्रिय सेवा करने के पश्चात अन्य रैंक को 5 से 3 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व में रखा जाता है ।

नौसेना

(1) अफसर . नौसेना में अफसरों को केवल 55 वर्ष की आयु तक रिजर्व दायित्व है । जो इस आयु के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं उनपर कोई रिजर्व दायित्व नहीं होता है ।

(2) नौसैनिक . सक्रिय सेवा की अवधि समाप्त करने पर नौसैनिक को 10 वर्ष की अवधि अथवा 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें जो भी पहले हो, रिजर्व में रखा जाता है। आवश्यकतानुसार उन्हें 47 वर्ष की आयु तक रिजर्व में रखा जा सकता है ।

वायु सेना

(1) अफसर . सेवानिवृत्त होने पर सामान्यत: वायुसेना अफसरों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व का दायित्व होता है ।

(2) वायुसैनिक सामान्यत: वायुसैनिकों पर सक्रिय सेवा समाप्त करने पर 6–9 वर्षों तक की अवधि के लिए रिजर्व का दायित्व होता है ।

खेतड़ी परियोजना से ताम्बे का विपणन

4190. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र की खेतड़ी परियोजना का तांबा मंडी में आ गया है ; और

(ख) इस संयंत्र की वर्तमान उत्पादन और कार्यक्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) खेतड़ी ताम्र परियोजना अभी सन्निर्माणाधीन है और उसमें 1974 के प्रथम चरण से उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है । संयंत्र में से प्रतिवर्ष लगभग 31,000 टन ताम्र धातु के उत्पादन होने का अनुमान है ।

घाना में 'लायलटी' समूह की भारतीयों की कम्पनियों को वहां की सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना

4192. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्करा (घाना) स्थित 'लायलटी' समूह की भारतीयों की कम्पनियों का नियंत्रण वहां की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उनके प्रबन्धकों ने सरकार से उनकी ओर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार फर्मों के इस ग्रुप से संपर्क बनाए हुए है और वहां की सरकार द्वारा इन्हें अपने हाथ में ले लिए जाने का पूरा ब्यौरा एकत्र कर रही है जिसमें उनकी आस्तियों और देनदारियों का ब्यौरा भी शामिल है; यह काम हो जाने पर ही इस मामले को संबद्ध पक्षों के साथ उठाया जाएगा।

Thrift and Credit Societies for Coal Mine Workers

4193. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of coal mines where Thrift and Credit Societies have been set up indicating the number thereof and the terms and conditions, which are to be fulfilled in these Societies;

(b) whether workers are given loans at uniform rate of interest by all these societies; and

(c) if so, the facts thereof and the period for which such loans are given?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunath Reddy) : (a) to (c). The information is being collected.

Loss of Mine Workers due to Installation of Weighing Machines in Mines

4194. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether by installation of weighing machines in coal mines, only managing bodies are benefited and workers are put to loss; and

(b) if so, the measures taken by Government to save the workers from suffering such loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) No; Sir.

(b) Does not rise.

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में नियुक्त मैसूर के व्यक्ति

4195. **श्री ए० के० कोत्राशेट्टी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर में मैसूर के कितने व्यक्ति कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी काडर में नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1968 से अब तक वहां कितने इंजीनियरों को नियुक्त किया गया तथा उनमें कितने व्यक्ति मैसूर के हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : पूछी गई सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	मैसूर के रहने वालों की संख्या
गैर कार्यकारी . . .	11893	8451
कार्यकारी . . .	1003	485
भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० में 1968 से नियुक्त किए गए इंजीनियरों की संख्या . . .	415	170

मैसूर सरकार द्वारा चित्रदुर्ग कॉपर कम्पनी में भाग लेना

4196. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित हिन्दुस्तान कॉपर कारपोरेशन के बारे में केन्द्रीय सरकार से कहा है, कि वह चित्रदुर्ग कॉपर कम्पनी में शेयर लेना चाहती है ताकि राज्य युनिट हसन जिले में कलयादी और गुलबर्ग जिले में टिटीनी में निक्षेप निकाल सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : मैसूर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नहीं कहा है। केन्द्रीय सरकार के मेसर्स चित्रदर्ग कॉपर कम्पनी, मैसूर की साम्या-पूंजी में भागीदार बनने की सम्भाव्यता के बारे में राज्य सरकार के साथ परामर्श करके परीक्षण किया जा रहा है।

चीन-भारत संबंधों में सुधार

4197. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री एच० एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात स्थित करने के लिए ऐसा कोई संकेत मिला है कि चीन-भारत संबंधों को सुधारने का प्रश्न चीन के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) उसके आधार क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : चीनियों ने कुछ ऊंचे स्तर पर पीकिंग में आयोजित हमारे गणराज्य दिवस समारोह में भाग लिया और हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने राजदूतावास के प्रमुख के पद पर एक वरिष्ठतर राजनयिक भेजा है। तमाम संसार में चीनी अधिकारी-गण और राजनयिक अपने भारतीय समपदाधिकारियों के साथ संपर्क में अधिक सामान्य रूख दिखला रहे हैं।

कारों के मूल्य में वृद्धि

4198. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1973 से एम्बसेडर और फिवट कारों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी का मूल्य तथा खुदरा मूल्यों में कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) फैक्टरी से निकलते समय के 31–12–1972 के विद्यमान खुदरा मूल्य पर प्रत्येक मामले में वृद्धि करने की अनुमति निम्मलिखित है :—.

एम्बसेडर	272 रु० प्रति कार
फिएट 1100—डी—प्रमियर या प्रेसीडन्ट .	339 रु० प्रति कार

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार एम्बेसेडर और फिएट कारों की कीमतों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी ।

वाहनों के निर्माण के लिए आटोमोबाईल प्रोडक्ट्स ऑफ इण्डिया को औद्योगिक लाइसेंस देना

4199. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया को प्रति वर्ष 48,000 वाहनों के निर्माण के लिए, औद्योगिक लाइसेंस मिला है ;

(ख) क्या उसी कम्पनी को अन्य मदों के निर्माण के लिए लाइसेंस तथा आशय पत्र मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : कम्पनी को निम्नलिखित के लिए औद्योगिक लाइसेंस भी दिये गये हैं :—

(1) प्रतापगढ (उत्तर प्रदेश) में प्रतिवर्ष 12,000 ट्रैक्टर की क्षमता वाला एक ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करना ।

(2) ब्रेक एसेम्बलीज़ तथा क्लच एसेम्बलीज़ को प्रतिवर्ष क्रमशः 100,000 संख्या तथा 150,000 संख्या में निर्माण करने की अपनी विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता का विस्तार करना ।

साईकिल रिक्शा चालकों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर रिक्शा का आबंटन

4200. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पंजाब सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन साईकिल रिक्शा चालकों को स्कूटर देने में प्राथमिकता दी जाये जो अपना व्यवसाय बदलना चाहते हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मंत्रालय को इस प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

Invitations to Prime Minister for Visits Abroad

4201. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the countries from which the Prime Minister received invitations for her visit during 1973 and those she is likely to pay an official visit to; and

(b) the dates of her visits if fixed?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b). Invitations to the Prime Minister to visit the following countries, among others, are pending:

Algeria, Bulgaria, Canada, Fiji, German Democratic Republic, Iraq, Italy, Malta, Mongolia, Philippines, Poland, Rumania, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tonga, Tunisia, Arab Republic of Egypt, United Kingdom, Yemen Arab Republic, Yugoslavia and Zaire.

Dates for such visits are fixed according to the mutual convenience of the host country and our Prime Minister and simultaneously announced by the two Governments. No announcement has so far been made regarding any visits during the rest of the year.

देश में निर्मित ट्रक्टरों की मांग में कमी

4202. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले एककों को ट्रैक्टरों की मांग की कमी के कारण काफी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले एक एकक ने अपना काम बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ट्रैक्टरों का आयात बन्द करने का है क्योंकि भारतीय उद्योग सारी मांग को पूरा करने में समर्थ हैं ; और

(घ) क्या देश में निर्मित ट्रैक्टरों पर लगने वाले अनेक करों को कम करने तथा बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को भारतीय कृषि में खपाने के लिए किसानों को ऋण संबंधी सुविधाएं देने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : ट्रैक्टरों की मांग में गिरावट आ जाने के कारण कुछ ट्रैक्टर उत्पादक एककों ने अपना उत्पादन धीमा कर दिया था। किन्तु इस कारण किसी भी एकक में उत्पादन बन्द नहीं हुआ है।

(ग) देशी उद्योगों की पूरी तौर पर मांग पुरा करने की क्षमता को देखते हुए निकट भविष्य में ट्रैक्टरों के आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

(घ) ट्रैक्टर उत्पादकों द्वारा देश में बने ट्रैक्टरों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क तथा आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क में रियायत देने का सुझाव दिया गया है । ट्रैक्टर खरीदने के लिये बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रणाली को सरल बना दिया गया है । बैंकों द्वारा ऋण स्वीकार करते समय अब भूमि को बन्धक रखने के लिये जोर नहीं दिया जाता ।

Production of cars by Maruti Limited

4203. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in regard to the manufacture of small car in Maruti factory;

(b) if so, the gist thereof;

(c) whether there would be no production within the prescribed time; and

(d) if so, the reasons therefor and the estimated loss to be sustained as a result of the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). M/s. Maruti Ltd. have been granted a letter of intent for the manufacture of passenger cars on certain conditions. Prototypes of the car are in various stages of trials in the factory. The letter of intent will be converted into an industrial licence after all the conditions of the letter of intent have been fulfilled. The question of commencement of production within the prescribed time will arise only after an industrial licence has been issued to them.

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ओर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में निर्मित बिजली पैदा करने वाले एककों में आयातित सामग्री का प्रयोग होना

4204. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में पहले से निर्मित तथा इस समय निर्मित किए जा रहे बिजली पैदा करने वाले एककों में प्रयोग की जा रही आयातित सामग्री की प्रतिशतता कितनी है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : आयातित सामग्री का प्रतिशत न केवल प्रत्येक उत्पाद के विषय में भिन्न है अपितु संयंत्र से भी उसमें भिन्नता है। इसका कारण संयंत्रों में किया गया विकास है। निर्मित हो चुके ब्वायलरों में 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, थरमल विद्युत केन्द्रों के टरबों सेटों में लगभग 80 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तथा हाइड्रो सेटों में वह 30 से 20 प्रतिशत तक घटकर नीचे पहुँच गया है।

ट्रैक्टरों का आयात, उसका देश में निर्माण तथा मांग

4205. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर निर्माताओं ने और अधिक ट्रैक्टरों का आयात करने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ख) आगामी दस वर्षों में ट्रैक्टरों की कितनी मांग होगी, देश में उसकी निर्माण क्षमता कितनी होगी तथा उसका कितना निर्माण होगा और उस अवधि में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) भावी मांग तैयार करने में रत अभिकरणों से उपलब्ध संकेतों के अनुसार ट्रैक्टरों की वार्षिक मांग 1978–79 तक 80,000 हो जाने की संभावना है। देश में स्थापित ट्रैक्टर बनाने वाले उद्योग मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे तथा आयात करना आवश्यक नहीं रहेगा।

विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चयन

4206. **श्री एल० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वैज्ञानिक सलाहकार ने रक्षा मंत्री को यह सुझाव दिया है कि भविष्य में चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न कराके विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) विज्ञान तथा तकनीक के मंत्रियों के स्थायी ग्रुप ने अनुभव किया कि वैज्ञानिक तथा तकनीक संगठनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल कार्मिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तदनुसार उन्होंने एक उपसमिति का गठन किया है जिसने सिफ़ारिश की है कि भविष्य में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के वैज्ञानिकों तथा तकनीक वालों की भर्ती तथा पदोन्नति को संघ लोक सेवा आयोग की सीमा से निकाल लिया जाय तथा उसे उपयुक्त रीति से गठित किए गए सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किया जाय।

(ख) तथा (ग) : मामला सरकार के विचाराधीन है।

Proposal for fixing Royalty on Laterite

4207. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether Government have under consideration any proposal to fix royalty on laterite?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): Rate of royalty on laterite is already prescribed and shown against item No. 43 of the Second Schedule to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

राज्यों में खनिज का उपयोग

4208. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस राज्य में औद्योगिक खनिजों को उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है, जहां यह उपलब्ध होता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी, नहीं।

"विक्टोरिया क्रास" विजेताओं की सूची

4209. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में 22 फरवरी, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 545 के उत्तर में दी गई सूची जिसमें विक्टोरिया क्रास विजेताओं के 32 नाम हैं, विस्तृत है और उसमें उन सभी सैनिक वीरों के नाम हैं जिन्होंने प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में सर्वोच्च "गैलेंटरी एवार्ड" जीते थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या तहसील हमीर पुर, (जो पहले पंजाब के कांगड़ा जिले में थी) जो अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है की 2-41 वीं डोगरा रेजीमेंट के एल० नायक लाल ने भी 21 जनवरी, 1915 को अपने अदम्य साहस और वीरती के प्रदर्शन के लिए "विक्टोरिया क्रास" जीता था ;

(ग) यदि हां, तो उनका नाम छूट जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार और भी कोई नाम छूट गए है; और

(ङ) यदि हां, तो पुरस्कार की तिथियां सम्बन्धित यूनिटों/रेजिमेटों जिनमें वे थे--तथा उनके स्थायी पतों सहित पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् । इसमें वे शामिल नहीं हैं जो पाकिस्तान में जाकर बस गए थे और वे नेपाली गोरखा जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेवा करने के लिए अपना विकल्प दिया था ।

(ख) जी हां , श्रीमन् । लांस नायक लाला को 21-1-1916 को विक्टोरिया क्रास दिया गया था ।

(ग) से (ङ) : लांस नायक लाला की 1927 में मृत्यु हो गई थी । उनका नाम भूल से उस सूची में दिखाया गया था, जो देश के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में जाकर बस गए थे और इस प्रकार उनका नाम रह गया इसके अतिरिक्त लांस नायक भान भगत गुरूंग का नाम भूल से उक्त सूची में छप गया था, यद्यपि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेवा करने के लिए अपना विकल्प दिया था । इन भूलों का सुधार कर लिया गया है । शुद्ध और पूर्ण सूची संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—4549/73**]

भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड

4210. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्ड अखिल भारतीय स्तर और विभिन्न राज्यों के स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता और कल्याण के लिए सन्तोषप्रद रूप से काम कर रहा है, यदि हां, तो इस समय अखिल भारतीय बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे आर्थिक एवं कल्याण कार्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए कितनी तथा कौन-कौन सी निधियां बनाई गई हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1972 को प्रत्येक निधि में कितना-कितना रुपया शेष था ;

(घ) जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चन्डीगढ़ के राज्य बोर्डों के सचिवों के नाम और उनका दर्जा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में जिला सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक बोर्डों के सचिवों को कितना वेतन दिया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक):(क) जी हां, श्रीमन् । 1963 में गठित और समय समय पर संशोधित, भारतीय सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड का वर्तमान गठन विवरण एक में दिया गया है । बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : सूचना विवरण दो में दी गई है ।

(घ) जम्मू व काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्यों और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघशासित क्षेत्रों के राज्य बोर्डों के सचिवों के नाम तथा स्तर निम्नांकित हैं :—

राज्य का नाम	राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड के सचिव का नाम तथा स्तर
1	2
जम्मू तथा काश्मीर .	कर्नल कंवल सिंह (सेवानिवृत्त) ।
पंजाब . . .	श्री आर० एस० तलवार, आई० ए० एस०, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव । वह पंजाब राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड, चंडीगढ़ के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं ।
हिमाचल प्रदेश . .	श्री एन० सी० कौशल, अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य । वह हिमाचल प्रदेश राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड, शिमला के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं ।
हरियाणा . .	ले० कर्नल आर० डी० वशिष्ट (सेवानिवृत्त)
राजस्थान . .	श्री बेनी सिंह, उपसचिव, राजस्थान सरकार । वह राजस्थान राज्य सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड, जयपुर के सचिव के रूप में कार्य कर रहे है ।
दिल्ली . .	दिल्ली में कोई राज्य सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड नहीं है । श्री एस० एल० अरोरा, उपसचिव (सिंचाई एवं बाढ़) दिल्ली प्रशासन जिला सैनिक, नौसैनिक तथा वैमानिक बोर्ड, दिल्ली के कार्य को देखने के लिए जिम्मेवार है । मेजर यू० आर० यादव जिला सैनिक, नौसैनिक, वैमानिक बोर्ड, दिल्ली राज्य के सचिव हैं ।
चंडीगढ़ . .	चंडीगढ़ में कोई जिला सैनिक, नौसैनिक और वैमानिक बोर्ड नहीं है । उपायुक्त चंडीगढ़ भूतपूर्व सैनिकों, कार्य कर रहे सैनिकों और मृत कार्मिकों के परिवारों के कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं ।

(ङ) राज्य-जिला सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड सीधे ही राज्य सरकारों के अधीन कार्य कर रहे हैं अतः सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

विवरण—एक

भारतीय सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष

रक्षा मंत्री

सदस्य—

रक्षा मंत्रालय में अन्य मंत्री

मुख्य मंत्री, जम्मू तथा काश्मीर

मुख्य मंत्री, केरल

मुख्य मंत्री, राजस्थान

मुख्य मंत्री, पंजाब

मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश

मुख्य मंत्री, हरियाणा

श्रम एवं यातायात मंत्री, आन्ध्र प्रदेश राज्य

योजना एवं विकास सांख्यिकी, श्रम, नगर एवं कस्बा योजना उद्योग एवं विद्युत (बिजली) मंत्री, असम सरकार

गृह मंत्री, गजरात सरकार

गृह मंत्री, मैसूर सरकार

स्थानीय प्रशासन के मंत्री, तमिल नाडु सरकार

गृह मंत्री, उड़ीसा सरकार

राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के कार्यकारी मंत्री, प० बंगाल सरकार

सामान्य प्रशासन और जेल राज्य मंत्री, बिहार सरकार

उपमख्य मंत्री (गृह) मध्य प्रदेश सरकार

श्री यू० एन० महीदा

श्री हेम राज

श्री आरकार सिह

रक्षा मंत्रालय के सचिवं

सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायुसेनाध्यक्ष

वित्तीय सलाहकार, वित्त (रक्षा) मंत्रालय

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक

रोजगार एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

पुर्नव्यवस्थापन के महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय

महासचिव, इंडियन रैड क्रास सोसाइटी

जनरल के० एम० केरिअप्पा (सेवानिवृत्त)

ए० बी० एम० डी० ए० आर० नन्दा (सेवानिवृत्त)

ले० जनरल एस० पी० पी; थोरट (सेवानिवृत्त)

रियर एडमिरल ए० चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त)

ब्रिगडियर शेरजंग थापा (सेवा निवृत्त)

श्रीमती इ० डब्लू० पिन्टो (महिला सदस्य)

सचिव—

सचिव, भारतीय सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड ।

विवरण--दो

(ख) बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे आर्थिक तथा कल्याण कार्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए कितनी तथा कौन कौन सी निधियां बनाई गई हैं।

भारतीय सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड द्वारा निम्नांकित सात निधियां चलाई जा रही हैं :—

(1) स्पेशल फण्ड फार रिकन्शट्रेक्शन एण्ड रिहेबीलीटेशन आफ एक्स सर्विसमेन

(2) सैन्ट्रल पोस्ट वार रिसैटिलमेन्ट फण्ड

(3) आमर्ड फोर्सिस वैनीवोलेन्ट फण्ड

(4) आमर्ड फोर्सिस रिकन्शट्रक्शन फण्ड

(5) भारतीय सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड निधि

(6) झण्डा दिवस निधि

(7) भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि।

(ग) **31 दिसम्बर, 1972 को प्रत्येक निधि में कितना कितना रुपया शेष था** :—31-12-1972 को रोकड़ अधिशेष (रोकड़ आवधिक जमा एवं बैंक बचत लेखा के रूप में) और सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हर एक निधि के बारे में निम्नांकित हैं :—

निधि का नाम	धन राशि रुपये
भूतपूर्व सैनिकों के पुर्ननिर्माण एवं पुनर्वास के लिए विशेष निधि .	1,86,26,925.53
केन्द्रीय युद्धोपरान्त पुर्नव्यवस्थापन निधि	5,71,850.97
सशस्त्र सेना कल्याण निधि	37,72,803.30
सशस्त्र सेना पुर्ननिर्माण निधि	1,42,36,010.05
भारतीय सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड निधि . . .	18,32,349.27
झण्डा दिबस निधि	76,60,170.21
भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण निधि . . .	10,65,295.23

राज्यों में प्रादेशिक सेना के लिए परामर्शदात्री समितियों का गठन और उनके सदस्यों के नाम

4211. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न राज्यों में प्रादेशिक सेना परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका गठन कब किया गया तथा जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गठित इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में इन समितियों की कितनी बैठकें हुई ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) :(क) जम्मू तथा काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर सब राज्यों में प्रादेशिक सेना परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है। तथापि असम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय के लिए एक मिली जुली परामर्शदात्री समिति है।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—4560/73**]

बंगाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाना

4212. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मध्य) ने कलकत्ता में बंगाल चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री को कहा है कि वह अपने कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की व्यवस्था तथा कर्मचारी परिवार पेंशन योजना को लागू करें;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री नें सरकार के निदेशों को क्रियान्वित किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कानून के उपबंधों की क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए चैम्बर आफ कामर्स से बैंक गारंटी लेने तथा कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है।

(क) और (ख) : दो मार्च, 1973 को, पश्चिम बंगाल के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त ने बंगाल वाणिज्य और उद्योग मण्डल, कलकत्ता को यह सूचना दी कि मण्डल पर कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1-8-1972 से लागू कर दी गई है और यह कि पत्र के मिलने की तारीख से एक पखवाड़े के अन्दर अन्दर देय अंशदानों के दोनों भाग जमा करा दिए जाने चाहिएँ। अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

अमृतसर छावनी में रक्षा इमारतें बनाने में ठेकेदारों द्वारा प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री की किस्म

4213. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर छावनी में रक्षा इमारतें ठकेदारों द्वारा बनाई गई थी;

(ख) क्या इन ठेकेदारों ने घटिया किस्म की रेत और अन्य निर्माण सामग्री का प्रयोग किया था;

(ग) क्या इस बारे में कोई जाच की गई थी और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी;

(घ) क्या वही ठेकेदार खसरा छावनी में रक्षा इमारतों का निर्माण कर रहे हैं और घटिया किस्म की निर्माण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ङ) खसरा छावनी में किस तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिकों को मजदूरी अधिनियम की अदायगी का लाभ देने का प्रस्ताव

4214. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों को मजूरी अधिनियम की अदायगी का लाभ देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

युद्धबंदियों को स्वदेश भेजने की शर्त पर बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो का कथित वक्तव्य

4215. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री यमुनाप्रसाद मंडल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश को मान्यता इस शर्त पर दी जायेगी कि वह युद्धबन्दियों को स्वदेश भेज दे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या हाल ही का यह वक्तव्य शिमला समझौते की भावना के विपरीत है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने वह प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें राष्ट्रपति भुट्टो के हाल में दिए गए उन वक्तव्यों को प्रकाशित किया जिनमें उन्होंने पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता प्रदान करने से पहले युद्धबंदियों की वापसी तथा अन्य शर्तें रखी हैं ।

(ख) और (ग) : सरकार का विचार है कि पाकिस्तान के इस रवैये से शिमला समझौते के अनुरूप इस उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति स्थापित करने तथा सम्बन्धों को सामान्य बनाने के काम में और अधिक विलम्ब ही होगा ।

दण्डकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सुविधायें

4216. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **श्रम** और **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वर्ष 1959 से वर्दी, अंशदायी भविष्य निधि, श्रेणीबद्ध करना, 50 प्रतिशत स्थायी बनाना, बाल शिक्षा भत्ता जैसी सुविधायें नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भूल के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या दण्डकारण्य परियोजना के चौकीदार, रसोइये, सफ़ाई कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारीयों को आठ घंटे से अधिक काम करने के लिये कहा जाता है, और उन्हें कोई साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं दी जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को परिवहन सुविधायें

4217. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को केवल मेडिकल आधार पर ही एल० टी० सी० पर मोटर गाड़ियां दी जाती हैं जब कि भारत सरकार के संबंधित आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है कि दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में दौरे संबंधी यात्रा को स्थानीय यात्रा समझा जाये और क्या संबंधित कर्मचारी संघ ने इस आदेश का इस आधार पर विरोध किया था कि उक्त आदेश दण्डकारण्य परियोजना पर लागू नहीं होता और यदि हां, तो क्या ये प्रतिबन्ध हटा दिये गये है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं। दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को दोनों एल० टी० सी० तथा मेडीकल आधार पर मोटर गाड़ियां दी जाती हैं।

(ख) सरकार द्वारा अप्रैल, 1972 में सामान्य आदेश जारी किए गए थे जिनके अनुसार परियोजना भत्ता, यदि देय है, की निर्धारित सीमा के अन्दर आने वाले दो स्थानों की यात्रा को स्थानीय यात्रा समझा जाय। दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी स्वत: ही इन आदेशों के अधीन आ जाते हैं। उन्होने इन आदेशों का विरोध किया है और दण्डकारण्य परियोजना को इन आदेशों में की गई व्यवस्था से छूट देने का मामला सक्रिय विचाराधीन है।

विदेशों में इस्पात संयंत्र स्थापित करना

4218. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विदेशों में इस्पात परियोजनाओं की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने ईराक में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) जी, हां, जहां कहीं संभव होगा।

(ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, (सरकारी क्षेत्र का संस्थान) ने ईराक में एक छोटा इस्पात कारखाना लगाने के लिए इस वर्ष फरवरी में एक टेंडर दिया है। ईराक सरकार द्वारा टेका देने के बारे में किसी निर्णय का अभी कोई समाचार नहीं मिला है।

भारत और नेपाल के बीच शांति समझौते को पुनः लागू करना

4219. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामसहाय पांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल सरकार ने दोनों देशों के बीच शांति समझौते को पुन: लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या इस बारे में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) भारत-नेपाल शांति एवं मित्रता संधि पर 1950 में हस्ताक्षर हुए थे और तभी से यह लागू है। इसलिए इस संधि को पुनः सम्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

10,000 बंगालियों की रिहाई के लिये पाकिस्तान का प्रस्ताव

4220. **श्री रानेन सेन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का विचार 10,000 बंगालियों को बंगला देश वापस भेजने का है; और

(ख) क्या इस नई स्थिति को देखते हुए सरकार युद्धबंदियों के प्रश्न पर बंगला देश से विचार-विमर्श कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इसकी जानकारी है कि पाकिस्तान ने बंगला देश मूल के करीब 15,000 लोगों की सूची, जिनमें अधिकांश दीन-हीन व्यक्तियों तथा गैर-कार्मिकों के परिवारों के सदस्य हैं, बंगला देश सरकार को, बंगला देश में उनके संभावित प्रत्यावर्त्तन की दृष्टि से भेजी है।

(ख) सरकार इस विषय पर तथा इसके सम्बद्ध अन्य मसलों पर बंगलादेश सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

राजस्थान के युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास और उन्हें दी गई सहायता

4221. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास और उन्हें आवश्यक सहायता देने का कार्य इस के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य से बहुत पीछे है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी विधवाओं को सभी आवश्यक सहायता देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) इन विधवाओं को कब तक आवश्यक काम दे दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक):(क) से (ग) : पुनर्वास योजना का मुख्य भाग उदार पेन्शन लाभ है जिसमें जे० सी० ओज-ओ० आर० के बारे में लिया गया अन्तिम वेतन और अफसरों की विधवाओं के मामले में अफसर द्वारा मृत्यु के समय धारक पद के वेतन का तीन-चौथाई होता है। ये लाभ सभी पात्र मामलों में मंजूर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में मृत व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्रथम डिग्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की अनुमति दे दी गई है। जिसमें पुस्तकों तथा लेखन-सामग्री जहां अनिवार्य हो वर्दी भोजन-आवास का खर्च भी सम्मिलित है। इन सुविधाओं को पाने के लिए राजस्थान के बच्चों सहित सभी पात्र बच्चों को पात्रता-पत्र जारी कर दिए गए हैं।

जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, मृत सैनिकों के दो आश्रितों तक को जिसमें विधवाएं भी सम्मिलित है, रोजगार पाने में अग्रता प्रदान की गई है। जहां विधवाएं स्वनियोजन योजना और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा पाना चाहती हैं उन्हें सहायता देने के प्रबन्ध भी किए गए हैं। ये दोनों प्रकार की रियायतें केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के सरकारी क्षेत्र उद्यमों के माध्यम से चलाई जा रही है। मृत सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों को राजस्थान में 25,

25 बीघा भूमि आबंटित की जा रही है। रोजगार-स्वरोजगार-व्यावसायिक प्रशिक्षण के अनुरोध अपेक्षाकृत कुछ ही हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिमी जर्मनी की तुलना में भारत में स्टेनलेस स्टील के मूल्य

4222. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेनलेस स्टील पश्चिमी जर्मनी के स्टेनलेस स्टील की तुलना में सस्ता है ;

(ख) क्या स्टेनलेस स्टील में निकल का कम प्रयोग करने से इसके मूल्य और कम हो सकते हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में कोई अनुसंधान कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सीमा-शुल्क में हाल में की गई वृद्धि से पहले पश्चिमी जर्मनी से बेदाग इस्पात की चादरें तथा प्लेटें, इन वस्तुओं के तत्कालीन घरेलू मूल्यों से कम मूल्यों पर आयात की गई हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) बेदाग इस्पात के, जो उपभोक्ताओं को भी स्वीकार्य हो, सस्ते उत्पादन के लिए राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोग शाला, जमशेदपुर में अनुसंधान कार्य जारी है ।

सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके पुनर्वास के लिए एक निगम की स्थापना करना

4223. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेवाओं के भूतपूर्व अधिकारियों का विचार सेवा-निवृत्ति के बाद अपने पुनर्वास के लिए एक निगम की स्थापना करने का है;

(ख) क्या इन सेवा-निवृत्त अधिकारियों ने इस बारे में सरकार को अनुमति के लिए एक योजना पेश की है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) से (ग) : सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त अफसरों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

ईरान द्वारा अमरीका में सैनिक साज सामान खरीद

4224. **श्री शंकरराव सावंत :**
श्री समर गुह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इरान ने अमरीका से असाधारण रूप से अधिक मात्रा में सैनिक साज सामान और विमान खरीदे हैं।

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस सैनिक साज सामान और विमानों के पाकिस्तान पहुंचने की बडी संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस आकस्मिक खतरे का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इरान द्वारा अमेरिका से हाल ही में खरीदे गए सैनिक उपस्करों के संबंध में सरकार को जानकारी है।

(ख) तथा (ग) : अमेरिका का विधान तथा कार्यकारी अनुदेश अमेरिका से शस्त्रों को अर्जित करके किसी तीसरे देश को हस्तान्तरण करने का निषेध करते हैं । जब ऐसे हस्तान्तरण की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई तब उनपर समुचित कार्यवाई की गई है। पाकिस्तान को सैनिक उपस्करों के मिलने की संभावना के संबंध में सरकार सजग है तथा स्थिति पर सावधानी से नज़र रखे हुए है।

भारत द्वारा हिन्द महासागर बेड़ा बनाए जाने का सुझाव

4225. श्री शंकरराव सावंत :
श्री धर्मराव अफजलपूरकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल नन्दा ने भारत द्वारा हिन्द महासागर में बेड़ा बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बेड़े का क्या अभिप्राय है और इस बेड़े में क्या क्या होगा; और

(ग) इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

समूचे कोयला खान उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाना

4226. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे कोयला खान उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब तक पुरी कर ली जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : इस्पात संयंत्रों के नि **यंत्रण** धीन खानों को छोड़कर देश में की समस्त कोककारी कोयला खाने 1-5-1972 से राष्ट्रीयकृत हो चुकी है । कुछेक कोयला खाने पहले से ही पब्लिक सेक्टर में है जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और सिंगरैनी कोलरीज कं० के प्रबन्धाधीन है। अवशिष्ट गैर-क़ोककारी कोयला खानों का प्रबन्ध भी हाल में कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अधीन उनके राष्ट्रीयकरण तक ग्रहण किया गया है।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के लिए सलाहकार बोर्ड

4227. **श्री राम प्रकाश** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नियंत्रण में ली गई गैर-कोकिंग कोयला खानों के लिए इस बीच सलाहकार बोर्ड गठित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन है और इसके कृत्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा):(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने ग्रहीत गैर-कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध में महाअभिरक्षक को सलाह देने के लिए कोयला खान सलाहकार बोर्ड गठित किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री जे० जी० कुमारमंगलम्, महाअभिरक्षक, कोयला खान

सदस्य

2. श्री आर० सी० दत्त, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड।
3. श्री के० एस० आर० चारी, मुख्य तकनीकी सलाहकार, खान विभाग।
4. श्री एस० बी० लाल, संयुक्त सचिव खान विभाग।
5. श्री पी० के० घोष, कोयला नियंत्रक और अध्यक्ष, कोयला बोर्ड।
6. श्री एच० बी० घोष, महानिदेशक, खान सुरक्षा, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय।
7. श्री आर० जे० टी० डी० मल्लो, मुख्य श्रम-आयुक्त, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय।
8. श्री आर० श्रीनिवासन, मुख्य संचालय अधीक्षक, पूर्वी रेलवे।

भारत अर्थ मूवर्ज द्वारा खनन मशीनों को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौंपना

4228. **श्री डी० के० पंडा** :
श्री राजदेव सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्ज, खनन मशीनों को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौंप रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):(क) तथा (ख): भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कोई भी खनन मंत्रों का निर्माण नहीं करता है किन्तु वह विभिन्न प्रकार के हेवी अर्थ मूविंग उपस्करों का उत्पादन करता है जिनका खनन उपक्रम भी प्रयोग करता है। राष्ट्रीय

खनिज विकास निगम, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से अपनी निम्नलिखित प्रकार के हेवी अर्थ मूविंग उपस्करों को खरीदता रहा है :—

1. बुल्डोज़र टाइप डी 80-ए-8, डी 120-6 तथा डी 120-ए-18;

2. डम्पर टाइप 35-टन तथा 50-टन;

3. मोटर ग्रेडर; तथा

4. स्क्रेचर ।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन मे वृद्धि

4229. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में पिछली बार कब वृद्धि की गई थी; और

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में और वृद्धि कब की जायगी और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) भूतपूर्व सैनिकों (रिजर्विस्टों सहित) की पेंशन में अन्तिम वृद्धि पहली मार्च 1970 से की गई थी जबकि न्यूनतम पेंशन 40 रुपए प्रतिमास बढाई गई थी ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

हरियाणा मे ढलवा लोहे के संयंत्र की स्थापना करना

4230. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा के महेन्द्रगढ जिले में, जहां पर लौह अयस्क काफी मात्रा में मिला है, सरकारी क्षेत्र में ढलवां लोहे का संयंत्र स्थापित करने का हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार नारनौल, जहां लौह अयस्क उपलब्ध है, और निकट के खेतड़ी नगर में, जहां पर भारतीय तांबा निगम ने कार्य प्रारम्भ कर रखा है, उद्योग-समूह का विकास करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) ऐसी किसी योजना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति द्वारा पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाना

4231. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 15 जनवरी, 1973 को अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति से प्राप्त एक समाचार के अनुसार रेडक्रास समिति ने पाकिस्तान को कुछ अन्य मामलों में दोषी पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) से (ग): अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति ने अपने 15 जनवरी 1973 के संदेश में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति की रिपोर्टों के अंशों का अप्रासंगिक उद्धरण देकर उनका दुरुपयोग किया है। इससे कुछ मामलों में सामान्य अर्थ भी बदल गया था। उक्त संदेश में अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति ने यह भी संकेत किया है कि उन्होंने पाकिस्तान से उनके रेडक्रास समिति की रिपोर्टों के दुरुपयोग करने पर तीव्र विरोध प्रकट किया था।

विभिन्न कार्यालयों में अनुसन्धान एककों की स्थापना करना

4232. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :**
श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और श्रम और पुनर्वास विभाग ने अनुसन्धान एकक स्थापित किये है;

(ख) यदि हां, तो "लेबर ब्यूरो" का मुख्य प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या क्रियाकलापों में समन्वय लाने के लिए सभी विभिन्न अनुसन्धान एककों का विलयन करने का विचार है जिससे कि अतिव्याप्तता और काम के दोहरेपन को कम किया जा सके; और

(घ) क्या सारे देश में फैले विभिन्न एककों का समन्वय करके एक संघठित श्रम अनुसन्धान ब्यूरो को संगठन करने के लिए कोई कार्यवाही की जानी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ): श्रम ब्युरो मुख्यतः श्रम आंकडे और अन्य संबंधित अध्ययनों के जिनमें कार्य की दशाएं, मजूरियां, औद्योगिक विवाद आदि सम्मिलित हैं, एकत्रीकरण एवं संकलन में रत है। विभाग के अधीन कुछ अन्य संगठन भी समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन हाथ में लेते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि प्रयासों में कोई अतिव्याप्ति या द्विरुक्ति न हों।

श्रीलंका में भारत मूलक चाय बागान श्रमिकों का शोषण

4233. **श्री धर्मराव अफजुलपूरकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने वाले अधिकांश भारतमूलक श्रमिक अशिक्षित है और वे अधिकारियों तथा निर्लज्ज व्यक्तियों द्वारा परेशान किये जाते हैं जो उनसे कागजात की जांच पड़ताल में विलम्ब दूर करने का वचन देकर उनसे पैसा ऐंठते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय उच्च आयोग को अपने कुछ अधिकारी नियुक्त करने की सलाह देने का है जो उनको फार्म भरने और कठिन दफतरशाही प्रक्रिया में सहायता दें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) : भारतीय मूल के राज्य विहीन व्यक्तियों को बागानों में उनके मालिकों ने भारतीय हाई कमीशन को या श्रीलंका सरकार को नागरिकता के लिए आवेदनपत्र देने के लिए क्लर्कों की तथा अन्य सुविधाएं दे रखी हैं। भारतीय हाई कमीशन तथा श्रीलंका के प्राधिकारी दस्तवेजों तथा क्रियाविधियों को आसान बनाने में सहयोग दे रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देने वाले लोगों को अपने कैंडी और कोलंबों के कार्यालयों में भी सहायता प्रदान करता है। बहिर्गमन स्थान तालाईमन्नार में भी भारतीय हाई कमीशन का एक प्रतिनिधि रहता है जो प्रत्यावर्तन करने वालों को विभिन्न फार्म भरने में सहायता देता है तथा उनके निर्विघ्न भारत-प्रस्थान को सुनिश्चित करता है।

Expenditure on Border Areas of Punjab Affected by Indo-Pak War

4234. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had already spent Rupees 12.66 crores on the border areas of Punjab affected by the last Indo-Pak war;

(b) whether Punjab Government have drawn the attention of the Central Government to the need of spending 16 crores of rupees more on the said border areas; and

(c) the rehabilitation work done so far or proposed to be done on the border areas of Punjab and Chhamb-Jaurian areas of Jammu by spending the money given or proposed to be given by the Central Government therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunath Reddy) : (a) The Government of India have authorised the Government of Punjab to incur expenditure on giving *ex-gratia* relief and rehabilitation assistance at the prescribed scales to the Indian nationals displaced from the areas affected by the Indo-Pak hostilities, 1971. The expenditure incurred by the State Government on this account is fully reimbursed by the Government of India.

According to the information received from the Government of Punjab, they have spent Rs. 13.14 crores up to 28-2-1973 for this purpose.

(b) No, Sir, but the Government of Punjab have formulated schemes for about Rs. 8.00 crores for the reconstruction and rehabilitation of the areas which have since been vacated by the Pakistani forces. The schemes have since been examined and necessary sanctions are being issued.

Apart from this, the displaced persons of these areas would continue to get cash doles till they harvest one crop.

(c) The Governments of Punjab and Jammu and Kashmir have spent Rs. 13.14 crores and Rs. 8.94 crores up to 28-2-1973 and 14-3-1973, respectively. It is expected that the resettlement of these displaced persons would be completed within about 3 to 4 months in Punjab; and by March, 1974 in Jammu & Kashmir subject to availability of land.

Revised Bonus to Departmental Organisations of Government

4235. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Labour** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Consultative Committee of Members of Parliament demanded almost unanimously in Hyderabad recently that the departmental organisations of Government should also be given revised bonus; and

(b) if so, the action taken so far or proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) (a) and (b) : The question of payment of bonus to the employees of Departmental Undertakings of Government was raised in the meeting of the Consultative Committee for the Ministry of Labour and Rehabilitation held at Hyderabad on the 20th October, 1972. Certain views were expressed. The employees of Departmental Undertakings stand excluded from the Payment of Bonus Act, 1965.

Scheme Regarding 7-Working Days In Factories Duriug a Week

4236. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Labour** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have a scheme for introducing 7-day week in the factories and

(b) if so, the particulars of the scheme and reaction of various Labour Organisations and factory owners thereto?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatba Reddy) (a) and (b) : No specific scheme has been worked out for introducing a 7-day week in the factories.

मैंगनीज अयस्क उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये सुझाव

4237. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज़ अयस्क उद्योग का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व गठित विशेषज्ञ समिति ने उद्योग के सुधार के लिए अनेक सुझाव दिये थे;

(ख) क्या इन सुझावों के कार्यान्वयन की दिशा में अप्रैल तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट पर अंतर्मंत्रालय बैठक में विचार विमर्श किया गया था और मैंगनीज उद्योग से संबंधित विभिन्न सिफारिशें आगे कार्यवाही करने हेतु दूसरे संबंधित मंत्रालयों के ध्यान में लाई गई हैं। बाद में सरकार योजना आयोग द्वारा पांचवीं योजना का कार्यक्रम बनाने के लिए गठित की गई टास्कफ़ोर्स के अधीन एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था इस दल ने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

Shifting of Headquarters of N. C. D. C. and Hindustan Steel Company from Bihar

4238. **Shri G. P. Yadav :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the headquarters of the National Coal Development Corporation would be shifted from Ranchi in Bihar State to Calcutta ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the headquarters of the 'Hindustan Steel Company' are being shifted to Delhi ; if so, the reasons therefor ; and

(d) whether any discussion has been held with the Government of Bihar in this regard ; if so, the reaction of the Government of Bihar thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

लन्दन स्थित भारतीय मिशन पर हमले के सम्बन्ध में जांच

4239. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लण्डन स्थित भारतीय मिशन पर आक्रमण करने वालों का पता लगाने में इंगलैण्ड की सरकार की सहायता करने के लिये भारत ने दो अधिकारी वहां भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन दो अधिकारियों ने सरकार को उस बीच कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

Expansion of Mazagon Dock

4240. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Mazagon Dock has a small space ;

(b) if so, whether work is not being expanded due to the small space of the dock ; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by Government for the expansion of the dock ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Mazagon Dock Limited have for some time past been experiencing shortage of space to meet the requirements of their activities. A proposal for acquiring additional space is, however, under consideration.

अमरीका स्थित भारतीय मिशन में बम का भय

4241. **श्री विभूति मिश्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडियन एक्सप्रेस" दिनांक 24 फरवरी, 1973 में "बाम्ब स्केयर इन इंडिया मिशन्स इन यू० एस०" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विदेश स्थित अपने सभी मिशनों को इस बारे में विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं कि इस प्रकार के टेलीफोन काल अथवा धमकी भरे पत्र आने की स्थिति में वे क्या करें। इस मामले में न्यूयार्क पुलिस का ध्यान तुरंत आकर्षित किया गया था और उन्होंने इस पर फौरन कार्रवाई की। बाद में पता चला कि यह सब झूठ-मूठ के लिए किया गया था।

Scheme For Increasing Production of Steel

4242. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating and scheme to increase the production of steel from April, 1973 ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) No scheme as such is being formulated to increase the production of steel from April, 1973. However, during the last two years a number of steps have been taken by the managements concerned to raise the level of production from the integrated steel plants at Bhilai, Durgapur, Rourkela, Jamshedpur and Burnpur. As a result thereof, the total production from these plants during the current financial year is expected to be higher than that in 1971-72 and is expected to improve still further in 1973-74.

Production At H. E. C., Ranchi

4243. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether Heavy Engineering Corporation, Ranchi, is not working to its full capacity ;

(b) if so, whether interested parties in the country do not place orders for machinery for their factories on the Corporation and they import them from foreign countries ; and

(c) if so, the scheme proposed to be formulated by Government to ensure the working of the said Corporation to its full capacity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The level of production reached in Heavy Engineering Corporation is 33% of its rated capacity.

(b) Normally, the import of equipment within the manufacturing profile of H.E.C. is not permitted. Exceptions are made if the requirements of the customer are urgent and H.E.C. is not in a position to meet the delivery schedule.

(c) The important measures introduced to increase the production in H. E. C. are incentives, multiple shift working, improvment in production planning and control, material handling and maintenance and strengthening of management.

नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल को विशाखापत्तनम से चिल्का कोस्ट ले जाना

4244. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल को विशाखापत्तनम से चिल्का कोस्ट ले जाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दण्डकारण्य परियोजना के निर्माण विभाग को सुविधाएं

4245. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के निर्माण विभाग ने दण्डकारण्य परियोजना के उमेरकोट, मल्कानगिरि, पखनज़ौर जोनों में कर्मचारी क्वार्टरों में सम्पर्क मार्ग शौचालयों, विद्युत और जल प्रदाय की व्यवस्था नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो जोन-बार इस प्रकार के कितने क्वार्टर हैं और उक्त सुविधाओं की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) ज़ानकारी एकत्रित की ज॰ रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

Temporary Employees With Five Years Service

4246. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Ministry at present who have been working in the temporary capacity for the last five years ; and

(b) the steps being taken by Government to regularise these employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Five in the Department of Steel and five in the Department of Mines.

(b) Two persons in the Department of Steel and one in the Departmentof Mines are on probation and will be confirmed on the expiry of the period of probation. The confirmation of others is subject to availability of permanent vacancies and their suitability.

Reservation of Bauxite Bearing Areas For Aluminium Making

4247. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether some areas of high quality Bauxite have been reserved for the preparation of aluminium and whether these deposits would be utilised for only chemical industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : High grade Bauxite deposits have been reserved for Aluminium industry. In case some of the areas not considered necessary for Aluminium Plants, at a later stage, such areas can be released for other purposes.

Help to Dependents of Garhwali Soldiers Killed in Wars

4248. **Shri Paripooranand Painuli** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the dependents of the Garhwali soldiers killed and injured during Indo-Chinese and Indo-Pak wars are living in remote hilly areas of Garhwal ; and

(b) if so, whether these families are deprived of the facilities which are granted to the dependents of the killed and injured soliders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) and (b) : It is likely that some dependents of Garhwali solidiers killed and injured during Indo-Chinese and Indo-Pakistan wars may be living in remote hilly areas of Garhwal. However, the facilities permissible to the dependents of the killed and injured soldiers under the existing rules are also available to the dependents of the soldiers coming from Garhwal, through the assistance of the concerned District Soldiers', Sailors' and Airmens' Board.

Garhwali Soldiers Killed During War

4249. **Shri Paripoornanand Painuli** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of soldiers, out of Garhwali soldiers in various wings of Indian Armed Forces and the Boarder Security Force, killed or injured during Pakistani attack; and

(b) the number of dependants of Garhwali soldiers who were killed or injured, given assistance indicating the amount and form of assistance ?

The Defence Minister (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : The material is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

Acquisition of Land in Chamoli And Garhwal Districts By Defence Department

4250. **Shri Paripoornanand Painuli** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Defence Department had acquired some land of farmers in the Chamoli and Garhwal districts for Defence purposes after the Chinese attack in 1962 ; and

(b) if so, the particulars thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The following extents were acquired in Garhwal area—

1. Chamoli	91.34 acres
2. Uttar ashi	4.457 „
3. Tehri	1.30 „
4. Pauri	7.49 „
Total land acquired	104.587 „

Expenditure on Publicity Literature Circulated Abroad

4251. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by India on publicity literature made available to foreign countries during 1971 and 1972 ; and

(b) the names of the periodicals published and sent abroad in 1972 for presenting the real picture of India and the languages in which the periodicals and published ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :(a) The expenditure incurrea by the Ministry of External Affairs on publicity literature distributed abroad during 1971 and 1972 is given in Statement I attached here with). **[Placed in Library** *See* **No. L. T. 4561/73]**.

(b) Statement II, attached herewith, gives details of periodicals published by this Ministry or our Missions abroad. **[Placed in Library.** *See* **No. L. T. 4561/73]**.

Imports of Equipment For Department of Defence Supply

4252. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there are some articles or equipments which are still required to be imported for the Defence Supply Department ;

(b) if so, the names thereof ;

(c) the names of the countries from which these equipments were imported during 1971 and 1972 respectively and the value thereof ; and

(d) the time by which the imports of these equipments would be discontinued?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d). It has been the effort of the Government to utilise every means to become self-sufficient to the maximum extent in meeting the essential reouirements of the Defence Services. However, some stores and equipment, which cannot be obtained from indigenous sources, are imported. It is not in the public interest to disclose the details of the stores, equipment, etc., procured from abroad.

Enforcement of Minimum Wages Act In Rajasthan

4253. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be please to state :

(a) the categories of jobs to which Minimum Wages Act has been enforced in Rajasthan since the enforcement of Minimum Wages Act, 1948 ; and

(b) the amount of daily wages received by the labourers in those jobs ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). Available information regarding the rates notified by the Government of Rajasthan under the Minimum Wages Act, 1948, for various scheduled employments, is given in Table 4-11 of the Indian Labour Statistics, 1972.

Non-Implementation of Gratuity Act By Industries In Rajasthan

4254. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour aad Rehabilitation** be pleased to state the reasons for not implementing the Gratuity Act by industries in Rajasthan while it has already been passed and enforced ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : The Payment of Gratutity Act, 1972 came into force with effect from the 16th September, 1972. In respect of establishments for which the Central Government is the appropriate Government, one omplaint has been received from an individual regarding non-payment of gratuity under the Act. The complaint is being looked into. Information is not available regarding implementation of the Act in establishments for which the State Government of Rajasthan is the appropriate Government.

Investment in Steel Plant And Production

4255. **Shri M. C. Daga** : Will be Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total amount invested in the production of steel in the country and the amount presently being invested thereon ;

(b) the quantum of steel production in the country at present and the quantum of steel requirements of the country ; and

(c) the quantum of sub-standard or defective or scrap quality steel available in the country in 1970-71 and 1972, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subhodh Hansda) : (a) & (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The quantum of saleable steel produced in the country by the main producers is as under :

1971-72	4.5 million tonnes
1972-73	4.3 million tonnes

(April, 1972 to February, 1973)

According to a study made by the National Council of Applied Economic Research, the demand for saleable steel in 1975 is likely to be 7.9 million tonnes. Assuming a rate of growth in demand for steel of 8% per annum, the demand in 1972-73 is likely to be about 6.2 million tonnes and in 1973-74 it is likely to be about 6.7 million tonnes.

गुट-निरपेक्ष शक्ति संगठन की स्थापना

4256. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथाकथित गुटनिरपेक्ष शक्तियों के लिये यूगोस्लाविया और भारत के परामर्श से मिस्त्र सरकार द्वारा कोई प्रयास आरम्भ किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) गुट निरपेक्ष शक्ति संगठन की स्थापना की क्या सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : मिस्र सरकार ने निर्गुटता की भावना को पुन: सक्रिय बनाने में अपनी रुचि दिखाई है। इस संबंध में, वे अन्य देशों के साथ-साथ भारत से भी संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन, धुरी निर्माण के लिए कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) हालांकि निर्गुट देश पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर आपस में मिलते रहे हैं, और शिखर स्तर पर तीन मीटिंगों का आयोजन इसमें सम्मिलित है, तो भी निर्गुट-देशों के संगठन के रूप में निर्गुट दल जैसी संस्था के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एशियाई-अफ्रीकी विधि परामर्शदात्री समिति

4257. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एशियाई-अफ्रीकी विधि परामर्श-दात्री समिति के हाल ही में हुए वार्षिक अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधियों ने समुद्र-संसाधनों के उपयोग के लिए उचित तथा अधिक साम्य ढांचा बनाने की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर समिति की क्या प्रतिक्रिया थी और भारत की मांग को ध्यान में रखते हुए यदि कोई निर्णय लिया गया था तो वह क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। 10 से 18 जनवरी 1973 तक नई दिल्ली में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी विधि-परामर्श-दात्री समिति के 14 वें वार्षिक सत्र में, भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि विश्व के विकासशील देशों की समुद्रों और महासागरों के संसाधनों के उपयोग और समुचित वितरण के लिए न्यायोचित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था स्थापित करने में विशेष साझेदारी है। भारतीय प्रतिनिधी ने विशेषकर किसी भी तटीय देश के प्रादेशिक समुद्र के बाहर एक विशिष्ट मत्स्य क्षेत्र स्थापित करने के लिए मत्स्य संबंधी नियमों का मसौदा रखा।

(ख) इस समिति ने विशिष्ट मत्स्य क्षेत्र के विषय में भारतीय प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जिसे भागीदार देशों का सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ। समिति ने निर्णय किया कि उस भारतीय प्रस्ताव को सदस्य सरकारों के पास उनको टिप्पणियां और विचार मांगने के लिए भेज दिया जाए।

पाकिस्तान के साथ मिल कर कुछ देशों द्वारा युद्ध बन्दियों की मुक्ति के लिए भारत-विरोधी प्रचार

4258. **श्री समर गुह :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश युद्ध-बन्दियों को छोड़ने के बारे में भारत-विरोधी प्रचार करने में पाकिस्तान के साथ मिल गये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह भारत विरोधी प्रचार किस प्रकार का है और इस बारे में तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त प्रचार के निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान से मित्रता-भाव रखने वाले कुछ देशों ने इस विषय पर उनके मत का समर्थन किया है।

(ख) आमतौर पर यह कहा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र में भारत-बंगलादेश की संयुक्त कमान द्वारा पकड़ गए सभी पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों तथा असनिक नजरबन्दों को तुरन्त छोड़ दिया जाए ।

(ग) विदेश स्थित हमारे मिशनों ने अपने-अपने प्रत्ययन के देशों की सरकारों को सही स्थिति से अवगत कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए है।

कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण और तत्पश्चात् उनका उत्पादन

4259. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है ;

(ख) क्या कुछ छोटी खानें छोड़ दी गई है ; और

(ग) क्या कोयला खानों को अधिकार में लेने के सरकारी निर्णय के पश्चात् कोयले का उत्पादन बढा है अथवा कम हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : केवल उन खानों को छोड़कर जो प्राइवेट लोह और इस्पात संयंत्रों के नियंत्रणाधीन है, अन्य कोयला खाने सरकार द्वारा ग्रहीत की जा चुकी हैं।

(ग) खानों के प्रबंध ग्रहण के उपरान्त उत्पादन में वृद्धि हुई है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त वर्तमान प्रबन्धकों की सेवाओं का उपयोग

4260. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कोयला खानों को चलाने के लिए कोयला खानों के वर्तमान प्रबन्धकों की सेवाओं का उपयोग किया गया है ; और

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा कोयला खानों के भूतपूर्व प्रबन्धकों में से कितने व्यक्तियों को अधिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रहीत गैर-कोककारी कोयला खानों के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों में से 50 व्यक्ति राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से हैं। ग्रहीत खानों के अधिकारियों में से किसी को भी अभिरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है।

Discovery of Gypsum deposits in Rajasthan

4261. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Gypsum stocks have been discovered in many parts of Rajasthan; and

(b) the action being taken by Government to overcome the shortage of Gypsum in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) As a result of investigations conducted, total reserves of about 1,130 million tonnes of gypsum have been located in Nagpur, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Sriganganagar, Barmer, Churu and Pali districts of Rajasthan, most important of which have been located in Nagaur area where a total of 959 million tonnes of gypsum has been estimated by Geological Survey of India.

(b) The country is self sufficient in her resources of gypsum.

सेना द्वारा रीवा जिले में कृषि भूमि का अधिग्रहण

4262. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने रीवा जिले के केमर क्षेत्र में अपने प्रयोग के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली है ; और

(ख) ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं जबकि उसी क्षेत्र में गैर-कृषि योग्य भमि बड़ी माला में उपलब्ध है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : रेवा जिले में सेना द्वारा क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए किसी भूमि के अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रेवा जिले के कमेर रेंज में पहाड़ी भूभाग को स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से 'मैनोवरस फील्ड एण्ड फायरिंग एरटीलरी प्रकैटिसिस एक्ट, 1938' के अधीन एकक्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रस्ताव है। अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्र को ठीक सीमाओं को सैनिक तथा राज्य सरकारों के बीच अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है कि स्थानीय जनता को न्यूनतम असुविधा हो और वह क्षेत्र कम कृषि योग्य हो तथा कम आबादी वाला है। अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करने में माननीय सदस्य के सुझाव का यथासंभव ध्यान रखा जाएगा।

रिजर्व सैनिकों को अदायगी

4263. श्री रण बहादुर सिंह :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के रिजर्व सैनिकों को प्रति माह केवल दस रुपए मिलते है ; और

(ख) क्या देश में भारी मुद्रा-स्फिति को ध्यान में रखते हुए इस अदायगी में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्। रिजर्विस्टों को उनके रिजर्व दायित्व की अवधि के दौरान ग्राह्य प्रतिधारक शुल्क की दर इस समय 20 रु० प्रति माह है।

(ख) सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को नकद तथा वस्तुओं के रूप में मिलने वाले लाभों तथा मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति लाभों सहित वेंतन संरचना पर तृतीय वेतन आयोग पहले से ही विचार कर रहा है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Facilities and incentives to Youths for marrying young widows of soldiers killed during Indo-Pak War

4264. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some facilities and incentive have been given by Government to the youths marrying young widows of the soldiers killed in Indo-Pak war;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the number of widows of such soldiers who got married?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J.B. Patnaik) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Raising of salaries of coal mine workers

4265. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to raise the salary of labourers working in coal mines keeping in veiw the present rising prices;

(b) whether Government have taken any concrete steps in consultation with the representatives of all the labour unions so as to provide relief to labourers; and

(c) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) : The rise in the cost of living is being neutralised for coal mine workers by the payment of variable dearness allowance according to the formula laid down by the Wage Board for the coal industry.

Memorandum from labourers working in coal mines

4266. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the labourers working in coal mines ;

(b) if so, theire demands; and

(c) Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c). The Government have been receiving many memoranda from time to time from the labourers covering various aspects of the working in the coal mines. As the memorandum in respect of which information is sought has not been indicated, no precise information can be furnished.

भारत-पाक युद्ध के सैनिक अधिकारियों को सम्मानित किया जाना

4267. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी और पश्चिमी कमांड के कुल कितने कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया था ; और

(ख) दोनों कमांड़ों में ऐसे अधिकारियों में से ब्रिगेडियर तथा उससे ऊंचे रैंक वाले कितने अधिकारी थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क)	पूर्वी कमान	1,041
	पश्चिमी कमान	1,825
(ख)	पूर्वी कमान	58
	पश्चिमी कमान	72

असंगठित श्रमिकों को संगठित करना

4269. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असंगठित श्रमिकों को संगठित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) इस प्रकार संगठित करने की प्रक्रिया पर जो लागत आयेगी उसकी तुलना में लाभ कितना होगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : देश के असंगठित श्रमिकों को संगठित करने की आवश्यकता को सरकार मानती है। इस सम्बन्ध में, सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हीरों के प्रतिचयन पर किया गया व्यय

4270. **श्री अम्बेश** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कुल कितनी धन राशि उपलब्ध है ; और

(ख) अधिक संसाधन खोज निकालने के लिए हीरों के प्रतिचयन में कितनी प्रगति हुई है और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 22–3–73 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की कुल चुकता पूंजी 76.04 करोड़ रुपये है, इसके अलावा 22–3–73 को बकाया ऋणों की राशि 18.81 करोड़ रूपये है।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Allotment of land to Refugees from West Pakistan in Rajasthan

4271. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Harijan and non-Harijan landless and non-claimant refugees from West Pakistan who came to Bikaner and Ganga Nagar Districts of Rajasthan, were given agricultural land in Sameja Canal and chucks from No. 1 L. N. P. to 7 L. N. P. ; and

(b) whether a list of these refugees, which are about 100 to 150 together with their father's name and sub-caste would be laid on the Table ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) & (b). There are in all 19 allottees, landless non-claimant refugees from West Pakistan who came to Bikaner and Ganganagar Districts of Rajasthan and were given agricultural land in Sameja Canal and Chaks No. 1 L.N.P. to 7 L.N.P. A list of these 19 allottees is attached. [*Placed in Library.* See *Nn. L.T.*—4562/73].

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य

4272. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : 1973–74 के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का उत्पादन लक्ष्य 180 लाख टन है।

गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में तांबे और सीसे के भण्डारों के खनन हेतु सर्वेक्षण

4273. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में तांबे और सीसे के विशाल भंडार पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या खनन की दृष्टि से इस क्षेत्र में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले के असकोट में ताम्र–सीसा–जस्ता खनिजीकरण के प्राप्तिस्थल अवस्थापित किए गए है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मार्च, 1970 से इस पूर्वेक्षण का विस्तृत अन्वेषण कर रहा है। इस प्राप्तिस्थल की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में कुछ कहना समय पूर्व की बात है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की मलेशिया में बैठक

4274. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इस वर्ष 15 फरवरी को मलेशिया में क्वालालम्पुर में हुई थी और उसमें यह निर्णय किया गया कि इस क्षेत्र में शांति को स्थायी बनाने के लिए बने पांच राष्ट्रीय दल के कार्यकलापों में दक्षिण–पूर्व एशिया से बाहर पड़ने वाले देशों, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी सम्मिलित हैं, को भाग न लेने दिया जाय;

(ख) क्या इन पांच देशों ने अपनी मर्जी से यह निर्णय किया है और भारत को इस क्षेत्र में शांति-भंग करने वाला देश ठहराया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक 15 फरवरी, 1973 को कुआलालम्पुर, मलयेशिया में हुई थी। इस तरह का कोई निर्णय सरकार के ध्यान में नहीं आया है। इस संबंध में जारी किए प्रेस वक्तव्य के अनुसार,

"उस वैठक का निश्चित रुप से यह मत था कि दक्षिण–पूर्व एशिया में स्थायी शांति इस क्षेत्र के देशों में आपसी विश्वास और समझ–बूझ होने से ही हो सकती है। इसलिए इन देशों के लिए आवश्यक है कि वे आपस में मिलकर महत्वपूर्ण और पारस्परिक संबंधों के विषयों पर बातचीत करें। इस संबंध में यह वैठक दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देशों का एक सम्मेलन आयोजित करने की वांछनीयता को आवश्यक समझती है कि दह भविष्य में किसी समुचित समय पर एक एशिया का मंच सिद्ध हो सके ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण सम्मेलन

4275. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का सदस्य है ;

(ख) क्या सम्मेलन की बैठक 20 फरवरी, 1973 को जनेवा के असेम्बली हाल में शुरू होगी और इस में कार्यसूची में दी गई दो महत्वपूर्ण मदों अर्थात् भूमिगत परमाणु परीक्षणों पर रोक तथा रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, जमा और प्रयोग पर पाबन्दी लगाने पर चर्चा की जाएगी ; और

(ग) रासायनिक हथियारों को जमा करने और उनका निर्माण करने वाले देश कौन–कौन से हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। भारत निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन का सदस्य है ।

(ख) जी, हां। इस सम्मेलन का नया सत्र हमेशा की तरह, जनेवा में पेलेस डेस नेशन्स में हो रहा है। भूमिगत नामकीय शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध और रासायनिक शस्त्रों के विकास, विनिर्माण एवं भण्डारण के प्रश्न; सम्मेलन के वर्तमान सत्र की कार्यसूची की दो प्रमुख मदें हैं। लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि युद्ध में रासायनिक शस्त्रों के प्रयोग पर (जीवाणु शस्त्रों की तरह ही) 1925 के जेनेवा प्रोतोकाल द्वारा पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।

(ग) हमें मालूम है कि बहुत से देश रासायनिक शस्त्रों का विनिर्माण एवं भण्डारण कर रहे हैं। लेकिन, उनका नाम बताना जनहित में नहीं होगा।

युध्बन्दियों के लिए व्यक्तिगत रुप से भेजे गए पार्सलों पर तटकर लगाने के संबंध में पाकिस्तान का विरोध

4276. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री एम० एम० जोजेफ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने युध्द बन्दियों के लिए व्यक्तिगत रूप में भेजे गए पार्सलों पर तटकर लगाने के संबंध में पाकिस्तान द्वारा प्रकट किए गए विरोध के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) पाकिस्तानी युध्दबन्दियों को प्राप्त होने वाले उपहार पार्सलों पर सीमा शुल्क से छूट संबंधी सामान्य आदेश पहले से मौजूद हैं।

युद्ध पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता

4277. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत-पाक युद्ध में प्रभावित हुए पाकिस्तानियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम से एसा हीं अनुरोध किया था, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ण निकले?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

रोजगार के लिए रजिस्टर्ड भूतपूर्व सनिक

4279. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान रोजगार के लिए रजिस्टर्ड हुए अपंग सैनिकों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उन में से कितनों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) : ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना उन सभी भूतपूर्व अशक्त कार्मिकों की संख्या के संबंध में पूछी गई है जिन्होंने नौकरी के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया और जिन्होंने 1971–72 के दौरान नौकरी प्राप्त कर ली। यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अलग आंकड़े केवल उन्हीं अशक्त सेना कार्मिकों के संबंध में रखे जाते हैं जो वास्तविक संक्रियाओं में हुई अशक्तता के कारण सेवा से निकाल दिए जाते हैं।

औद्योगिक शांति के लिए अपेक्षित बातें

4280. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री नवल टाटा द्वारा बम्बई के लायन्स क्लब में दिए गए भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने औद्योगिक शांति लाने के लिए 12 आवश्यक बातों का उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : सरकार ने सुझावों को, जो हाल ही में समाचार-पत्र में प्रकाशित हुए, नोट किया है।

बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध (गुजरात संशोधन) विधेयक

4281. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध (गुजरात संशोधन) बिधेयक पर विचार करने को सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने किन-किन मुद्दों पर राज्य सरकार को परामर्श दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुभव किया जाएगा कि सदन में यह बताना संभव नहीं होगा कि ऐसी सलाह किस प्रकार की थी।

Bonus for Coal Mines Labourers

4282. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether employees working in Government factories and mines are entitled to get bonus under the Bonus Act ;

(b) whether 1700 workers of Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd., Amjhor (Bihar) have not been paid bonus despite it; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri K. V. Raghunatha Reddy) : (a) The Payment of Bonus Act, 1965 is applicable to the employees, subject to provisions of Sections 1(3), 20 and 32.

(b) and (c). The subject matter primarily falls in the state sphere.

ड्राई सैल उद्योग के लिए मैंगनीज डाइओक्साइड का उत्पादन

4283. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अभी भी ड्राईसैल उद्योग की आवश्यकता के लिए मैंगनीज डाइओक्साइड का आयात करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितना और कितने मूल्य के मैंगनीज डाइओक्साइड का आयात किया जाता है ;

(ग) क्या देश में मैंगनीज डाइओक्साइड का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उस की मुख्य बाते क्या हैं ; और

(घ) तो इस पर अनुमानित कितनी लागत आएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ। मैंगनीज डाइओक्साइड (जो ड्राई सैल प्राइमरी बटरी में काम आता है) का आयात ड्राई बैटरी उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं; जो देशीय उत्पादन से पूरी नहीं होती हैं, के लिए करना पड़ता है।

(ख) ड्राई सेंल प्राईमरी वैंटरियों के लिए मैंगनीज ड्राइऑक्साइड का गत पांच वर्षों का वार्षिक आयात इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (टन)	मुल्य (हजार रु०)
1967	5398	3434
1968	7263	4986
1969	7922	5319
1970	5368	5018
1971	7285	4705

(ग) और (घ) : इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइओक्साइड के उत्पादन के लिए मेसर्स युनियन कारबाइड लिमिटेड पहले ही थाना, महाराष्ट्र में 2500 टन वार्षिक क्षमता का एक कारखाना चला रहे हैं। 1972 में इस कारखाने का उत्पादन 1054 टन था। इन्होंने अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 5000 वार्षिक टन तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया है जो सरकार के विचाराधीन है।

हाल ही में निम्नलिखित पार्टियों को इस शर्त पर कि वे देशीय प्रोद्योगिकी का प्रयोग करें तीन आशय पत्र जारी किए गए हैं :

पार्टी का नाम	क्षमता	प्रायोजना की लागत (करोड़ रुपये)
1. श्री चन्द्र किशोर केजरीवाल, नई दिल्ली .	3,400 टन/वर्ष	1.17
2. श्री के० रामा राव माने, बंगलौर . .	4,000 टन/वर्ष	1.39
3. मेसर्स हिन्दुस्तान डिवेलपमैंट कारपोरेशन, कलकत्ता	3,600 टन/वर्ष	1.00

ई० एम० डी० कारखाने लगाने के लिए इन पार्टियों ने अभी तक कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाए हैं ।

सरकारी क्षेत्र में देश में विकसित प्रक्रिया के आधार पर 3 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से 10 टन दैनिक क्षमता का एक ई० एम० डी० कारखाना लगाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

संगठित उद्योगों में रोजगार पर कम्प्यूटरों का प्रभाव

4284. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगठित उद्योगों में रोजगार पर कम्प्यूटरों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : स्वचालन समिति ने, जो सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, मामले के इस पहलू पर टीका टिप्पणी की है। समिति की रिपोर्ट की संबधित हितों से परामर्श करके जांच की जा रही है।

रक्षा निरीक्षण संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बारी बारी से एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित करना

4285. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन सचिव ने यह निर्णय लिया है कि रक्षा निरीक्षण संगठन में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निश्चित अवधि के उपरान्त बारी बारी से एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो (1) अधिकारियों और (2) कर्मचारियों के लिए निश्चित अवधि की सीमा कितनी है ; और

(ग) यह निर्णय कब किया गया और यह निर्णय कब लागू किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) निरीक्षण महानिदेशालय के संगठन में नियुक्त अधिकारियों को बारी बारी से एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय की शुरूआत करने की दिशा में इसे जनरल स्टोर डिवीजन तथा ट्रेड द्वारा भण्डारों के निरीक्षण से सम्बलित अन्य तकनीकी डिवीजनों पर लागू किया गया है ।

(ख) (1) जिन स्थापनाओं में वे नियुक्त होते हैं उनके कार्यकलापों पर निर्भर करते हुए निश्चित अवधि की सीमा 3 वर्ष से 6 वर्ष होती है। लेकिन उन अधिकारियों को छुट दे रखी है जो एक वर्ष के अन्दर सेवा निवृत होने वाले होते हैं।

(2) कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा ।

(ग) निर्णय अक्तूबर 1971 में लिया गया था और जहां तक जनरल स्टोर डिवीजन का सम्बन्ध है उसे चरण-वार क्रियान्वित किया जाएगा ।

Industrial Unrest in 1972

4286. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the industries State-wise which had industrial unrest during 1972; and

(b) the steps taken by Government to improve relations between the employees and their employers with a view to increase industrial production of the country?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Statements I and II attached summarise the available provisional information about the number of mandays lost, State-wise and industry-wise, due to industrial disputes (strikes & lockouts), during 1972. **[Placed in Library. *See* No. L. T.—4563/73].**

(b) It has been Government's aim to minimise work-stoppages due to strike and lock-outs through informal mediation, conciliation, adjudication or arbitration as necessary, under the existing statutory provisions and voluntary arragenments. Government have also been holding discussions with the interests concerned to evolve agreed measures to secure improvements in the industrial relations system.

Scheme for increasing production at Coal Mines

4287. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the annual production capacity of the private mines taken over by Government recently;

(b) the extent to which their production is proposed to be increased by Government; and

(c) whether National Coal Development Corporation have worked out a scheme for increasing their capacity and if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) : The production capacity of the private sector collieries in 1971-72 was assumed at 49.0 million tonnes against which the actual production during that year was about 39.5 million tonnes. Depending on the materialisation of the demand, the production in the taken-over mines is expected to increase by 27.5 million tonnes by 1978-79 over the actual production of 1971-72.

(c) The National Coal Development Corporation has a scheme to increase the existing production from 18 million tonnes to about 45 million tonnes by the end of the Fifth Plan. This is proposed to be achieved partly by increasing the capacity of the existing mines and partly by opening new projects.

गैर-कोकिंग कोयला खानों के स्वामियों को दिया जाने वाला मुआवजा

4289. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में सरकार द्वारा हस्तगत की गई गैर-कोकिंग कोयला खानों के मालिकों को अनुमानत: कुल कितना मुआवजा दिया जाना है ; और

(ख) क्या उन गैर-कोकिंग कोयला खानों के प्रबन्ध का नए रूप से गठन किया जायेगा अथवा पूर्व रूप में ही रहेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उन खानों के, जिनका कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 के अधीन प्रबन्ध ग्रहण किया गया है, अर्जन के लिये संदेय राशिज्ञात की जा रही है और कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय उसे अंतिम रुप दिया जाएगा।

(ख) महानिरक्षक के समग्रत: पर्यवेक्षण के अधीन अभिरक्षकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के निमित्त कोयला खानों का प्रबन्ध किया जा रहा है । इन खानों के दीर्घावधिक संचालन के लिए संगठन की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है ।

लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा हमला

4290. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन की हाल की घटना के सम्बन्ध में पाकिस्तान को लिखा है जहां कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की जान लेने का प्रयत्न किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में लन्दन स्थित राष्ट्रमण्डल सचिव को भी पत्र भेजा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

वेतन तथा लेखा कार्यालय, कलकत्ता के मान्यता प्राप्त संघ को कारण बताओ नोटिस देना

4291. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में वेतन और लेखा कार्यालय, कलकत्ता के वर्तमान मान्यता प्राप्त संघ को उसके आचरण पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है ;

(ख) क्या इस बीच वेतन और लेखा कार्यालय, कलकत्ता में अन्य संघों को मान्यता दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । दूसरे संघ को सम्मिलित परामर्श व्यवस्था (जे० सी० एम०) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए 3-10-72 को वास्तविक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी ।

(ग) वेतन और लेखा कार्यालय कलकत्ता के पहले मान्यता प्राप्त संघ को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हो गया है जिसकी जांच की जा रही है । सम्मिलित परामर्श व्यवस्था प्रयोजनों के लिए किसी अन्य संघ को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न उसी स्थिति में उत्पन्न होगा जबकि मौजूदा मान्यता प्राप्त संघ की मान्यता वापस ले ली जाए ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

4292. **श्री सरजू पांडे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय श्रम आयोग की कृषि श्रमिकों सम्बन्धी सिफारिशें, आवश्यक कार्यवाही हेतु, सम्बन्धित मंत्रालयों और राज्य सरकारों / संघीय क्षेत्रों को सौंप दी गई हैं। कुछ मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों ने कुछ सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी हैं जब कि अन्य इस मामले में कार्यवाही शुरू कर रहे हैं ।

सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के बारे में धीमी प्रगति

4293. **श्री सरजू पांडे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को लाने के प्रस्ताव के क्रियान्वयन में हुई धीमी प्रगति के क्या कारण है ; और

(ख) इन सभी उपक्रमों में प्रस्ताव के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : इरादा यह है कि सरकारी क्षेत्र के एक या दो उपक्रमों में प्रबन्ध बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की योजना परख के आधार पर शुरू की जाय । हिन्दुस्तान एंटिबाइयोटिक्स लि० पिम्परी में एक श्रमिक निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव लगभग परिपक्व अवस्था में है । कुछ अन्य उपक्रमों में योजना को प्रारंभ करने के प्रश्न की भी पैरवी की जा रही है ।

Unemployment in Madhya Pradesh

4294. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of additional persons added to the list of unemployed persons in Urban and Rural areas in Madhya Pradesh every year during the last three years; and

(b) the number of persons out of them who were provided with employment during the said period ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) & (b). Precise estimates of the number of unemployed persons are not available. The number of persons on the live register of Employment Exchanges seeking employment assistance (not all of whom are necessarily unemployed) and those placed in employment is given in the statement attached.

Statement

Year	Number of job-seekers	
	On the Live Register* at the end of the year	Placed in employment** during the year
1	2	3
1970	2,47,503	33,894
1971	3,15,592	41,794
1972	4,04,380	4L,237

*Information is not available separately in respect of job-seekers belonging to Urban and Rural areas.

**The number of candidates placed in employment may not necessarily relate to those registered during these years in respect of whom separate information is not available.

Licences issued to Firms Manufacturing Tin in Madhya Pradesh

4295. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of the firms in Madhya Pradesh with annual manufacturing capacity of 2000 or more which have been given C.O.B. Licences for manufacture of tins for preservation of articles upto the 31st December, 1972; and

(b) whether any guidelines have been laid down to supply tin plates to these units for manufacture of tins?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) No C.O.B. licence has been issued for the manufacture of tin containers to any firms in the State of Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

Production at Mines in Mahakoshal areas of Madhya Pradesh

4296. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of the mines in under-developed Mahakoshal areas of Madhya Pradesh and their licensed capacity as also the dates on which licence was issued to each of them under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957;

(b) their production during the last three years;

(c) whether sanction was accorded last time for adequate expansion of each mine out of them; and

(d) whether there has been shortfall in production and if so, the exten thereof in each mine and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (d). The requisite information is bei g cocted and will be laid on the Table of the House.

7—4 LSS (ND)/73

महिलाओं को रोजगार

4297. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या बहुत कम है ;

(ख) नौकरी करने वाली कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या रोजगार प्राप्त ग्रामीण महिलाओं की संख्या बहुत कम हैं ; और

(घ) यदि हां, तो रोजगार प्राप्त ग्रामीण महिलाओं की संख्या कितनी है और कितनी ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) : 1971 जनगणना के आधार पर एक विवरण, जिसमें सम्बद्ध जानकारी दी गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार महिलाओं की संख्या संबंधी यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

विवरण जिसमें 1971 जन-गणना के आधार पर ग्रामीण, शहरी तथा लिंगानुसार वर्गीकृत (कुल जन संख्या आदि की प्रतिशतता सहित) कामगारों की संख्या दी गई है ।

ग्रामीण/ शहरी	कामगारों की संख्या			कामगारों की जन संख्या से प्रतिशतता		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
ग्रामीण	120,408,312	27,966,278	148,374,590	53.46	13.09	33.80
शहरी	28,666,824	3,331,985	31,998,809	48.82	6.61	29.33
योग	149,075,136	31,298,263	180,373,399	52.50	11.85	32.91
	(82.65)*	(17.35)*	(100.00)			

*कोष्ठकों में दिए आंकड़े योग के प्रतिशत है ।

केरल हथकरघा मजदूर संघों द्वारा ज्ञापन

4298. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्नानूर, केरल में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में काम कर रही हथकरघा मजदूर संघों से संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) इस प्रकार का ज्ञापन श्रम मंत्रालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में अधिकतम उत्पादन के लिए प्रयत्न

4299. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जसा कि 10 फरवरी, 1973 के 'पैट्रियाट" में समाचार छपा है क्या मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि सरकार सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में अधिकतम उत्पादन करने के विषय में गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को पाने में क्या रुकावटें हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा घोषित नीति की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : सरकर द्वारा दिए गये वक्तव्य में बताया गया था कि सरकार का पहला उद्देश्य सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अनुकूलतम उत्पादन का सुनिश्चय करना होगा ताकि पहले से अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके । सरकार ने अनुकूलतम उत्पादन करने के लिये पहले ही कदम उठाये हैं । अपनाये गये अभ्युपायों तथा उठाये जाने कदमों में निम्नकार्य सम्मिलित है :—

(1) जहां कहीं व्यावहारिक हो अनेक पाली के आधारपर कार्य करना ;

(2) औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना तथा लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना; कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के सम्बन्ध में आयात नीति को उदार बनाना ;

(3) श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के सम्बन्धों में सुधार लाना ;

(4) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय और साधन सुझाने हेतु शक्ति का विकास करने के सम्बन्ध में मंत्रियों का एक दल गठित करने के साथ साथ विशेषज्ञ दलों, टास्कफोर्सों का गठन करना ।

उड़ीसा में निकल, सीसा और लौह अयस्क के भण्डारों के सम्बन्धमें परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

4300. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रस्तावित सुकिन्दा निकल भण्डार के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र से शीघ्र तैयार करने में क्या कठिनाई है ; और

(ख) सरगीपल्ली सीसा परियोजना और मालेंगटोली लौह अयस्क भण्डार का सम्भाव्यता प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सुकिन्दा निकल परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है । उड़ीसा के कन्सा (सुकिन्दा) क्षेत्र के लेटरिटिक अयस्क से निकल की वसूली के लिए अभिस्तावित प्रक्रिया की अर्थक्षमता को वाणिज्यिक मापमान पर स्थापित करने और संयंत्र की अवस्थिति के लिए स्थान को अंतिम रूप से चयित किए जाने के पश्चात् ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी । इस बारे में आवश्यक अन्वेषण कार्य प्रगति में है और 1974 के प्रारंभिक चरण तक उसके सम्पूरित हो जाने की आशा है ।

(ख) राज्य सरकार से आवश्यक खनन पट्टे के प्राप्त होने पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा सर्गीपल्ली सीसा निक्षेप के लिए साध्यता रिपोर्ट बनाए जाने की संभावना है । रिपोर्ट बनाने के लिए, अपेक्षित समय की अभी जानकारी नहीं है ।

मालंगटोली लोह आयस्क निक्षेप के बारे में यह कहा जा सकता है कि सरकार ने इस निक्षेप के विकास के लिए अध्ययन दल नियुक्त किया है । अध्ययन दल की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है । साध्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के प्रश्न पर अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जाएगा ।

भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध दूर करने के लिए पहल किया जाना

4301. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान गतिरोध दूर करने के लिये दोनों देशों में से किसी ने पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : सरकार संबंधों को सामान्य बनाने तथा उपमहाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना के लिए शिमला समझौते के शेष प्रावधानों के क्रियान्वयन की संभावनाओं की खोज का निरंतर प्रयास कर रही है । इन प्रयासों की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पाकिस्तान इन उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सहयोग देता है ।

जापान के प्रधान मंत्री का शिमला समझौते के माध्यम से भारत-पाकिस्तान मतभेद को दूर करने की अपील

4302. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान और भारत को, अपने मतभेद शिमला समझौते के अनुसार दूर करने के लिये अपील की है ;

(ख) क्या सरकार को उनके पूर्ण वक्तव्य की प्रति मिल गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : सरकार ने जापानी प्रधान मंत्री का इस आशय का कोई खास वक्तव्य नहीं देखा है । लेकिन जुलाई 1972 में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा शिमला करार को सफलता तक पहुंचाने में उनकी राजनीति निपुणता के प्रति आदर व्यक्त किया है और आशा की है कि भारतीय प्रधान मंत्री की कोशिशों से भारतीय उप-महाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित होगी ।

बंगला देश युद्ध के दौरान चीन द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

4303. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1972 के 'मदर इंडिया' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है, कि बंगला देश युद्ध के दौरान चीनी वायुसेना ने बार-बार भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था तथा भारत की ओर से उन्हें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस समाचार के प्रभाव का सावधानी से अध्ययन किया है और उसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट मिथ्या है ।

Return of Hindu Families to Pakistan who crossed over to India during war

4304. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether some of the Hindu familites, who had crossed over to India during the Indo-Pak War, have returned to Pakistan; and

(b) if so, the number thereof and whether Pakistan has given any assurance for their security?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) & (b): According to information received from the Governments of Rajasthan and Gujarat, 327 families of Pak nationals and 2163 Pak nationals who had crossed over to Indian territory in Rajasthan and Gujarat respectively, have returned to Pakistan.

Pakistan has on several occasions given assurances regarding thier security.

P. O. Ws. Families in India and Pakistan

4305. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of women and children in the list of Pakistani P.O. Ws. given by India to the Red Cross Society;

(b) whether there are some more women and children, apart from those mentioned in the Lists, in our custody; and

(c) the total number of women and children of Indian P.O.Ws. included in the List received from Pakistan and whether there are still some more not included in the List by Pakistan?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The list handed over to the Swiss Embassy in New Delhi contained names of 6,503 Pakistani women and children comprising families of P.O. Ws. and civilian internees taken into protective custody by the Joint Command of Indo-Bangladesh forces in the Eastern Sector.

(b) There are no other women and children of this category.

(c) No such list has been received from Pakistan.

गैर-सरकारी कोयला खानों के मालिकों की ओर बकाया भविष्य निधि

4306. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1972 को गैर-सरकारी कोयला खानों के मालिकों की ओर भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि 30 सितम्बर, 1972 को निजी क्षेत्र की कोलियरियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि की बकाया राशि 8.91 करोड़ रुपये थी । 31 दिसम्बर, 1972 को निजी क्षेत्र की कोयला खानों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) बकाया राशियों की वसूली के लिए अभियोजनों और वसूली कार्यवाहियों के रूप में सामान्यतः कानूनी कार्यवाही की जाती है । बकाया राशियों की वसूली के लिए लंबित प्रमाण-पत्र मामलों की कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा जोर-शोर से पैरवी की जा रही है । इस उद्देश्य के लिए धनबाद और आसनसोल में विशेष प्रमाण-पत्र अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । भविष्य निधि की बकाया राशियों की वसूली के लिए कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन प्रतिकर भुगतान आयुक्त के पास ज्योंही वह कार्य करना आरंभ करेंगे मुआवजे दायर करने के सम्बन्ध में भी, व्यवस्था की गई है ।

कम्बोडिया में शान्ति स्थापित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

4307. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया सरकार ने उस देश में शान्ति स्थापित करने के लिए भारत से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को पुनः सक्रिय करने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उन्हें यह बता दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग सिर्फ एक अधीक्षण निकाय है, शान्ति की स्थापना करने वाली सेना नहीं और यह अपना काम फिर तभी शुरू कर सकता है जबकि संघर्ष में आबद्ध सभी पक्षों में युद्ध-विराम के बारे में समझौता हो जाए और इसे फिर शुरू करने के लिए बाकायदा काम करें।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संस्थानों का बन्द होना

4308. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अभी तक (एक) बड़े पैमाने के (दो) छोटे पमाने के और (तीन) मध्यम दर्जे के कितने औद्योगिक संस्थान बन्द पड़े हैं ;

(ख) इन औद्योगिक संस्थानों के बन्द होने के परिणाम स्वरूप कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ;

(ग) अब तक बन्द पड़े बड़े और मध्यम दर्जे के औद्योगिक संस्थानों के नाम क्या हैं और उनके श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) बन्द पड़े संस्थान के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय मशीनों की स्थिति

4309. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 8 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2588 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हाल ही में अपने नियंत्रण में ली गई गैर-कोकिंग कोयला खानों के संयंत्रों और मशीनों की दशा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): कोयला खान प्राधिकारी को सरकार द्वारा ग्रहीत गैर-कोककारी कोयला खानों के संयंत्र और मशीनरी की स्थिति के बारे में अभी तक कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में बनाये जाने वाले एक विमान की निर्माण लागत

4310. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलोर में बनाये जाने वाले एक विमान पर कितनी धन-राशि खर्च होती है ;

(ख) आयातित विमान की तुलना में इसकी लागत कितनी है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स में बनाये जाने वाले विमान की लागत आयातित विमान की तुलना में अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि० मुख्यतया रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायुयानों का निर्माण करता है। इन मामलों में लगने वाली घनराशि के संबंध में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित वायुयान के मामले में, कच्चे माल की स्थिति पर हि० ए० लि० के वायुयान के उत्पादन मूल्य की तुलना सामान्यतः उसी प्रकार के आयात किये जाने वाले वायुयान से की जा सकती है। लेकिन एच एस748 के मामले में, जिसका उत्पादन सीमित संख्या में होता है, हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि० की लागत कुछ अधिक है ।

(घ) अधिक लागत का कारण सीमित संख्या में उत्पादन होना तथा परिणामतः अधिक परिशोधन है। इसके अतिरिक्त वायुयान के सामान, उपस्कर तथा सहायक पूर्जों की सप्लाई के लिए किसी अच्छी प्रकार से विकसित औद्योगिक अवस्थापना की कमी भी है, जिन्हें अधिकतर आयात किया जाता है ।

उत्पादन लागत घटाने के लिए उठाए गए पगों में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि० में उत्पादन परियोजना और समय-सारणी, प्रोत्साहन योजनाएं, प्रशिक्षण आदि की ओर अधिक ध्यान देकर उत्पादकता में वृद्धि करना भी है। आयातित सामान और उपकरणों के यथा सम्भव देशी प्रतिस्थापना के विकास के लिए तथा देश में ही विभिन्न प्रकार के वायुयान के सहायक पुर्जों के निर्माण के लिए कई उपाय किये गए हैं।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किये गए सैनिक अधिकारी

4311. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सैनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो सरकारी उप-क्रमों में उच्च पदों पर प्रतिनियुक्त है ; और

(ख) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (उन पदों पर जिनका सिविल वेतनमान 2000 रु० और अधिक से आरम्भ होता है) ।

(ख) उपक्रमों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) मार्डन बैकरीज़ लि०

(2) भारत डाइनेमिक्स लि०

(3) प्रागा टूल्स लि०

(4) इण्डियन एयर लाइंस

(5) कोचिन शिपयार्ड लि०

(6) गार्डन रीच वर्कशाप लि०

(7) हिन्दुस्तान कापर लि०

(8) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ

4312. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : सामाजिक सुरक्षा लाभों को कृषि श्रमिकों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, अन्यों के साथ साथ निम्नलिखित प्रतिष्ठानों और बागानों में लगे श्रमिकों पर लागू होता है :—

1. गन्ने का ऐसा प्रत्येक फार्म जो किसी चीनी के कारखाने के मालिक या अधिष्ठाता की मूल कीमत हो या जिसकी खेती ऐसा मालिक या अधिष्ठाता या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति करता हो।
2. चाय बागान (असम में चाय के बागानों के अलावा)।
3. काफी बागान।
4. रबर बागान।
5. इलायची के बागान।
6. काली मिर्च के बागान।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को क्रमिक रूप से बागानों सहित, अतिरिक्त वर्गों के तिष्ठानों पर विस्तृत करने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रसूती लाभ अधिनियम, 1961 अन्यों के साथ-साथ बागानों पर लागू होता है। इसे किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर, कृषि प्रतिष्ठानों सहित, विस्तृत किया जा सकता है।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

4313. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे राज्यों में, जहां कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी गई है, क्रियान्विति के लिए कोई अलग तंत्र स्थापित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी लागू नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों में न्यूनतम मजूरी लागू करने के लिए आवश्यक क्रियान्विति तंत्र स्थापित करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : सूचना उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेख कर दिया जाये कि न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकारों का, 'उचित सरकारों' के रूप में, उनके द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मज़दूरियों को लागू करने के लिए पर्याप्त इन्तजाम करने का दायित्व है।

(ग) समय-समय पर राज्य सरकारों को अधिनियम की प्रभावी कार्यान्विति का सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करने हेतु सलाह दी जाती है।

Agreements with Foreign Countries

4314. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Nathu Ram Ahirwar:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the countries with which agreements have been entered into by India during the year 1971-72; and

(b) the nature and basis of these agreements?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) On the basis of information available with us, India entered into agreements with the following countries during the year 1971-72. Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Canada, Denmark, France, Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, Italy, Japan, Nepal, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America and Union of Soviet Socialist Republics.

(b) The agreements are political, economic, cultural, scientific and technical in nature The basis of these agreements is our desire to further develop and strengthen relations with the countries concerned in the fields noted above.

शिमला समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर मुठभेड़े

4315. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर मुठभेड़ हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्। सीमाओं पर कुछ मुठभेड़ हुई हैं।

(ख) छुट-फुट घटनाओं का फैसला फ्लैग बैठकों के माध्यम से स्थानीय कमांडरों द्वारा किया जाता है। सब मिला कर सीमा पर शान्ति है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक

4316. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुरकेला इस्पात संयंत्र में काम कर रहे ठेका श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(ख) कितने श्रमिकों को स्थायी रोजगार दिये जाने की सम्भावना है और यह रोजगार उन्हें कब तक दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां ठेका श्रमिकों को कम मजूरी दी जाती है और वे अस्वास्थ्यकर मकानों में रहते हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

चान्दीपुर प्रूफ एण्ड ऐक्सपैरीमेंटल इंस्टालेशन से गोला बारूद प्रयोग कार्य का स्थानान्तरण

4317. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ आधुनिक ढंग के गोलाबारूद के प्रयोग का काम जो अब तक बालासोर स्थित चांदीपुर प्रूफ एन्ड ऐक्सपैरीमेंटल इंस्टालेशन में किया जाता था, इटारसी मध्य प्रदेश को स्थानान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) कितने काम को इटारसी स्थानान्तरित किया गया है और क्या इसका प्रभाव इन कार्यों पर लगे कर्मचारियों पर पड़ेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1971 में सेंट्रल प्रूफ को इटारसी में स्थापित करने के उपरान्त, कुछ सामान्य प्रूफ के कार्य को इटारसी स्थानान्तरित कर दिया गया था। जहां तक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं तथा एक्सपेरीमेंट से संबंधित आधुनिकतम गोलाबारूद का संबंध है, किसी भी कार्य को इटारसी स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(ख) जिस प्रुफ कार्य को इटारसी स्थानान्तरित किया गया है उसे प्रकट करना लोक-हित में नहीं है। बालासोर में अनुसंधान तथा विकास परियोजना कार्यकलापों में तथा एक्स-पेरीमेंटल कार्य में वृद्धि के कारण कार्मिकों की किसी भी कटनी का विचार नहीं है।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर

4318. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, के तीन मशीन टूल्स संयंत्रों में मार्च, 1974 तक कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) क्या वर्ष 1974 तक उत्पादन में वृद्धि के साथ छोटा नागपुर के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारी इंजीनियरी निगम के भारी मशीनें बनाने के कारखाने, ढलाई गढाई के कारखाने और भारी उपयन्त्रों के कारखाने के लिए वर्ष 1973-74 के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। ये लक्ष्य 1972-73 की अवधि के प्रत्याशित उत्पादन से काफी अधिक होंगे।

(ख) और (ग) : आशा है कि उत्पादन में वृद्धि होने से 1973-74 में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। भारी इंजीनियरी निगम की भर्ती नीति के अनुसार भर्ती राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। भारी इंजीनियरी निगम के उत्पादन में वृद्धि होने से लगभग 3,000 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

पाकिस्तान का हिन्दू परिवारों को भारत वापस भेजने का प्रस्ताव

4319. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का विचार कुछ हिन्दू परिवारों को भारत वापस भेजने का है और इस प्रयोजन के लिए वह एक सूची बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान की ऐसी किसी कार्यवाही की सूचना सरकार को नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Repair of Roads of Danapur Cantonment Area

4320. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some roads under Danapur Cantonment Board are in a dilapidated condition;

(b) if so, whether despite provision of funds by Government to the Cantonment Board for repair of roads, the roads from Rikshaw Padav (Rikshaw Stand) to Lal Kothi *via* Danapur hospital and from Bus Stand to Sultanpur *via*, the hospital, have not been repaired; and

(c) if so, the reasons thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Cantonment Board does not receive grant in aid to the extent it asks for, repairs to roads are undertaken according to priorities. The road from Rickshaw Stand to Lal Kothi is considered by the Cantonment to be in good condition. The road from Bus Stand to Sultanpur, which runs along the periphery of the Cantonment and is not much used by the residents of the Cantonments has however been given low priority.

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिल्ली में कृषि भूमि का आबंटन

4322. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कालोनिस्ट नाम से जाने जाने वाले व्यक्तियों को पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़ी गयी भूमि के बदले में वर्ष 1949 में उनके दावों के निपटान के बाद 23 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी कृषि भूमि आबंटित नहीं की गई है और न ही कब्जा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ; और

(ग) उनके दावों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : प्रारंभ में दिल्ली के 76 कालोनिस्टों के दावे निपटाए गए थे। तथापि, बाद में निम्न कारणों के फलस्वरूप दिल्ली के 76 कालोनिस्टों में से, 27 के आंशिक दावे निपटान के लिए पुनः खोले गए थे। (इनके शेष दावों के निपटारे के प्रयोजन के लिए 115 मानक एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता थी) :—

(i) कुछ क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया और उन क्षेत्रों में भूमि के आबंटन को संशोधित कर दिया गया।

(ii) भूमि के कुछ प्लाटों के सम्बन्ध में किराएदारों ने भूमिदारी अधिकार अर्जित कर लिए थे और फलतः इन प्लाटों का आबंटन रद्द कर दिया गया था।

(iii) अपीलों या उच्च न्यायाधिकरणों में अभ्यावेदनों पर भूमि के कुछ प्लाटों को गैर-निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था।

(iv) पाकिस्तान से भूमि के रिकार्ड के प्राप्त होने पर दिल्ली के कुछ कालोनिस्टों के दावों की जांच करने पर वृद्धि कर दी गई थी।

उस समय दिल्ली कालोनिस्टों द्वारा अपने आप दिए गए वचन पर यह निश्चय किया गया था कि अनधिकृत कब्जेदार, यदि कोई हों, तो उन्हें आबंटित भूमि से बेदखल करने और एलाटियों को खाली भूमि का कब्जा देने के बारे में विभाग कोई कदम नहीं उठायेगा और इस प्रकार की भूमियों पर से अनधिकृत व्यक्तियों को सामान्य विधि की प्रक्रिया से बेदखल करना उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तदनुसार, इस आधार पर दिल्ली के शेष उन कालोनिस्टों को, जिनके मामले निपटाये नहीं गए हैं, भूमि का आबंटन किपा गया था। केवल 13 व्यक्तियों के मामले निपटारे के लिए शेष हैं। इन मामलों को तत्काल अन्तिम रूप देने के बारे में उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के 5 कालोनिस्टों ने, जिन्हें भूमि आबंटित की गई थी, अपनी भूमि के आबंटन को बदलने के बारे में अनुरोध किया है और उनकी प्रार्थनाएं विचाराधीन हैं।

पश्चिमी तिब्बत में चीन का विशाल राडार समूह

4323. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी तिब्बत में चीन द्वारा बनाये गये विशाल राडार समूह के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्। सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। लेकिन इस संबंध में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

(ख) हमारी रक्षा योजना बनाते समय सीमा पार के विकास कार्यों को ध्यान में रखा जाता है।

सड़कों के निर्माण-कार्य में लगे हुए दैनिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

4324. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब सड़कों का निर्माण-कार्य ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा हो, तब भी सड़कों के निर्माण में लगे हुए दैनिक श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजूरी दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में श्रमिकों को कितनी-कितनी राशि दी जाती है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सड़कों के निर्माण और देखभाल या इमारत के कार्यों सम्बन्धी रोज़गार के लिए अधिसूचीत की गई न्यूनतम मज़दूरियां ठेकेदारों के अधीन श्रमिकों पर भी लागू होती है।

(ख) अधिसूचित मजदूरी दरों संबंधी उपलब्ध सूचना भारतीय श्रम आंकड़े, 1972 के पृष्ठ 70; 71 सारणी, 4.11 में प्रकाशित की गई है।

रोजगार दफतरों द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को रोजगार

4325. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं, स्थानीय निकायों, अथवा सरकारी उपक्रमों के किसी नियोजक के विरुद्ध इस आधार पर कोई कार्यवाही की गई है या मुकदमा चलाया गया है कि उन्होंने उन लोगो को रोजगार नहीं दिया है जिनके नाम रोजगार दफतरों ने भेजे थे और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया था जिनके नाम रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजी गयी सूची में सम्मिलित नहीं थे ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : ऐसा काई कानूनी विधान नहीं है जिसके अनुसार नियाजकों को केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरती करनी होती है। ऐसी स्थिति में भरती करने के लिए रोजगार कार्यालयों का उपयोग न करने के कारण नियोजकों पर मुकदमा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तथापि, केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों को कार्यकारी निदशों के अधीन, रोजगार कार्यालयों का उपयोग करना होता है। बहुत ही कम मामलों में, जहाँ निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रत्ययकारी कार्यवाही की गई है।

उड़ीसा में बाक्साइट निक्षेपों के लिए खोज

4326. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बाक्साइट निक्षेपों के लिए खोज का काम जारी है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में ; और

(ग) अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा के कोरापुट जिले के पोतांगी क्षेत्र में बाक्साइट के लिए समन्वेषण किया जा रहा है ।

(ग) पोतांगी क्षेत्र में किए गए प्रारम्भिक अन्वेषणों से 2 व ं किलोमिटर के क्षेत्र मे फले हुए बाक्साइट और ऐलूमिनियम लेटेराइट की काफी मोटी परतें मिली हैं । कगार-मुखों पर बाक्साइट क्षेत्रों की मोटाई लगभग 6 मीटर प्रतीत होती है जिसमें 45 से 48 प्रतिशत एलमिना अन्तर्विष्ट है । 1972–73 के चालू क्षेत्र सत्र मे व्ययन द्वारा समन्वेषन प्रारम्भ किया गया है ।

शिमला समझौते की क्रियान्विति

4327. **श्री फतेहसिंहराव गायकवाड :** क्या विदेश मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि शिमला समझौते को अब तक किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जम्मू और काश्मीर मे नियंत्रण रेखा के अंकित होने तथा अधिकृत क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी के बाद शिमला समझौते के अनुच्छेद 4 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो गया है । शिमला समझौते के अनुच्छेद 3 मे उल्लिखित सामान्यीकरण के उपायों पर भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच कुछ अदान-प्रदान हूआ है, पर इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है । पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता देने से बराबर इन्कार करते रहने से उन युद्धबंदियों तथा असैनिक नज़रबंदियों के प्रत्यावर्तक के प्रश्न पर प्रगति नहीं हुई है जिन्होंने भारत-बंगलादेश की संयुक्त कमान के समक्ष समर्पण किया था, क्योंकि ऐसा करके पाकिस्तान ने बंगला देश को इस प्रश्न से संबंधित वार्ता में भाग नहीं लेने दिया है।

सरकार को आशा है कि पाकिस्थान इन प्रश्नों में संबंध में वास्तविक और रचनात्मक दृष्टिकोन अपनाएगा जिससे कि शिमला समझौते की शर्तो के अधिन सम्बंधों को सामान्य बनाने तथा उप महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना में शीघ्रता की जा सके ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में एक मिनी बस में कथित छेड़-छाड़ और मारपीट के कारण एक नर्सिंग आफिसर की मृत्यु हो जाने तथा दूसरी के गम्भीर रूप से घायल हो जाने का समाचार

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे :

"दिल्ली में रिंग रोड के निकट 17 मार्च, 1973 को एक मिनिबस-चालक द्वारा कथित छेड़-छाड़ और मारपीट के कारण एक नर्सिंग आफिसर की मृत्यू हो जाने तथा दूसरी के गम्भीर रूप से घायल हो जाने का समाचार ।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त) : यह सूचित किया गया है कि सैनिक अस्पताल, दिल्ली कटोनमेन्ट की दो लेडी नर्सिंग आफिसर 16 मार्च, 1973 की शाम को सिनेमा देखने पटेलनगर गई थी । सिनेमा समाप्त होने के बाद उन्होंने एक स्कूटर रिक्शा किया जो उन्हे राजौरी गार्डन तक ले गया ।

क्योंकि रिक्शा चालक ने राजौरी गार्डन से आगे जाने से इन्कार कर दिया, इसलिये वे दोनों अधिकारी नैरना के लिये मिनि-बस पर चढ़ी। नैरना मिनि-बस का टर्मिनस था इस लिये वहां सभी यात्री नीचे उतर गये। मिनि-बस के चालक ने इन अधिकारियों को सैनिक अस्पताल तक छोड़े जाने का प्रस्ताव किया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि जब मिनिबस पुनः चली तो कंडक्टर ने गाड़ी को चलाया और चालक मिनिबस के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मिनिबस के सैनिक अस्पताल को पार करने पर चालक ने उनसे शीलभंग करने का प्रयास किया। बताया जाता है कि उनमें से एक आफिसर चलती गाड़ी में से बाहर कूद गई और दूसरी को बाहर धकेल दिया गया। वे बस को तेजी से भगा ले गये।

रात्रि के लगभग 10.30 बजे एक राहगीर ने धौला कुंवा पुलिस चौकी को टलीफ़ोन पर सूचित किया कि ब्रार स्क्वेयर के समीप रिंग रोड पर उसने दो महिलाएं पड़ी देखी हैं। वह राहगीर उन्हें सैनिक अस्पताल लाया। अस्पताल में उनमें से एक मृत और दूसरी बेहोश पाई गई। सैनिक अस्पताल के अधिकारियों ने रात्रि के लगभग 11-50 बजे टेलीफोन पर पुलिस को नर्सिंग अधिकारियों के अस्पताल में आने की सूचना दी। पुलिस ने मृतक के पर्स से दो बस टिकट बरामद किये। बहोश अधिकारी ने होश में आने पर दिन के लगभग 2 बजे पुलिस को बयान दिया। पुलिस ने खोज आरम्भ की और 17 मार्च को दोपहर बाद घटना से सम्बन्धित मिनिबस के तथाकथित चालक और कंडक्टर दोनों को गिरफ्तार किया और मिनि बस को कब्जे में कर लिया गया। मामला दर्ज कर दिया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है।

यह एक दुखद एवं घृणित घटना हुई है जिससे हमें आघात पहुंचा। यह सन्तोष की बात है कि पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्यवाही की। पुलिस को शीघ्रता से जांच-पड़ताल पूरी करने को कहा गया है।

श्री सेझियान : यह बहुत गम्भीर घटना है। जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस ने इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही की है। गत वर्ष भी इसी तरह की घटनाएं घटी थीं। इससे दिल्ली में होने वाले अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि होने का पता लगता है। दिल्ली में वर्ष 1969 में 15,200 प्रज्ञय अपराध हुए जबकि गत वर्ष इनकी संख्या 32,500 थी। राजधानी होने के नाते यह और भी गम्भीर बात है। दिल्ली की पुलिस ने इन अपराधों से निपटने के लिये उचित कार्यवाही नहीं की है।

दिल्ली के लिये एक पृथक संवर्ग बनाया जाना चाहिये। जिससे पुलिस अधिकारी अपना काम प्रभावशाली ढंग से कर सके।

दिल्ली पुलिस द्वारा गश्त लगाने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। दिल्ली में सभी यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है। दिल्ली में पुलिस व्यवस्था सबसे कमज़ोर है। जबकि यहां यह सबसे मजबूत होनी चाहिये थी।

मिनी-बसों को अंधांधुन्द परमिट जारी करना दिल्ली की यात्रा करने वाली जनता के लिये एक परेशानी पैदा करना है। अन्य स्थानों पर परमिट जारी करने से पूर्व बहुत सावधानी से काम लिया जाता है। मंत्री महोदय को कम भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन की बस चलाने पर विचार करना चाहिये।

दिल्ली में पुलिस व्यवस्था में नवीनता लाई जानी चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : गत कुछ वर्षों में पुलिस की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन यदि त्रैवार्षिक पुनरीक्षण के बाद पुलिस की संख्या में और अधिक वृद्धि की आवश्यकता समझी गई, तो ऐसा किया जायेगा।

जहां तक उपकरणों आदि का सम्बन्ध है हम पुलिस को आधनिक बनाने का प्रयास कर रहे है और उसके लिये वायरलेस सेंट, और अपराधों का पता लगाने के लिये अपराध विज्ञान प्रयोग शालाओं की व्यवस्था की ओर सरकार ध्यान देती है। यद्यपि संसाधनों की कमी है फिर भी धन के नियतन के अनुसार हम यथासम्भव प्रयास कर रहे है।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

दिल्ली के इंस्पेक्टर तथा उससे नीची श्रेणी के लिये पृथक संवर्ग की व्यवस्था है। दिल्ली और अन्दमान के डिप्टी सुपरिन्टेन्डन्ट आफ पुलिस के लिये संयुक्त संवर्ग है और सब संघ राज्य क्षेत्रों के आई० पी० एस० अधिकारियों के लिये संयुक्त संवर्ग की व्यवस्था है।

इंस्पेक्टरों तथा उनके नीचे के पदाधिकारियों द्वारा अपने इलाके के बारे में पूरी जानकारी रखने के बारे में ध्यान दिया जायगा।

यातायात का उल्लंघन करने के बारे में अनेक लोगों को पकड़ा गया है।

इस समय मिनी-बसों की संख्या 84 है जिनमें से दिल्ली परिवहन के अन्तर्गत 19 बसे हैं 38 सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती है, 18 निजी कम्पनियों द्वारा चलाई जाती है और 9 भूतपूर्व-सैनिकों द्वारा चलाई जाती है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम के लिए 30 मिनि-बसों के परमिट स्वीकार किये है, जिनमें से 14 परमिट जारी किये जा चुके है। उक्त परमिट रेलवे स्टैशन और अन्तरराज्य बस अड्डे के बीच के लिये जारी किये गये है। इससे यात्रियों को सामान ले जाने में सुविधा होगी।

कन्डक्टरो औंर ड्रायवरों को नियुक्त करने से पूर्व पुलिस द्वारा उनके बारे में जांच की जाती है। इस मामले में भी जाच की गई थी लेकिन उनके खिलाफ कोई शिकायत नही पाई गई।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : वक्तव्य में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार का समाज में इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है। पुलिस ने तभी शीघ्रता से कार्यवाही की जब एक महीला अधिकारी की मृत्यु हो गई और दूसरी बहोश पड़ी थी।

उक्त घटना दिल्ली में कानून और व्यवस्था के समाप्त हो जाने की द्योतक है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सबसे अधिक अपराध होते हैं। यदि इस प्रकार दिल्ली में अपराधों की संख्या में वृद्धि होती रही तो पता नहीं दिल्ली के सामाजिक जीवन की क्या दशा होगी। घटना के बाद कार्यवाही करना ही पर्याप्त नहीं है। इस बात को जानने का प्रयास करना चाहिये कि ऐंसी घटना क्यों घटी।

सरकार दिल्ली के वातावरण का सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करे और इस बात का पता लगाये कि ऐंसी क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जानी आवश्यक है जिससे दिल्ली को एक सभ्य समाज समझा जा सके।

दिल्ली की मुख्य समस्या परिवहन की समस्या है। सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिये।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है क्या सरकार इन घटनाओं की आयोग द्वारा उचित जांच करवायेगी और आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार कार्यवाही करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पुलिस ने घटना की खबर मिलते ही कार्यवाही आरम्भ कर दी थी। उसी दिन रात को 2 बज बयान रिकार्ड किया गया और अगले दिन दोपहर तक बस का पता लगा लिया गया और पुलिस ने दो व्यक्तियों को शक में गिरफतार कर लिया। इस मामले में उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

कुछ समय पूर्व आयोग का गठन किया गया था। हमने आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर कार्यवाही की थी।

हम दिल्ली में अपराधों की स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पुलिस के अनुसंधान ब्यूरो से इस बारे में जांच करने का अनुरोध किया है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मामले में पुलिस ने शीघ्र कार्यवाही की लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता। मामला इसलिये गंभीर है कि ऐसी घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है। इन्हीं कुछ दिनों में ऐसी तीन घटनाओं को सभा के सामने लाया गया है। मैंने कल सैनिक अस्पताल का दौरा किया था और उस नर्स अधिकारी से बातचीत की थी, जो होश में आ चुकी थी। उसने बताया कि मिनि-बस में ऐसी घटनाएं आम हो गई है। इन मिनि-बसों पर दिल्ली परिवहन निगम का नियंत्रण नहीं रहा है। इन बसों के लिये कोई बस स्टाप नहीं है।

सरकार बसों में महिलाओं को संरक्षण देने में असफल रही है। यदि सरकार मिनी-बसों पर नियंत्रण नहीं रख सकती तो उसे मिनी-बसें चलाना बन्द कर देना चाहिये। सरकार उनमें महिला पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था कर सकती है। इससे इन घटनाओं में कमी होगी।

यह मामला बहुत गम्भीर है और इसे सामान्य तौर पर नहीं लिया जाना चाहिये। जब तक सरकार इन घटनाओं के मूल कारणों की जांच नहीं करेगी, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी।

चूंकि गृह-मंत्रालय और सरकार समस्त सुरक्षा के लिये जिम्मेवार है, वे इन बराइयों से हमें कैसे छुटकारा दिलायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि आवश्यक हुआ तो आकस्मिक छापों की व्यवस्था की जायेगी। लेकिन प्रत्येक बस में पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टि से कठिन होगी। अपराध करने की प्रवृत्ति में घर, शिक्षा, धर्म आदि का महत्व रहता है।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : गृह मंत्रालय के पास ही बलात्कार, अपहरण, शीलभंग आदि की घटनाएं घट रही हैं। सबसे गम्भीर बात यह है कि उक्त घटनाएं विश्वविद्यालय और कालेज जैसे पवित्र स्थानों में घट रही हैं।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए एक समिति का गठन किया जाना चाहिये और उस समिति में संसद् सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिये। वह समिति समय समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन कर सकती है।

पुलिस प्रशिक्षण के बारे में एक आयोग की स्थापना की गई थी। सरकार ने उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ? संसद् सदस्यों के लिये भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है।

समिति की स्थापना के अतिरिक्त सरकार को पुलिस को और अधिक सतर्क रहने का निदेश देना चाहिये।

इस मामले में पुलिस को दुर्घटना से पहले घटी घटनाओं की भी जांच करनी चाहिये थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिये नियुक्त आयोग ने अभी हाल ही में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और सरकार उस की जांच कर रही है।

माननीय सदस्य ने इस बारे में एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस समिति से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। लेकिन श्रमिक संघ के नेताओं से विचार विमर्श करने के सुझाव पर मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में मैं यह कहूंगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसपलों से सम्पर्क बनाये रहते हैं। स्कूल और कालेज के बाहर, बाजारों तथा बस स्टेन्ड के पास पुलिस तैनात की जाती है। बड़े-बड़े बस मार्गों पर भी पुलिस तैनात की जाती है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में हम पूर्णतया संतुष्ट नहीं है। जांच के दौरान इस मामले से सम्बन्धित तथ्य प्रकाश में आ जायेंगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : राजधानी में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था चिन्ता का विषय है। यह बहुत दुःख की बात है कि महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने वाले इस महान देश में महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है। बताया गया है कि अधिक पुलिस कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। यह बात हम सभी को विदित है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों, मंत्रियों तथा बहुत से अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये कितने अधिक पुलिस कर्मचारी तैनात किये जाते है। विभिन्न राजनैतिक दलों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों को भंग करने उनमें बाधा डालने के लिये, कांग्रेस दल की बैठक के लिये बहुत से पुलिस कर्मचारी सीदे कपड़ों में तैनात किये जाते हैं। सरकार पुलिस प्रशासन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि पुलिस कर्मचारी शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के अपने मूल कार्य को कर सकें। यदि राज्यों में स्थिति अच्छी है तो क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राज्य का स्तर प्रदान करने पर विचार किया जायेगा जिससे कि यहां स्थिति में सुधार हो सके।

क्या रिंग रोड के लिये उड़न दस्तों की व्यवस्था है, यदि है, तो उन्होंने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा और इस घटना के बारे में सूचना क्यों नहीं दी। किन परिस्थितियों के अन्तर्गत जांच कार्य किया जा रहा है। यह घटना ही घटित न होती यदि स्कूटर चालक ने दोनों यात्रियों को बैठाने से इन्कार न किया होता। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो स्कूटर तथा टैक्सी चालकों को यात्रियों को बिठाने से इन्कार करने से रोक सके।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय मित्र ने महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की बात कही है। हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। यह स्थिति आज भी है। यह जो घटना हुई है कोई नई नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाये हुई हैं।

जहां तक राज्य का दर्जा प्रदान करने की बात है इसका उत्तर नकारात्मक है। कहा गया है कि जब घटना घटी वहां कोई उड़न दस्ता नहीं था। मैंने बताया है कि जैसे ही सूचना प्राप्त हुई घटना स्थल के समीपवर्ती उड़नदस्ते से वहां पहुंचने के किये कहा गया और वे तुरन्त ही वहां पहुंच गये। मामला मुलरुप से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा 304 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। परन्तु बाद में इन धाराओं को बदल कर 302, 306, 354 तथा 304 कर दिया गया। मेरे विचार से इस प्रकार का कोई कानून बनाना संभव नहीं है जो स्कूटर चालकों को उस स्थान पर जाने के लिये बाध्य कर सके जहां वे नहीं जाना चाहते।

श्री पी० के० देव : पुलिस कर्मचारी बेकार के कार्यों के लिये तैनात किये जाते हैं शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये नहीं। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहते है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। यदि दिल्ली में आन्दोलन होते जिनसे कानून और व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता है और पुलिस तैनात नहीं की जाती है तो सर्वप्रथम आप ही यह कहेंगे कि मैंने सावधानी नहीं बरती है।

जहां तक महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा मंत्रियों की सुरक्षा के लिये पुलिस कर्मचारी तैनात करने का प्रश्न है, उड़ीसा में माननीय सदस्य के दल ने सरकार बनायी है। वह अपने साथियों से ही पूछ सकते है कि क्या मंत्रियों की सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मचारी नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।... **(व्यवधान)**

सभा पटल रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर के कार्य को समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4552/73]**

भारत अल्मीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारत अलमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिली के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारत अल्मीनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—4553/73]

कन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4554/73]

(2) कोयला खान भविष्य निधि कुटम्ब पेंशन और बोंनस स्कीम अधिनिमम, 1948 की धारा 7क के अन्तगत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

एक) कोयला खान बोनस (संशोधन) स्किम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 501 (ड.) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनां 30 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 502 (ड.) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) आसाम कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 503 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) राजस्थान कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 504 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी—4555/73]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

33वां प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (अलमोडा) : मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग)—परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 33वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSCENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

9वां प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामंत (तामलूक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बधी समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

गुरुगोविंद सिंह मैडिकल कालेज, फरीदाबाद के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE GURU GOVIND SINGH MEDICAL COLLEGE, FARIDABAD

अध्यक्ष महोदय : श्री खाडीलकर।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): इस सदन को याद होगा कि 7 मार्च, 1973 को तथाकथित गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद के कार्योपर बोलते हुए मैंने वचन दिया था कि मैं इस संस्था द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने के संबंध में किये जा रहे प्रयासों के परिणामों के बारे में आगे और वक्तव्य दूंगा।

मामलों को परिप्रक्ष्य में बैठाने के लिए मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस वक्तव्यों की ओर आकृष्ट करूंगा जो मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने इस विषय पर 30 नवम्बर, 1972 तथा बाद में 19 दिसम्बर 1972 को इस सदन में दिये थे। इन वक्तव्यों में उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले के सभी संबंधित तथ्य पर प्रकाश डाला था जिन्हें यहां पर दुहराने की जरूरत नहीं है। मेरे पूर्ववर्ती मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह बतला दिया था कि केन्द्रीय सरकार किसी स्नातक पूर्व चिकित्सा कालेज को अपने अधीन लेने की स्थिति में नहीं है। तथापि एक माननीय सदस्य के इस कथन का जिक्र करते हुए कि दान रूप में कुछ धन एकत्र किया जाय, उन्होंने कहा था कि यदि कोई ट्रस्ट रजिस्टर अथवा निर्मित किया जा सकता है और साथ ही यदि परोपकारी तथा सार्वजनिक कार्यों में उत्साह लेने वाले सज्जन जो पंजाब तथा हरियाणा और संभवता दिल्ली में छात्रों की शिक्षा में रुचि रखते हों, एक जुट हो सकते है तो प्रारम्भ में अपेक्षित काफी धन राशि जुटाई जा सकती है. . . .और तब शायद ही कोई हल निकाला जा सके। उन्होंने यह भी कहा था कि इस कालेज के प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के प्रश्न को वे हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ उठायेंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से मैंनें भी इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया है। जैसा कि सदन को विदित है स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा राज्य का विषय है। इस लिए भारत सरकार के लिए इस विषय में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना संभव नहीं होगा।

फिर भी, इस सदन में दिये गये वक्तव्यों का अनुसरण करते हुए मेरे पूर्ववर्ती मंत्री जी ने पंजाब तथा हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे यह पता लगाए कि क्या कोई धर्मार्थ ट्रस्ट इस कालेज के प्रबन्ध में रुचि रखता है। मैंने भी इस मामले के संबंध में इन दोनों मुख्य मंत्रियों से बात चीत की। दुर्भाग्यवश हमारे प्रयासों का परिणाम उत्साह जनक नहीं रहा। अब यह लगभग स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस कालेज के प्रबन्ध को संभालने के लिए न तो किसी वर्तमान धर्मार्थ संगठन के तैयार होने की संभावना है और न इस काम के लिए कोई नया संगठन ही बनाया जा सकता है।

मेडिकल कालेजों में सीट सीमित होती हैं और वे राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारी के नियंत्रण में होती हैं। इनको सुव्यवस्थित और निर्धारित विधि से भरा जाता है। केवल सर्वोच्च और अधिकतर मामलों में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसके विपरीत, अधिकतर छात्रों के, जिन्होंने इस तथा कथित चिकित्सा कालेज में अपने लिए सीटें खरीदी हैं अंक भी इतने कम बतलाए जाते हैं कि वे देश के किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में सामान्यतया दाखला प्राप्त नहीं कर सकते थे। जब देश में इनसे कहीं अच्छे अंक प्राप्त करने वाले काफी बड़ी संख्या में मेडिकल कालेजों में सीमित सीटें होने के कारण प्रवेश नहीं पा सक रहे हों तब सदन यह स्वीकार करेगा कि गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज के छात्रों को किसी प्रकार की तरजीह देना सम्भव नहीं है।

देश में ऐसे मेडिकल कालेज है जहां पर दाखला अखिल भारतीय आधार पर प्रतियोगिता परीक्षाएं लेकर दिया जाता है। अपने उन युवकों को, जिन्होंने भख-हड़ताल कर रखी है, सच्चे दिल से मैं यह सलाह देता हूं कि वे मेहनत करें और आने वाले सत्र में इन कालेजों में प्रवेश पाने का यत्न करें।

बहुत से यवा छात्रों के साथ धोखा हुआ है इससे इस सदन को चिन्ता हुई है। मैं भी माननीय सदस्यों की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने उनकी सरकार द्वारा की गई जांच-पड़ताल के परिणाम से मुझे हाल ही में सूचित किया है। इस मामले में चूंकि कालेज के प्रबन्धकों द्वारा धन अपनी दिल्ली स्थित शाखा में वसूल किया गया बतलाया जाता है और स्वयं सोसाइटी पटना में पंजीकृत थी, इसलिए इस सोसाइटी के कथित क्रियाकलाप अन्तरराज्यीय है। अतः हरियाणा सरकार ने अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए। यह किया जा रहा है।

[श्री आर० के० खाडीलकर]

मैं सदन को यह आश्वासन दे देना चाहता हूं कि इस दुखद स्थिति को पैदा करने के जिम्मेदार व्यक्तियों अथवा संगठन के साथ कानून के अधीन जो भी सख्त कार्यवाही की जा सकती है उसे करने में कसर नहीं छोडी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में छात्र इस तरह न ठगे जाएं, भारत सरकार ने प्रति व्यक्ति शुक्ल के आधार पर प्रवेश देने और घटिया स्तर के मेडिकल कालेजों को खोलने पर अखिल भारतीय कानून के द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न राज्य सरकारों से उठाया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सुनना नहीं चाहते तो हम अगले विषय पर जाते। । **(व्यवधान)**

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय को कुछ ऐसा कहना चाहिए जिससे कुछ समाधान की आशा झलके। पर इस चार पृष्ठों के वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं जिससे कोई समाधान होता हो। उन्होंने यह तक नहीं बताया कि छात्र तथा उनके अभिभावक एक समिति बना कर संस्था का प्रबन्ध चलानेको तैयार है। इस तथ्य को छिपाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अल्पावधि चर्चा के समय आप इन सब बातों को उठा सकते है।

अब हम नियम 377 के अन्तर्गत उठाए गय मामले को लेते है।

अमरीका से आयातित धतूरा मिले माईलो के बारे में

RE : DHATURA MIXED MILO IMPORTED FROM USA

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : एक दिन पहले हमने अमरीका से खरीदे गये माइलों में धतूरे के बीज मिलाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की थी। पर आज के 'पैट्रियट' से पता चलता है कि सरकार अमेंरीका से और माइलो खरीद रही है।

इस तथ्य को माना गया है कि माइलों में धतूरे के बीज मिले हुए है। जब सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों, माइलो की इस खरीद से चिन्तित थे तो श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने इसे न्यायोचित बताया। अब मंत्रिमण्डलीय राजनीतिक-कार्य समिति भी इस ठेके को पूरा करना चाहती है। इस समिति की शक्तियां सभा से अधिक नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से इस आशय का वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं और यह आश्वासन चाहता हूं कि इसकी खरीद तब तक ही की जायगी जब तक कि संसद में इस पर चर्चा न हो जाय। लोगों की जान-की कीमत पर इसकी खरीद सरकार नहीं कर सकती।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बेसबर न हो। एक अन्य सदस्य महोदय ने इसी विषय पर सूचना दी है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : इस समाचार से दो बाते उठती है। एक तो यह कि जब सरकार ने माइलो का आयात करने का निर्णय कर लिया है तो उसे इस बात का पूरा पता था कि उसमें धतूरे के बीज मिले है। यह बात गत सप्ताह अमरीकी प्रवक्ता ने कही भी थी। पर सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि यह लाखों लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाएगा।

दूसरी बात यह कि पिछली बार सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया था कि इस मामले की पूरी जांच करके वह एक वक्तव्य देगी। पर दस दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद भी सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। अतः यह एक चिन्ता का विषय बन गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय अभी वक्तव्य देने में समर्थ है या वे बाद में वक्तव्य देंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): मैं बाद में वक्तव्य दूंगा। पर जो श्री बनर्जी ने कहा है वह सही नहीं है... **(व्यवधान)**।

चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के बारे में
RE : ARREST OF DEMONSTRATORS AT CHANDIGARH

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : **श्रीमन्** संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में बढ़ती हुई कीमतों की ओर पंजाब सरकार और विधान सभा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अन्याय पूर्ण ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है। कल मेरे दल के 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। मैं नहीं समझता कि जब लोग अपनी राज्य सरकार के विरुद्ध कोई आन्दोलन करते है तो केन्द्रीय सरकार किस प्रकार इसमें आती है और दमनकारी हत्याकांण्डें क्यों अपनाती है। आप कृपया गृह मंत्री को अनुदेश दें कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी तथा उनसे एक वक्तव्य देने को भी कहे।

आंध्र प्रदेश बजट, 1973-74 सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें, 1973-74 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1972-73
ANDHRA PRADESH BUDGET, 1973-74—GENRAL DISCUSSION. DEMANDS FOR GRANT ON ACCOUNT, 1973-74 AND SUPPLENETARY DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इस बजेट पर यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि विधान सभा को विघटित नहीं किया गया है, केवल वहाँ की असामान्य स्थिति के कारण वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मैं यहाँ बजट के बारे में न कह कर वहाँ विद्यमान स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हुं।

बजेट पेश करते समय अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है कि शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जायगी। पता नहीं उन्होंने यह किस आधार पर कहा है। अलग आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की मांग को लेकर वहाँ सामान्य जीवन बिलकुल अस्त-व्यस्त हो गया है, और यह सब सरकार की नीतियों के कारण हुआ है।

मुल्की नियम शोधक सामन्तवाद के समय लागू किए गये थे तथा इस शास्त्र को लेकर कुछ स्वार्थी लोग प्रथक्करण की मांग कर रहे है।

तेलंगाना के लोगों की कुछ उचित शिकायतें है; क्योंकि यह प्रदेश सब दृष्टीसे पिछड़ा हुआ है। इस प्रकार उनकी आर्थिक और रोजगार सम्बन्धी समस्याएं हैं।

[श्री समर मुखर्जी]

आन्ध्र प्रदेश में भी बेरोजगारी आर्थिक और पिछड़ेपन की समस्याएं हैं। इसका एक मात्र हल केन्द्रीय सरकार की मूल नीतियों में परिवर्तन करना है, क्योंकि जो भी अव्यवस्था वहाँ विद्यमान है वह सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण है।

अतः आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रदेश के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए सामन्तवादी तत्वों एकाधिकारियों तथा स्वार्थ साधन करने वालों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों को क्षेत्रीयता के आधार पर पृथक्करण के लिए उकसाया जा रहा है। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा, इससे बढ़ती कीमतों की समस्या का समाधान नहीं होगा और नहीं शोषण, भ्रष्टाचार तथा पिछड़ेपन का। क्षेत्रीयता की इस भावना को सरकार ने स्वयं भड़काया है। न केवल आन्ध्र प्रदेश में बल्कि सारे भारतवर्ष में राज्यों के विभाजन की मांग फिर से की जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है?

इसका कारण यह है कि बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन और स्वार्थी लोगों का सामना करने के बजाय सरकार लोगों के असंतोष को दूसरी दिशा में मोड़ रही है और अब अलग तेलंगाना की मांग की जा रही है। वास्तविक तथ्य है। तेलंगाना का पिछड़ापन उसके लिए वहाँ के लोगों को मुल्की नियमों के अन्तर्गत उनकी नौकरियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। उनकी यह मांग पूर्णतः न्यायोचित है। पर जब इसके लिए एक तरह से आन्ध्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया जाये तो फिर इसका क्या अर्थ हो सकता है।

पृथक्करण की प्रवृत्ति को इतना बढ़ावा दिया गया है कि अब उसका हाथ ऊपर हो गया है। यदि हम इस भावना को बढ़ावा देते हैं तो इसका परिणाम विभाजन ही होगा।

अतः आन्ध्रवासी तेलंगाना के पिछड़ेपन के जिम्मेदार नहीं हैं और न हीं विभाजन से उसकी समस्याएं सुलझ सकती हैं, क्योंकि इसका अर्थ होगा अतिरिक्त व्यय। बेरोजगारी की समस्या इतनी भयंकर है कि एक-दो कार्यालय खोलने से इसका समाधान नहीं होगा। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए अन्यथा हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते।

पृथक्करण की इस भावना में यदि हम बहते हैं तो फिर समस्त भारत में पृथकता की भावना और अव्यवस्था फैल जायेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पिठासीन हुए।]

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

इसका एक ही समाधान है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को नौकरियों और उनको बसाने के सम्बन्ध में गारंटी दी जाए। इसलिए 2:1 के अनुपात को अपनाना फिलहाल उन्हें मिलाने का साधन है। इससे तेलंगाना के लोगों को भी आन्ध्र में नौकरियां मिल सकेगी। सभी जगह इसी आधार पर स्थानों को सुरक्षित किया जाए। इसी आधार पर सब लोग यह सोचने लगेंगे कि हम तेलुगु बोलने वाले लोग हैं। हमारी राष्ट्रीयता और राज्य एक है। अतः समस्या का वास्तविक समाधान इसी फार्मूले से हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह यह फार्मूला स्वीकार कर ले ताकि राज्य विभाजित न होने पाए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने 8 मिनट के स्थान पर 15 मिनट ले लिए। इस प्रकार तो चर्चा निर्धारित समय में समाप्त नहीं हो सकती।

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापत्तनम्) : आंध्र प्रदेश की राजनीतिक स्थिति भ्रान्तिपूर्ण है। आंध्र प्रदेश को पृथक करने के लिए आन्दोलन करने वाले लोग प्रायः वकील और शिक्षित वर्ग की कोटि में आते हैं। इस प्रकार इस आन्दोलन ने वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया है। अतः आवश्यक यह है कि लोगों के मन में एकता की भावना भरी जाए, तभी भारतवर्ष उन्नति कर सकता है।

विशाखापत्तनम् बन्दरगाह का निर्माण कार्य 1974 तक पूरा हो जाएगा। मेरे विचार में हमें हिन्दुस्तान शिपयार्ड का भी विस्तार करना चाहिए। जापान ने 3 लाख टन क्षमता वाले जहाज बनाए हैं जब कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड 18,000 टन क्षमता वाले जहाज बनाता है। अतः हमें एक लाख टन क्षमता वाले जहाजों का निर्माण करना चाहिए।

मुझे बताया गया है कि एक अमरीकी तेल कम्पनी गोदावरी नदी घाटी में तेल खोजने के लिए सर्वेक्षण करेगी। वस्तुतः हमें लाभ तभी हो सकता है जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए स्वयं कुएं खोदने का कार्य शुरू करें। हमें विदेशी सहयोग व सहायता लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा कृषि राज्य है और इसके पास पर्याप्त जल संसाधन हैं। भारत सरकार ने जहाँ संसाधनों का पता लगाने के लिए हवाई जहाज से सर्वेक्षण भी किया है परन्तु उस पर बहुत अधिक लागत आई है। मेरा सुझाव है कि आंध्र प्रदेश सरकार सम्पूर्ण आंध्र का बिना शुल्क के सर्वेक्षण करे और आम जनता को इसकी सूचना दे।

दण्डकारण्य परियोजना के अधीन एक संयुक्त बहुमुखी परियोजना बनाकर मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की अरकू घाटी और उड़ीसा के कोरापुट जिले की कुल 50,000 एकड़ भूमि का विकास किया जाए।

दिल्ली में विश्व परमाणु ऊर्जा संगठन ने ज० स्वामीनाथन् के अधीन एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की है। कृषि कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग हेतु भी प्रयोगशाला होनी चाहिए। अरकू घाटी में संयुक्त परियोजना बनाई जा सकती है। दक्षिण में कृषि विकास के लिए पूसा कृषि संस्थान की भांति एक संस्थान बनाया जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह अच्छी बात नहीं कि आंध्र प्रदेश के बजट पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है, जबकि यह काम राज्य सरकार की विधान सभा का है। वास्तविकता तो यह है कि सरकार की नीतियों अवसरवादी हैं और इसलिए संकट के समय कांग्रेस दल पर तब तक निर्भर नहीं रहा जा सकता जब तक वह ऐसी नीतियों को न छोड़ दे। हम सभी जानते है कि इन दंगों का मुख्य कारण बेरोजगारी है परन्तु सरकार गंभीरतापूर्वक इस समस्या का हल नहीं कर रही। बेरोजगारी के कारण ही भाषायी या साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। सरकार ने जनता के साथ जो वायदे किए थे, वे पूरे नहीं हो रहे। इसलिए लोगों के धैर्य का बाँध टूट चुका है। यदि देश का पिछड़ापन दूर न किया गया तो दंगे और बढ़ेंगे। सरकार एकाधिकारियों और पूंजीपतियों के सहयोग से पिछड़ापन दूर नहीं कर सकती। आंध्र प्रदेश का मामला इसलिए गंभीर हो गया कि निर्णय करने में विलम्ब किया गया। यदि पाँच सूत्रीय फार्मूला पहले घोषित कर दिया गया होता तो दंगे नहीं होते।

आंध्र प्रदेश में भूमि सीमा अधिनियम बनाया गया था परन्तु राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने में विलम्ब हो गया। इससे आंध्र के जमींदारों को मनमानी करने का अवसर प्राप्त हो गया। कई जमींदार, थोक व्यापारी, सिनेमा मालिक और ऋण दाता बन गए। चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए सरकार विलम्ब कर रही है।

[श्री भोगेन्द्र झा]

आंध्र प्रदेश के जमींदारों की भूमि को बचाने के लिए कई राजस्व सम्बन्धी फाइलें जला दी गई और निहित स्वार्थों ने रिकार्ड जला डाले। अब भी सरकार यह कहती है कि आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू नहीं किए गए और स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।

रायलसीमा और तेलंगाना में राहत कार्य तब तक चालू रखा जाना चाहिए जब तक खरीफ की फसल नहीं आ जाती, अन्यथा भुखमरी से मरने वालों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन होगा। दूसरे, भूमि सीमा अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और अतिरिक्त भूमि को लोगों में बांट दिया जाना चाहिए।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना प्रदेश और रायलसीमा के लोग संयुक्त आंध्र के पक्ष में हैं।

सरकार को पथकतावादियों के साथ मिलकर कोई समझौता करना चाहिए। सरकार को आंध्र में जनसभाए करने की छूट देनी चाहिये।

तेलंगाना क्षेत्रमें सरकारी क्षेत्र की परियोजना शुरू की जानी चाहिये। इससे न केवल लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि लोगों में एकता की भावना को भी बल मिलेगा। राहत कार्यो और विकास कार्यों के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है वह कम है। अधिक धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि यह बजट विधान सभा में पेश नही किया जा सका और संसद में पेश किया जा रहा है। यदि सरकार ने आंध्र और तेलंगाना के लोगों की भावना का आदर किया होता तो यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता था। दोनों प्रदेशों के लोग अलग राज्य के पक्ष में है। यदि इसमें सरकार का संदेह हो तो वह वहाँ मतदान करा सकती है।

आंध्र प्रदेश के 21 ज़िलों में से 14 ज़िले विशेषकर तेलंगाना और रायलसीमा काफी पिछड़े हुए हैं। अतः उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा अधिक सहायता दी जानी चाहिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष का परिव्यय बहुत घट गया है। इससे पिछड़ा हुआ राज्य और भी पिछड जाएगा।

हाल ही में रेलमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि नदीकुदे से बीबी नगर तक रेलवे लाइन बनाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यदि यह लाइन बनाने का काम शुरू किया जाय तो 100,000 से अधिक श्रमिकों को 3 वर्ष की अवधि के लिए काम मिलेगा। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए और अधिक सहायता दी जानी चाहिए।

हैदराबाद, सिकन्दराबाद और ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल का अभाव है। अतः उसमान नगर पाइप लाइन से जेल लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। सरकार को इस ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि जल का अभाव दूर हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रिंगों की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में उपलब्ध रिंग पर्याप्त नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि बाहर से इनका आयात किया जाएगा। बिजली के संकट का भी कोई समाधान नहीं निकाला गया है। इससे न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि औद्योगिक क्षेत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

कोठागुड्डम में तापीय बिजली उत्पादन क्षमता के प्रस्तावित विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नागार्जुनसागर परियोजना को भी शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कोठागुड्डम और विजयवाड़ा में तापीय बिजली घर की स्थापना के लिए सिंगरेनी कोयला भंडारों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि न केवल आंध्र की बल्कि दक्षिण प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

राज्य में चारे की कमी है। चारा डिपो प्रत्येक ब्लाक में खोले जाने चाहिएं और सरकारी सहायता से उचित दर पर यह चारा जनता को दिया जाना चाहिए ताकि व अपने पशुओं को बचा सकें।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में उद्योगपति हिचक रहे हैं। सरकार को इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए और बिजली संचार सेवा प्रारम्भ करनी चाहिए। राज्य में खाद्यान्न की भी कमी है। केन्द्र सरकार द्वारा भेजा जा रहा खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों को नहीं पहुंच रहा है। अतः अभावग्रस्त क्षेत्रों में राशन की व्यवस्था होनी चाहिए।

1971-72 में 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि 1973-74 में केवल 87 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, 1971-72 में केवल 72 करोड़ रुपये व्यय किए गए। पिछली सरकार ने राज्य के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। उस काल में कई आगज़नी और लूटमार की घटनाएं हुई परन्तु कोई न्यायिक जांच नहीं कराई गई। आशा है कि सरकार सभी मामलों की न्यायिक जांच कराएगी।

आंध्र और तेलंगाना प्रदेश के लोग आंध्र के विभाजन के पक्ष में हैं। अतः सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए और इसके लिए शीघ्र आदेश दे देना चाहिए। यदि सरकार को संदेह है तो वह जनमत संग्रह करा सकती है।

श्री जी० विश्वनाथन् (वांडीवाश): इस समय आंध्र और तेलंगाना सूखे से बुरी तरह पीड़ित है और वहाँ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल का अभाव है। मिट्टी के तेल, डीज़ल तेल, चीनी, सीमेंट का भी अभाव है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आशा है कि सरकार लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी।

बजट में 1973-74 के लिए न तो किसी प्रमुख परियोजना का उल्लेख किया गया है और न ही गार प्रदान करने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के कार्यक्रमों का ही उल्लेख किया गया है। मैं सरकार को पूरी तरह से दोशी नहीं मानता, क्योंकि भूतपूर्व मंत्रिमंडल ने संसाधन जुटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। 1973-74 के बजट को देखने से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार की अनुदान सहायता राशि 56.31 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि 75.26 करोड़ रुपये दिखाई गई है। साथ ही आंध्र प्रदेश द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की राशि 34.96 करोड़ रुपये तथा ऋण भुगतान की राशि 76.24 करोड़ रुपये दिखाई गई है। सरकार 75 करोड़ रुपये देकर 76 करोड़ रुपये वापिस लेगी। तो सरकार सहायता दे रही है या ले रही है?

गोदावरी बांध के निर्माण के लिए आधार शुल्क पहले ही लिया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने आबंटन की आवश्यकता है और यह बांध कब तक पूरा हो जाएगा।

हैदराबाद स्थित राजभवन में मनोरंजन और अतिरिक्त व्यय के लिए 17.93 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों को देखते हुए इतना धन व्यय करने की क्या आवश्यकता है। सरकार को मितव्ययता का उपदेश देते समय स्वयं किफायत से काम लेना चाहिए।

[श्री जी० विश्वनाथन्]

पिछड़े राज्यों के हितों की रक्षा के लिए तेलंगाना प्रदेश समिति की स्थापना की गई है और इसके अध्यक्ष के कार्यालय के लिए 13,075 रुपये आबंटित किए गए हैं। क्या इस प्रकार पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा करना संभव है? इसी प्रकार सेना पर सरकार ने 45 लाख रुपये व्यय किए हैं। मेरा सुझाव है कि आंध्र प्रदेश से सेना को तुरंत हटा लिया जाय।

तेलंगाना क्षेत्रीय समिति की कई उपसमितियां और तदर्थ समितियां हैं। परन्तु समिति के प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वित न होने के कारण समिति प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए 14 सितम्बर, 1959 को टी० आर० सी० ने निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए मकानों की लागत निर्धारित करने की सिफारिश की थी। दस वर्ष तक पत्र व्यवहार जारी रहा परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। इसी प्रकार उपसमितियाँ और तदर्थ समितियाँ जो सिफारिशें करती हैं उनके क्रियान्वयन में विलम्ब किया जाता है।

तेलंगाना अधिशेष को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुमार ललित को नियुक्त किया, जिन्होंने बताया कि यह राशि 38.20 करोड़ रुपये है। परन्तु टी०आर०सी० का कहना था कि यह राशि 107.13 करोड़ रुपये है। इस विवाद को निपटाने के लिए प्रधानमंत्री ने भार्गव समिति नियुक्त की। समिति का विचार था कि अधिशेष की राशि 28.34 करोड़ रुपये होनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न मुख्य मंत्रियों शासन काल में यह राशि घटती-बढ़ती रही।

पंचवर्षीय योजना में टी० आर० सी० ने इच्छा व्यक्त की कि राज्य के संसाधनों में तेलंगाना का हिस्सा 42.56 करोड़ रुपये होना चाहिए। लेकिन सरकार ने 2:1 के अनपात की स्वीकृति दी। टी० आर० सी० ने इसका विरोध किया लेकिन सरकार ने इस पर विचार नहीं किया।

तेलंगाना निवासियों की यह धारणा है कि सत्ता, प्रभाव और प्राधिकार वाले सभी पद आंध्र निवासीयों के पास हैं। उदाहरणार्थ, मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, अध्यक्ष, परिषद सभापति आंध्र के हैं और उप-मुख्य सचिव इत्यादि पद तेलंगाना के लोगों के पास हैं। यह धारणा बलवती होती जा रही है। आंध्र के अनुसार तेलंगाना अधिशेष की बात मनगढ़न्त है और उनका कहना है कि हैदराबाद से प्राप्त राशि तेलंगाना के नाम कर दी जाती है बशर्ते कि वह आंध्र प्रदेश से विशेषतया सम्बद्ध न हो। 34 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तेलंगाना के नाम कर दिया जाता है। दूसरी ओर नगर पर व्यय का दो तिहाई भाग अर्थात् 26 करोड़ रुपये आंध्र के खर्चे में डाल दिए जाते हैं। उनका कहना है कि संसाधन जुटाने और दो तिहाई केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए दो तिहाई से अधिक भाग आंध्र के पास जाना चाहिए। परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश के अराजपत्रित अधिकारियों का कहना है कि 1969 में तेलंगाना कर्मचारियों की संख्या 3109 थी जो बढ़कर 6402 हो गई है। सरकार इसका समाधान कैसे करेगी? तीन चार दिन पहले पुलिस ने दो अराजपत्रित अधिकारियों की उनके घर में हत्या कर दी। क्या इस प्रकार आन्दोलन को दबाया जा सकता है?

श्री मुन्चा रेड्डी को वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया गया। परन्तु उनके साथ महत्वपूर्ण बात नहीं की गई; बल्कि उन्हे कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने को कहा गया। सरकार को ऐसा समाधान निकालना चाहिए जो आंध्र और तेलंगाना दोनों को स्वीकार्य हो।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नंदयाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंध्र प्रदेश बजट का समर्थन करता हूं। कुड्डापेह में पुलिस द्वारा गोली चलाने और अराजपत्रित अधिकारियों के मारे जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।

आंध्र में पेयजल और बिजली की कमी है, जिसके कारण कृषि और औद्योगिक विकास रूक गया है । कीमतें भी बढ रही है । ऐसी हालत में अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा हडताल करना संभव नहीं कहा जा सकता। फिर भी उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है ।

तेलंगाना निवासियों की यह धारणा है कि आंध्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश की भावात्मक एकता के विरोधी तत्वों को दूर किया जाए। मुझे विश्वास है कि ऐसा समय आएगा जबकि आंध्र राष्ट्रीय कार्यों में पुन: अपार योगदान देना शुरू कर देगा ।

रायल सीमा और तेलंगाना पिछडे हुए प्रदेश हैं। रायलसीमा में संगमेश्वरम पाई योजना चालू की जानी थी परन्तु समुद्री तट के साथ लगने वाले जिलों के निवासियों के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया। यदि यह चालू की जाती तो रायलसीमा को इसमें लाभ हो सकता था। तत्पश्चात खोसला समिति नियुक्त हुई और उन्होंनें नागार्जुनसागर परियोजना की सिफारिश की और अपने प्रतिवेदन में कहा कि रायलसीमा की आवश्यकताओं को सबसे पहल पूरा किया जाना चाहिए । परन्तु इसे पूरा नहीं किया गया। अब सिरिसलेम परियोजना को स्वीकृति दी गई है । आशा है कि इससे रायलसीमा की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी ।

गंगा–कावेरी को जोडने के बार में "इलेस्ट्रटिड वीकली" में डा० के० एल० राव का एक लेख छपा है । गंगा कावरी सम्पर्क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि सम्पर्क नहर तुंगभद्रा, कृष्णा और पेन्नार से गुजरती हुई जाए ताकि रायलसीमा क्षेत्र इससे लाभान्वित हो सके।

आंध्र प्रदेश की स्थिति इस समय बडी शोचनीय है । इसके आर्थिक पहलू पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । परिणामस्वरूप इस राज्य का विकास नहीं हो सका। योजना के लिए नियत की गई राशि का बडा भाग नागार्जुन सागर परियोजना के लिए रखा गया। इस पर 200 करोड रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया है । इसका अर्थ यह है कि अगले 50–60 वर्षों में किसी अन्य परियोजना को शुरू करना संभव नहीं होगा। रायलसीमा में कई परियोजनाएं संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं हो सकीं। कुड्डापेह में दो या तीन परियोजनाए ऐसी हैं जिनकी नीव 12 से 15 वर्ष पहले रखी गई थी। तेलंगाना प्रदेश की कई परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है पर संसाधनों की कमी के कारण उसका विकास रूक गया है । केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता देनी चाहिए तभी राज्य की एकता बनी रह सकती है। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाएं। लोगों को चाहिए कि वे साम्प्रदायिक दंगों में न उलझाकर राज्य की एकता के प्रश्न पर विचार करे ताकि पिछडे क्षेत्रों का विकास हो सके।

रायलसीमा में रेलवे लाइन बनाने के लिए 1905 में सवक्षण किया गया था। परन्तु अभी तक लाइन का निर्माण नहीं किया गया है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डी० बी० के० रेलवे द्वारा विशाखापतनम में लौह अयस्क पहुचाया जाता है । मेरा सुझाव है कि वहां मालगाडियों के साथ साथ यात्री गाडियों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चाहे कोई तेलंगाना में रहने वाला हो या आंध्र अथवा रायलसीमा का रहनेवाला, सभी को राज्य के विकास के लिए मिल कर प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The law and orders should be restored as soon as possible in Andhra. The State is confronted with many problems. I do not understand when all of as speak so much against bureaucracy why the administration is entrusted to it. Andhra is under the President's rule. The State Assembly has not been dissolved but is suspended. It is neither alive nor dead.

In 1969 the people of Telangana had lost confidence in Andhra and they wanted a separate state. The Central Government made a mes s of the whole matter and the result is that now Andhra people also want a separate state. So, in fact, the condition has deteriorated instead of improving. But what is the solution to the problem. Has the Government cared to know the wishes of the people? Even removal of Shri Narsimha Rao of enforcemeut of Mulki rules has not helped the situation. The name separatist and integeationist are not good. Even separatists do not want the division of the State. It is regrettable that instead of taking a national view of the problem, the Congress is treating it as a domestic problem of their own. No Central Minister cares to visit the strife-torn state to assess the situation. hTe leaders are being called for Delhi and thereby the Government is gaining time.

We do not want that these should be unrest like this in the country. It is not what we want but it is what public wants. Even the Congressmen have written that they are not happy with the Prime Minister's decision. Government takes too much time in deciding any thing. The Government, in the name of sick textile mills, has taken over the production of clother.

We have suggested that the demands of the people of Andhra should be conceded. Another A. R. C. should be formed, since independece many new States like Nagaland, Manipur, Arunachal and Meghalaya have been formed. If this Government was not in favour of small States then why small areas of Assam have been given Statehood?

उपाध्यक्ष महोदय : आंध्र प्रदेश के बजट में इसकी कैसे व्यवस्था की जा सकती है?

श्री जगन्नाथराव जोशी : पृथक राज्य की मांग की जा रही है। हमने मांग की थी कि इस संबंध में समिति गठित की जानी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि एसा करना सम्भव है अथवा नहीं। परंतु सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं समझ रही है।

Infact, the Government has no fixed policy regarding the creation of new States. They are doing this in an unplanned and irrational way. I will, therefore, plead that there should be an opinion poll to ascertain the wishes of the people in Andhra Pradesh. The State Asrembly, which is suspended, should be revived and their opinion should be taken. There can be a round table conference of the leaders of all shades of opinion. I am happy that a judicial inquiry has been ordered promptly by the Advisor on the firing in Cuddapah. In fact all sorts of violence is being perpetrated by those who claimed to be integrationists.

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलुरू) यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केन्द्र और राज्य मे कांग्रेस दल का बहुमत होते हुए भी म यहां ससद में इस बजट पर विचार कर रहे है।

रायल सीमा की एक विशेष रियोजना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री वेंकटसुब्बया ने कहा है कि उस परियोजना का क्रियान्वयन इस कारण नहीं हो रहा कि सरकार जिल के लोग इसके लिए इच्छक नहीं है। पर वास्तविकता यह है कि हम रायलसीमा के लोगों को संगमेश्वरम परियोजना के पूरा न होने के लिए उतरदायी नहीं ठहरा सकते और न ही वे इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेवार हैं।

*तेलुगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर।

*Summarised translated version based in English translation of the speech delivered in Telugu.

श्री पी० वेंकटासुब्बय्या : मैंने एसा नहीं कहा था । संगमेश्वर परियोजना तो आन्दोलन के कारण बन्द हुई थी।

श्री के० सूर्यनारायण : तो मैं क्षमा चाहता हूं। खेद है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के आन्दोलन का समर्थन जमींदार और बस मालिकों जैसी पूंजीपति कर रहे हैं। लोगों के इस आन्दोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है । सभी राजनीतिक दलों से संम्बंधित संसद संदस्य और विधान मण्डल के सदस्य इसे आन्दोलन का समर्थन कर रहे है । यह कहना सही नही है कि इन सदस्यों को बसों के मालिक और अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा आर्थिक अथवा अन्य किसी रूप से समर्थन दिया जा रहा है। यहां यह बताया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के केवल 50 प्रतिशत बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। यह कहना कि केवल एक प्रतिशत बस मालिकों और अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा इस आन्दोलन के लिए धन दिया जा रहा है और उसका समर्थन किया जा रहा है । इस समस्या को और जटिल बनाना होगा । हमें सरकार को इस समस्या के महत्व को समझाने के लिए अनिवार्यरुप से ईमानदारी से प्रयास करना होगा।

हम सभी को सर्वसम्मति से यह मांग करनी चाहिए कि सरकार को लोगों की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह करना चाहिए। यदि तेलंगाना और आंध्र के लोग एक संयुक्त आवाज से यह मांग करे तो सरकार के पास इस मांग को मान देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। यह कहा जा रहा है कि हम भूमी सुधार जैसे विभिन्न प्रगतिवादी पत्रों को कार्यान्वित नही करना चाहते और वहां आन्दोलन होने का वही कारण है। राज्य कोई भी व्यक्ति द्वारा उठाए जाने वाले एसे पग के विरुद्ध नहीं है । यदि अधिकतम सीमा और भी कम करने का प्रस्ताव किया जाता है तो किसान एसे पग का स्वागत करने में सबस आग होंगे।

क्या हमें चुनाव में सफलता इन बस मालिकों के कारण ही मिली है? यह कहा जा रहा है कि हम लोकप्रिय विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। यह कहना सही नही है और न ही यह आन्दोलन कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों के असंतोष का परिणाम है । मेरे विचार में इस आन्दोलन के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है । आंध्र के लोग यह समझ रह है कि उन्हें दूसरी श्रेणी का नागरिक माना जा रहा है । मुझे खेद है कि साम्यवादी दल भी आंध्र के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा। हमने लोगों को राज्य में सामान्य स्थिति को पुनः स्थापित करने हेतु सहायता देने के लिए कहा है । सरकार के लिए आवश्यक पग उठाने का यही उपयुक्त समय है । इस दल का एक विशेष वर्ग सभाएं करके लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है और वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता से एकीकरण के विचार का प्रचार कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भडके हुई, लाठी चार्ज किए गए और गोलियां भी चलाई गई।

यह आश्चर्य की बात है कि साम्यवादी दल ने इसके लिए न्यायिक जांच की मांग नहीं की। यह भी सच है कि किसी भी पृथकतावादी या एकतावादी नेता की इस गोलीबारी में मृत्यु नहीं हुई । केवल उन लोगों की जाने गई है जिन्होंनें उनका अनुसरण किया।

यह कुछ अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों की बात नहीं है कि हम पृथक होने के लिए लड रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आंध्र के लोगों का आत्मसम्मान और उनके मूल अधिकार खतरें में हैं। हम विश्व सरकार का समर्थन करने वाले दल तथा संसार के पददलित लोगों के हितों का समर्थन करने वाली सरकार की इस कठिन एवं विचित्र स्थिति

[श्री के० सूर्यनारायण]

का जिसमें राज्य के अधिकांश लोगों की लोकप्रिय भावना का विरोध किया जा रहा है सामना कर रहे हैं ।

श्री ए० चौधरी ने मुल्की नियमों के विषय में एक ज्ञापन दिया है जिसकी एक प्रति में सभा पटल पर भी रखूंगा । उन्होंने मामल के बारे म उच्चतम न्यायालय की राय मांगी है। पर उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया गया। राज्य में राष्ट्रपति का शासन सामान्य स्थिति कायम करने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ। इससे तो श्री नरसिन्ह राव के काल में अधिक शांति थी।

तेलंगाना क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य में अन्य पिछड़े क्षेत्र भी हैं। पश्चिम गोदावरी में फालतू खाद्यान्न का उत्पादन होता है किन्तु उस क्षेत्र का तीन चौथाई भाग ऐसा है कि वहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक जिले में पिछड़े क्षेत्र है । हमें सभी क्षेत्रों के पिछड़पन पर विचार करने और इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विकास बोर्ड का गठन करना चाहिए । यदि राज्य का विभाजन कर दिया जाए तो इन समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : बजट में आंध्र और तेलंगाना के लिए पृथक पृथक व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय सरकार ने लेखानुदानों के व्यवस्था करते समय भी आंध्र और तेलंगाना दो राज्यों के रुप में पृथक पृथक रखा है।

मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र सरकार को दो राज्यों के पृथक होने में क्या आपत्ति है। मुझे तो लगता है कि सरकार के इस निर्णय में राजनीति है। माननीय सदस्य श्री वेंकट सुब्बया ने कहा कि राज्य में विकास नही हो रहा। हम सब विकास चाहते है और यदि वह बजट की और दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि विकास के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया ।

आंध्र प्रदेश में एक महान आन्दोलन चल रहा है । क्योंकि मैंने ऐसा बडा आन्दोलन आज तक नही देखा जिसमें सभी लोग भाग ले रहे हों।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आंध्र के पृथकरण के बारे में कोई उल्लेख इस लिए न किया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले है और इससे चुनाव पर प्रभाव पड सकता है । यदि आंध्र को पृथक होना है तो वह पृथक होकर रहेगा और वह दिन भी दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश भी कई राज्यों में, प्रशासन की कुशलता हेतु, विभाजित कर दिया जाएगा।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARY IN THE CHAIR]

यह बात हमारी समझ में नही आती कि क्यों हम इस स्पष्ट तथ्य से मुह मोड रह हैं कि हमें ऐसे एककों की आवश्यकता है जिनका प्रशासन कुशलतापूर्वक हो सके और जिनके किसी भी विशेष भाग की वहुत खराब अवस्था न हो अथवा उसकी उपेक्षा न की है। यदि हमें इस देश का उचित ढंग से शासन चलाना है तो हमें सुसम्बद्ध प्रशासनिक एकक बनाने चाहिए ।

यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 25 वर्ष के स्वशासन के बाद भी इन मामलो के निपटान के सम्बन्ध में हम कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाने में, जिसके द्वारा हम यह निर्णय ले सकें, सफल नहीं हो पाए। यह वास्तव में दुखद बात है कि सभी मामलो का निर्णय सरकार के किसी एक व्यक्ति अथवा मंत्री मण्डल किसी के एक व्यक्ति या प्रधानमंत्री अथवा ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी पर छोड दिया जाता है । यह बात ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर क्यों नही छोड दी जाती जिनके द्वारा सम्बधित लोगो की इच्छा जानी जा सके ।

मैं कभी भाषायी राज्य के पक्ष मे नही रहा, जैसे कोई भी धर्म किसी राष्ट्र के निर्माण का आधार नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नही बनाया जा सकता। चूंकि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर किया गया, अत: अब ऐसा लगता है कि पृथक भाषा राज्य की संज्ञा प्रदान कराने में सक्षम है, अत: आंध्र की प्रशासनिक एककों में बांट दिया जाए।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizambad): Mr. Chairman, Sir, opposition parties want opinion poll in Andhra Pradesh to ascertain the views of the people about the bifurcation of the State. I would like to tell to theose parties that Government are not afraid of any opinion poll. But the opinion poll will be held to decide as to whether the bifurcation of State should be done first or the urban property be distributed first.

When Tamilnadu, Gujarat-Saurashtra are not to be bifurcated why should Andhra Pradesh be bifurcated? I do not understand this.

Land reforms were to be implemented by 1972. I do not know what are the complications in the way of implementing them. Opposition parties know well that if these reforms are not implemented there can be anti-Congress feelings. They want to fish in the troubled waters.

Strike of N. G. O.'s in Andhra Pradesh Caused an unprecedented loss to the Nation. People are very much agitated over the Strike of N. G. O's because they are getting neither electricity nor water. Government should take stern action against N. G. O's.

Once again I would like to warn the opposition parties that if they continue to behave in this fashion, they will not be able to survive. The opposition will meet the same fate here as was met in Bangla Desh.

श्री एम० एस० संजीवीराव (काकीनाडा) : सभापति महोदय, मैं आंध्र प्रदेश बजट का समर्थन करता हूं । बडे ही दु:ख की बात है कि आंध्र प्रदेश में स्थिति सामान्य होने के बावजूद सरकार ने आंध्र प्रदेश का बटवारा करने का निर्णय नहीं किया है।

योजनाओं के लिए नियत राशि में कमी की गई है । गत वर्ष यह राशि 97.2 करोड रुपए थी परन्तु इस वर्ष केवल 87.59 करोड रुपए की राशि नियत की गई है ।

औद्योगिकरण में बिजली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते है । बडे ही दुर्भाग्य की बात है कि आंध्र प्रदेश में पन बिजली और तापीय बिजली के पर्याप्त संसोधन होने के बावजूद बिजली उत्पादन के मामलें में यह राज्य बिछडा हुआ है । आंध्र प्रदेश की बिजली उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 650 मैगावाट है जब कि आवश्यकता 900 मैगावाट की है। इस कमी को पूरा करने के लिए द्रुत कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

[श्री एम० एस० संजीवीराव]

लोअर सिलेस 400 मैगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है परन्तु धनाभाव के कारण परियोजना कार्य कई वर्षों से रूका पडा है । नागार्जुनसागर परियोजना की स्थिति भी ऐसी है। आंध्र प्रदेश के विकास में न तो केन्द्रीय सरकार की ही रुचि है और न ही राज्य सरकार की ।

राज्य सरकार ने विजयवाडा में एक तापीय बिजलीघर स्थापित करने का विचार बनाया था परन्तु योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। मुझे आशा है कि योजना आयोग वहा बिजली की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए उसकी स्वीकृति दे देगा।

मुझे पता चला है कि केन्द्रीय सरकार का विचार टोयो इंजीनियरिंग ऑफ जापान के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में छे उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है। इंजीनियरिंग इंडिया ने काकीनाडा का दौरा किया और सुझाव दिया कि ये कारखाने काकीनाडा में स्थापित किए जाने चाहिए। यह अफवाह है कि अब ये कारखाने काकीनाडा के स्थान पर उडीसा के पारादीप पतन में स्थापित किए जाएंगे । आंध्र प्रदेश में उर्वरकों की काफी कमी है। अत: मेरा अनुरोध है कि ये कारखाने काकीनाडा में ही स्थापित किए जाए।

राज्य सरकार ने बेलाडीला से कोवूर बरास्ता भद्राचलम रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। भद्राचलम और बस्तर में लौह, अयस्क, मग्नसाईट, चूना पत्थर आदि के विशाल भंडार है। अत: यह रेलवे लाइन काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

बजट प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय सरकार ने तेलंगाना और आंध्र के बजट आंकडे अलग अलग प्रस्तुत किए है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार वहां के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए राज्यों का बेंटवारा कर देगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : बजट में तेलंगना और आंध्र के बजट आंकड अलग अलग प्रस्तुत किये गये है। इससे पता चलता है कि सरकार ने राज्य को बांटने का निश्चय कर लिया है ।

प्रजातंत्र को सुदृढ बनाने के लिए समाजवादी सरकार की स्थापना करना आवश्यक है। बडे ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार एक के बाद दूसरे राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करके राष्ट्रपति पर अनावश्यक बोझ डाल रही है ।

राज्य के विभाजन की मांग आर्थिक कारणों से की जा रही है । प्रतिकल आर्थिक परिस्थितियों के कारण तेलंगाना में कई बार आन्दोलन हुए। इन्हीं कारणों से आचार्य विनोबा भावे ने वहां भूदान आन्दोलन प्रारम्भ किया। उन्होंनें चेतावनी दी थी कि यदि आर्थिक परिस्थितियों में सुधार न किया गया तो वहां पृथकतावादी आन्दोलन प्रारम्भ हो सकते है। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरुप आंध्र और तेलंगाना के लोग अलग राज्य की स्थापना करने की मांग कर रहे है।

भाषायी राज्यों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहतां हूं । आंध्र और तेलंगाना अलग अलग राज्य होने पर भी तेलुगु भाषी राज्य ही रहेंगें । भाषायी राज्य का अर्थ यह नहीं है कि एक राज्य की एक अलग भाषा होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा अलग अलग राज्य होते हुए भी हिन्दी भाषी राज्य है।

अलग राज्य न बनने देने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि अमुक राज्य आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं है इस लिए अलग राज्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक राज्य के बारे में सरकार ने अलग अलग सिद्धान्त बना रखे हैं। जब हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्य बन चुके है तो आंध्र और तेलंगना को अलग अलग राज्य बनाने पर सरकार को क्या आपत्ति है?

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहां के लोगों पर अत्याचार ढा रही है। शांतिपूर्ण आन्दोलन करने वालों को लाठियों से पीटा जाता है। इस तरीके से लोगों की भावनाओं को कुचला नहीं जा सकता। तथाकथित एकतावादियों ने वहां राष्ट्रपिता के चित्र नष्ट कर दिए और महाभारत की प्रति को जला डाला। लेकिन सरकार का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर ही विभाजन के बारे में निर्णय किया जाएगा। परन्तु मेरा विश्वास है कि स्थिति सामान्य होते ही सरकार भी ढीली पड जाएगी। अतः वहां के लोग तब तक शांतिपूर्ण आन्दोलन करते रहेंगे जब तक राज्य का विभाजन नहीं हो जाता।

*श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : आंध्र प्रदेश की अभूतपूर्व राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के कारण ही आज उस राज्य के बजट पर संसद में चर्चा करनी पडी रही है।

वर्ष 1969–70 में 76.7 करोड रुपये, 1970–71 में 83.1 करोड रुपए और 1971–72 में 97.2 करोड रुपए की व्यवस्था बजट में की गई थी परन्तु इस वर्ष केवल 87 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। इसलिए इस बजट को अच्छा नहीं कहा जा सकता। इससे उस राज्य का विकास नहीं हो सकता।

राज्य की हालत बहुत शोचनीय है। कृषि कार्य करने वालों के पास भूमि नहीं है और जिनके पास भूमि है भी सही, तो बिजली के अभाव में वे जुताई नहीं कर सकते। अशोधित और डीजल तेल की कमी के कारण वे ट्रैक्टर भी नहीं चला सकते। इस प्रकार राज्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता।

रायलसीमा में कोई भी उद्योग नहीं है। यही नहीं आंध्र प्रदेश के किसी भी पिछडे क्षेत्र में उद्योग स्थापित नहीं किया गया। सरकार ने पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया।

कुडडापह तथा अनंतपूर में हुई हिंसात्मक घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने वहां की जनता पर बहुत अत्याचार किए हैं।

आंध्र और तेलंगाना की संस्कृति अलग अलग है। सरकार को वहां की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए बंटवारे की बात को मान लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश की एकता के समर्थकों को वहां की जनता की कठिनाइयों का पता नहीं है। यदि वे स्वयं वहां जाए तभी उन्हें वास्तविकता का पता चल सकता है। अतः सरकार को शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

---

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summerised translated Version based on English translation of the speech delivered in Telagu.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : बडे ही शर्म की बात है कि आंध्र प्रदेश का बजट इस सदन में पेश किया गया है । वास्तविकता यह है कि पृथकता के पक्ष विपक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्यों को लोगों की आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं है । इस लिए इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा।

राज्यों के राज्यपाल वहां की जनता के साथ मिल जुल कर बात नहीं करते । उनका काम राज्य की एकता बनाए रखना और तथाकथित एकतावादियों को सुविधाए प्रदान करना है ।

तेलंगाना प्रदेश इस समय अकालग्रस्त है। न वहां पानी है और न बिजली। उद्योग बंद पडे हैं और फसलें नष्ट हो चुकी है। वहां के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। केवल सरकार की लापरवाही के कारण ही वहां की स्थिति बिगडती जा रही है । जब वहा हिंसात्मक घटनाए होती हैं तो सरकार कहती है कि स्थिति सामान्य होने पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब तो वहां स्थिति सामान्य हो चुकी है, फिर सरकार निर्णय क्यों नहीं करती। मुझे यह आरोप लगाने पर बिवश होना पड रहा है कि सरकार साम्यवादियों पर निर्भर कर रही है । एक दिन यही साम्यवादी देश के लिए खतरा साबित होंगे। साम्यवादियों का उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करना नहीं है। वे तो धीरे धीरे सत्ता में आने की चेष्टा कर रहे है।

लोगों की भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता। आंध्र प्रदेश से सम्बन्ध रखने वाले माननीय सदस्य जब अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते है तो पृथकता की बात करते है और जब संसद में आते है तो राज्य की एकता की बात करते हैं। इस तरह से समस्या का हल नहीं हो सकता। सरकार को इस बारे में अन्तिम निर्णय करना ही होगा।

वित्त मंत्री ने 51 लाख रुपए का अधिशेष दिखाया है । शुरु की जाने वाली योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । तेलंगाना बुरी तरह सूखा ग्रस्त और अकालग्रस्त है। पानी और बिजली के अभाव में कृषक बुरी तरह प्रभावित हो रहे है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली बिल्कुल नहीं है। किसानों ने सिंचाई के लिए इंजिन खरीदे है, पर उन्हें डीजल नहीं मिल रहा है । बम्बई में वह उपलब्ध है पर अधिकारी पता नहीं क्यों वहां से डीजल नहीं लाने देते। वित्त मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मुझे बडे खेद के साथ कहना पडता है कि सभी प्रकार के संसोधन होते हुए तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के लिए एक आंध्रवासी के जिम्मदार होते हुए भी आंध्र का स्थान इस दृष्टि से पिछडे राज्यों में दूसरा है । अतः हम चाहते है कि वे अपना पद छोड दें तथा किसी अन्य को आने दें। उनसे हम दबाव डाल कर कुछ ले लेंगे। अब हमें पडौसियों पर निर्भर रहना पड रहा है ।

भूमि सुधारों को सरकार लागू नहीं कर रही है । यदि आंध्र क्षेत्र में इस सम्बन्ध में उसके सामने कुछ दिक्कतें है तो तेलंगाना क्षेत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं है । उन्हें वहां लागू कर दिया जाये। अध्यादेश द्वारा खडी की गई दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि इसके कारण मध्यम दर्जे के किसान ऋण लेने में असमर्थ रहते हैं।

अन्त में मैं ठेका एजन्सियों के वारे में कुछ कहना चाहता हूं । ये ठेकेदार लखपती हो जा रहे है । मैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका प्रभुत्व बढता जा रहा है। सूखा राहत के लिए दिए गए धन का उपयोग ये लोग अधिकारियों की सांठ-गांठ से अपनें लाभ के लिए कर रहे हैं। यद्यपि यह बात वित्तमंत्री के हाथ में नहीं है पर वे कृपा करक मेरे इन विचारों को प्रधान मंत्री तक पहुंचा दें।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (विडिवनम) : मैं इस चर्चा में नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि इससे पृथक्करण की भावना के बढ़ने का डर था। पर अब मुझे प्रो० दण्डवते के इस कथन के कारण कि तेनाली में एकतावादी लोगों ने जलूस निकाल कर अपने प्रभाव का प्रदर्शन किया था, कुछ कहना पड़ रहा है।

श्री विश्वनाथन सबसे पहले आन्ध्र क्षेत्र में तेलंगनावासियों और आन्ध्रवासियों में असंतोष फैलाने गये। यह हमारा आन्तरिक मामला है। कल अगर मैं मद्रास के विभाजन की बात कहूं...

श्री जी० विश्वनाथन : आपने आन्ध्र में सबसे अधिक गड़बड़ फैलाई है... **(व्यवधान)**।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं एम० जी० रामचन्द्रन काण्ड के समय वेल्लोर में अपने भाई को अस्पताल में देखने गई थी। तभी मुझे वहां की गड़बड़ी का पता चला। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी समस्याएं... **(व्यवधान)**।

तेनाली में एकतावादियों की एक सभा में सात बार बम फेंके गये **(व्यवधान)**। बहुत से लोग घायल हुए। हम इस सबके लिए जिम्मेदार नहीं।

मैं इस बात में विश्वास करती हूं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अतः आन्ध्र में जो कुछ घट रहा है उससे हमारी आंखें खुलनी चाहिए।

भूमि सुधार नियमों अथवा अन्य अच्छे उपायों को लागू करने में क्या रुकावटें है। राष्ट्रपति शासन में तो इन्हें लागू करना और भी सरल है। इसमें नौकरशाही की राय को नहीं मानना चाहिए।

अराजपत्रित कर्मचारियों को भावनाओं में न बह कर समझदारी से काम लेना चाहिए और उन्हें देश के लिए सोचना चाहिए और नौकरी पर वापिस आ कर बलिदान करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि हमारी प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाएंगी। इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एसा करना जनता के साथ विश्वासघात होगा। उससे किए गये वायदों को तोड़ना होगा।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : यह पहला मौका है कि हम आन्ध्र प्रदेश के बजट पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहले पहल जब आन्ध्र के विभाजन की बात कही गई थी तो वह बहुत ही नरम ढंग से कही गई थी। केवल कुछ छात्रों ने ही इसके समर्थन में आवाज उठाई थी और मुल्की नियमों को समाप्त करने की बात कही थी। मैंने इस आन्दोलन के नेताओं से पूछा था कि कितने लोग मुल्की नियमों को जानते हैं? कुछ नेताओं से पूछने पर उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया।

समय के साथ-साथ इसमें और भी बातें मिलती गईं। कोई इसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। केवल घटनाओं ने ही लोगों को प्रभावित किया है। मेरा प्रश्न यह है कि दबाव के सामने किस सीमा तक झुका जा सकता है।

[श्री के० नारायण राव]

भाषा के आधार पर हिन्दी के बाद आन्ध्र की भाषा का दूसरा स्थान है। हमें आन्ध्रवासी होने पर गर्व है। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि मेरे द्रविड़ मुनेत्र कसगम के साथी आन्ध्र का विभाजन क्यों चाहते हैं। क्या दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण वे सारे दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

वास्तविकता यह है कि हम अपने राज्य को पहले रूप में ही रखना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि मुल्की नियम वैध है। पर उसे लागू करने की बात पर वे कहते हैं कि इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है। परिणामतः उनके विरुद्ध याचिका दायर की गई। ...

ये नियम हैदराबाद में जन्मे व्यक्तियों के स्तर को निर्धारित करने के लिए बनाये गये थे। इसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुल्की नहीं है उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह नियम वैधानिक है। प्रश्न यह है कि मुल्की नियमों को ठीक प्रकार नहीं समझा गया है।

अन्त में बजट के सम्बन्ध में बोलते हुए मेरा कहना है कि हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। इससे स्थिति में कुछ सुधार आयेगा। फिर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय उत्तर में ही स्थित है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सदन उन परिस्थितियों से अवगत है जिनमें आन्ध्र प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति को अपने हाथों में लेना पड़ा।

आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है और प्रशासन केवल चार महीने के लिए अपने हाथ में लिया गया है ताकि आन्ध्र प्रदेश के विकास में बाधा न पड़े। आन्ध्र प्रदेश का मामला बहुत गम्भीर है और सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर समस्या का ऐसा समाधान किया जाएगा जो वहां के अधिकांश लोगों को स्वीकार्य होगा।

आन्ध्र प्रदेश सबसे बड़ा भाषायी राज्य है। इसकी भाषा अत्यन्त समृद्ध है और राष्ट्रीय विकास में यहां के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। तेलंगाना परीक्षणों का केन्द्र रहा है और प्रायः सभी परीक्षण असफल रहे हैं। देश के राजनीतिक जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे ऐसा निर्णय भी लेना पड़ता है जो संभवतः जनप्रिय तथा लोगों को स्वीकार्य न हो। वहां के संघर्ष को राजनीतिक रूप देना संगत नहीं है। वहां के लोग स्वयं जागरूक हैं और इस समय समस्या का समाधान निकाल लेंगे।

संसद ने केन्द्र और राज्य की कई समस्याओं को हल किया है, चाहे वे भाषा सम्बन्धी हों या अन्य समस्याएं हों। अतः हमें पूरा विश्वास है कि संसद इस समस्या का सर्वस्वीकृत हल ढूंढ निकालेगी। आन्ध्र प्रदेश पर चर्चा करने के उपरान्त एक मत प्राप्त किया गया और माननीय प्रधान मंत्री ने संसद में उसकी घोषणा की। अतः उन पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने घोषणा में विलम्ब किया, छिछली राजनीति कही जाएगी।

देश तेलंगाना की समस्या और इतिहास से अवगत है। निजाम के शासन में यह क्षेत्र अल्पविकसित रहा। हम विशाल आन्ध्र के निर्माण की बात जानते है। तेलुगु लोगों ने विशाल आन्ध्र को अपना साकार स्वप्न समझा। तदोपरान्त कई समस्याएं उत्पन्न हो गई और आन्ध्र लोगों ने तेलंगाना लोगों को यह आश्वासन दिया कि अतिरिक्त व्यक्तियों को खपाया जाएगा और इस बारे में भार्गव समिति का गठन हुआ और बजट के प्रश्न पर राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया। इस समय स्थिति गम्भीर है और सही निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

हिंसा की निन्दा की जानी चाहिए क्योंकि हिंसा हिंसा को जन्म देती है। अतः इस स्थिति को सुधारना होगा ताकि सर्वसम्मत निर्णय किया जा सके।

श्री पीलू मोदी का कथन है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रदेश का बजट अलग अलग बनाया जाना चाहिए। मेरे विचार में माननीय सदस्य को स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। मार्च, 1970 के राष्ट्रपति के आदेश में आन्ध्र और तेलंगाना के लिए अलग बजट आंकड़े तयार करने का निदेश दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि तेलंगाना को विकास के लिए पर्याप्त भाग मिल सके। अतः ऐसा करना अलग राज्य को मान्यता देना नही है बल्कि वास्तविकता को पहचानना था।

वर्ष 1973–74 के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय. हेतु 87.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 55.21 करोड रुपये केन्द्र द्वारा दिए जाऐंगे। इसके अतिरिक्त, तेलंगाना विकास योजनाओं के लिए 5.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जहां तक सूखा राहत का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने अप्रैल–जून, 1972 के लिए 6 करोड़ रुपये तथा जुलाई–दिसम्बर, 1972 के लिए 28 करोड़ रुपये की सहायता दी। चूंकि तेलंगाना के जिलों में राहत कार्यक्रम चालू रखा जाना है, अतः आशा है कि अप्रैल, 1972 से जून, 1973 तक के लिए राहत कार्यों पर 53 करोड़ रुपये व्यय होंगे। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि व्यय की जाने वाली राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

इस बजट का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को सामान्य बनाना तथा आवश्यक योजनाओं तथा परियोजनाओं को चालू रखना है और यह देखना है कि धन के अभाव में कार्य न रुकें। मैं आशा करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के लोग अपनी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि मांगों को स्वीकार किया जाय।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : मंत्री महोदय ने उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने जो बताना था, बता दिया है। मैं लेखानुदानों की मांगें मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1973-74 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें (आन्ध्र प्रदेश) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The Following Demands for Grants on Account (Andhra Pradesh) for the year 1973-74 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
I.	भू-राजस्व	2,14,80,000
II.	आबकारी विभाग	96,56,000
III.	वाहनों पर कर	12,97,000
IV.	बिक्री कर प्रशासन	55,95,000
V.	अन्य कर और महसूल प्रशासन	3,00,000
VI.	स्टाम्प प्रशासन	9,33,000
VII.	निबन्धन विभाग	25,86,000
VIII.	राज्य विधान मंडल	26,08,000
IX.	राज्य के प्रमुख, मन्त्रिगण, तथा मुख्यालय कर्मचारी वर्ग	1,91,29,000
X.	जिला प्रशासन और प्रकीर्ण	4,74,93,000
XI.	न्याय प्रशासन	99,40,000
XII.	कारागार	49,15,000
XIII.	पुलिस	6,37,35,000
XIV.	व्यापार, तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग बाट और माप आदि	44,08,000
XV.	विविध विभाग	74,77,000
XVI.	खान और पुरातत्व आदि	17,16,000
XVII.	शिक्षा	26,33,29,000
XVIII.	चिकित्सा	6,35,27,000
XIX.	सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	4,37,72,000
XX.	कृषि	3,44,76,000
XXI.	मत्स्य पालन	45,35,000
XXII.	पशु पालन	2,16,31,000
XXIII.	सहकारिता	83,52,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
XXIV.	उद्योग	95,73,000
XXV.	सामुदायिक विकास प्रयोजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा और स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य . .	3,62,50,000
XXVI.	श्रम और सेवायोजन	70,98,000
XXVII.	अन्य प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन .	31,55,000
XXVIII.	महिला कल्याण विभाग आदि . . .	18,55,000
XXIX.	अनुसूचित जन जातियों, वन जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	5,04,37,000
XXX.	बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय पर ब्याज .	4,21,85,000
XXXI.	सिंचाई	8,93,16,000
XXXII.	विद्युत	3,21,12,000
XXXIII.	सार्वजनिक निर्माण कार्य	6,91,93,000
XXXIV.	बन्दरगाह और नौचालन . . .	24,84,000
XXXV.	दुर्भिक्ष्य सहायता	1,60,84,000
XXXVI.	पेंशनें	2,23,87,000
XXXVII.	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें . . .	1,31,000
XXXVIII.	भारतीय शासकों के नीजि खर्च तथा भत्ते . .	8,000
XXXIX.	लेखन सामग्री तथा मूद्रण. . . .	76,12,000
XL.	वन विभाग	2,01,17,000
XLI.	प्रकीर्ण	4,72,65,000
XLII.	नगर पालक प्रशासन	35,19,000
XLIII.	अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा अभिहस्तांकन . .	2,86,35,000
	ख. राजस्व लेखे से बाहर पूंजी व्यय	
XLIV.	भूमि धारकों को क्षतिपूर्ति देय . . .	2,97,000
XLV.	जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी परिव्यय . . .	1,22,39,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
XLVI.	कृषि उन्नति और अन्वेषण योजनाओं पर पूंजी परिव्यय .	2,00,000
XLVII.	औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	2,30,18,000
XLVIII.	बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	1,88,33,000
XLIX.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	5,78,85,000
L.	विद्युत योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . .	1,53,80,000
LI.	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	1,72,14,000
LII.	अन्य निर्माण कार्य	57,000
LIII.	बनों पर पूंजी परिव्यय	72,000
LIV.	पेन्शनों का राशिमूल्य	15,00,000
LV.	राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	8,61,75,000
LVI.	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम . .	6,20,76,000

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1972-73 के लिए अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (आंध्र प्रदेश) मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई :—

The following Supplementary Demands for Grants (Andhra Pradesh) for the year 1972-73 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
II.	आबकारी विभाग	200
VIII.	राज्य विधान मण्डल	3,17,600
IX.	राज्य के प्रमुख, मंत्रिभाग तथा मुख्यालय कर्मचारी वर्ग .	1,07,700
X.	जिला प्रशासन और प्रकीर्ण . . .	1,35,800
XII.	कारागार	4,73,900
XIII.	पुलिस	1,90,00,000
XVII.	शिक्षा	1,24,54,400

		रुपये
XIX.	सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन . .	12,43,000
XX.	कृषि	2,87,48,000
XXII.	पशु-पालन	18,61,300
XXIII.	सहकारिता	17,500
XXIV.	उद्योग	9,36,000
XXV.	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा और स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य . .	87,14,700
XXVII.	अन्य प्रकीर्ण, सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन .	1,65,52,100
XXVIII.	महिला कल्याण विभाग आदि . . .	25,000
XXIX.	अनुसूचित जनजातियों और वन जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	20,61,100
XXXI.	सिंचाई	2,45,000
XXXIII.	सार्वजनिक निर्माण कार्य	16,44,600
XXXV.	दुर्भिक्ष सहायता	30,87,33,500
XL.	वन विभाग	9,50,000
XLI.	प्रकीर्ण	1,16,09,300
XLII.	नगरपालक प्रशासन	13,48,200
XLVII.	औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	94,00,000
XLIX.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	2,86,69,000
LI.	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	26,91,400
LV.	राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	5,600
LVI.	राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण तथा अग्रिम . .	25,22,13,400

आन्ध्र प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973
ANDHRA PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भाग की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपाबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 के एक भाग कि सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य कि संचित निधि मे से कतिपय राशिओं कों निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापीत करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"की वित्तीय वर्ष 1973–74 के एक भाग की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तिय वर्ष 1973–74 के एक भाग की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 1,2 and 3 the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए" ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : गोदावरी बांध की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। स्थिति को सुधारने के लिए कर की वसूली भी कर ली गई है। यदि बांध की मरम्मत के लिए तत्काल कार्यवाही न की गई तो कृष्णा और गोदावरी जिलों को खतरा उत्पन्न हो सकता है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : आन्दोलनों के कारण राहत कार्य पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किए जा सके। मैं चाहता हूं कि आबंटित धनराशि को व्यपगत न होने दिया जाय ।

श्री जी० विश्वनाथन : गोदावरी बांध के बारे में मैंने सदन में कई प्रश्न उठाए हैं और मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कि आबंटित की गई राशि के बारे में वह एक वक्तव्य दें ।

श्री के० आर० गणेश : बांध पर अब तक 2.54 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वर्ष 1973-74 में 3.90 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है। बांध की मरम्मत पर 26.59 करोड़ रुपये व्यय होंगे। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अन्य बातें नोट कर ली हैं और मैं इसकी जानकारी आन्ध्र प्रदेश सरकार को दे दूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आन्ध्र प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973

ANDHRA PRADESH APPROPRIATION BILL, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधी में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधी में से कुछ और राशिओं के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधी में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।
Clauses 1, 2, and 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

चिथडा कांड के बारे में

RE : THE RAGS SCANDAL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चिथड़ा कांड में जिन व्यक्तियों के बारे में जांच की जा रही है, उनकी सूची सभा-पटल पर नहीं रखी गई है। मैं कल की सभा की कार्यवाही में से उध्दृत करता हूं :

> "प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बहुत लम्बी सूची है । यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसे सभा-पटल पर रख देता हूं ।
>
> श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसे सभा-पटल पर रख देना चाहिये ।
>
> प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें इसमें कुछ नहीं छिपाना है । हम भी भ्रष्टाचार के ऊतने ही खिलाफ है जितने विरोधी पक्ष वाले हैं ।"

इसके बावजूद सरकार को गत 24 घण्टे में इस सूची को सभा-पटल पर रखने का समय नही मिला । इस प्रकार इस सभा की उपेक्षा की जाती है ।

सभापति महोदय : मैंने सभा की कार्यवाही को पढ़ा है। मैंने कोई वचन नहीं दिया। मैंने उनकों सभा-पटल पर रखने के लिए नहीं कहा था। यदि आप इसका यही अर्थ लगाते हैं तो आप अध्यक्ष महोदय को लिखकर भेज दीजिये और वह अपना निर्णय दे देंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय अभी यहीं बैठे है। आप उनको निदेश दीजिये ।

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : यदि सभा की यह इच्छा है और यदि आप मुझे निदेश दें तो मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष महोदय को लिखकर उनका निदेश प्राप्त कर ले ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जब मंत्री महोदय कल स्वयं इस सूची को सभा-पटल पर रखने को तैयार थे तब अध्यक्ष पीठ से और निदेश प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं है ।

सभापति महोदय : उन्होंने कल जो कुछ कहा था वह उसपर कायम हैं । फिर भी वह अध्यक्ष महोदय से निदेश प्राप्त कर लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की घोषणा का निरुनमोदन करने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी । मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है ।

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने इस सम्बन्ध में पहले सुचना भेजी हुई है। मुझे बताया गया है कि प्रक्रिया नियमावली में कोई विशिष्ट नियम नहीं है । परन्तु वर्ष 1956 और 1959 में अध्यक्ष महोदय ने कुछ विनिर्णय दिया था। उसके परिणामस्वरूप अब यह परम्परा बन गई है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करना चाहिये । राज्य सभा में ऐसी कोई परम्परा नहीं है । हमें भी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : मैंने संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी है और यदि आप को कुछ कहना है तो आप अध्यक्ष महोदय को लिखकर भेज दीजिय ।

उडीसा के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और उडीसा बजट, 1973-74 सामान्य चर्चा, लेखा अनुदानों की मांगें, 1973-74 और अनुदानों की अनुपूरक मांगे, 1972-73

STATUTORY RESOLUTION RE : APPROVAL OF PROCLAMATION IN RELATION TO ORISSA AND ORISSA BUDGET, 1973-74—GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1973-74 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छद 356 के अधीन 3 मार्च, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

[**श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए**
SHRI S. A. KADER *in the Chair*]

महोदय, राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट सभा-पटल पर रख दी गई है जिसमें उन सब परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें उड़ीसा की मुख्य मंत्री श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने त्यागपत्र दिया था मार्च, 1971 में हूए चुनाव का तत्काल परिणाम यह निकला था कि

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। इसीलिये 23 मार्च, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करनी पड़ी थी। कुछ दिन बाद राज्यपाल ने कहा कि यूनाइटिड फ्रंट एसेम्बली नाम से एक दल बनाया गया है और उसे सरकार बनाने का अवसर दिया जाये। राज्यपाल की सिफ़ारिश स्वीकार कर ली गई और 3 अप्रैल 1971 को उद्घोषणा को रद्द कर दिया गया। इस सरकार ने 9 जून 1972 को त्याग पत्र दे दिया और 14 जून, 1972 को श्रीमती नन्दिनी सत्पथी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार बनाई गई थी जिसने 1 मार्च, 1973 को त्यागपत्र दे दिया है। राज्यपाल ने राज्य में कोई स्थायी सरकार न बनाये जा सकने के ब्यौरेवार कारण बताये हैं, अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नये चुनाव करवाना उचित होगा।

9 फरवरी को उड़ीसा विधान सभा का बजट सत्र आरम्भ हुआ और 1 मार्च तक सामान्य रुप से कार्य चलता रहा। परन्तु 1 मार्च को मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया और विधान सभा के सत्रावसान और विघटन की सिफारिश की। राज्यपाल ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया परन्तु उन्होंने मुख्य मंत्री से कहा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वह कार्य करते रहें। उसी दिन उड़ीसा प्रगति विधानमंडल दल के नेता राज्यपाल से मिले और उन्होंने वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में होने का दावा किया। कुछ घण्टे के बाद एक सदस्य ने राज्यपाल को पत्र लिख कर बताया कि उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये गये हैं। शाम को एक और सदस्य ने इसी आशय का एक पत्र राज्यपाल को लिखा। राज्यपाल ने बताया है कि इन दो पत्रों पर विचार करने के बाद उड़ीसा प्रगति विधान मंडल दल के सदस्यों की संख्या 140 सदस्यों के सदन में केवल 70 रह जाती थी। राज्यपाल ने आगे यह भी कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि श्री बीजू पटनायक और उनके समर्थकों का बहुमत स्थाई रूप से बना रहेगा।

अब माननीय सदस्य इन बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करें। संवैधानिक दृष्टि से और कोई विकल्प नहीं था। मुझे विश्वास है कि यह सभा उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करेगी जिनमें उसको जारी किया गया है।

सभापति महोदय : मद संख्या 16, 17, 18 और 19 पर एक-साथ विचार किया जायेगा।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : उड़ीसा में जो नाटकीय राजनीतिक घटनाएं हुई है और इस संदर्भ में वहां के राज्यपाल ने जो कार्यवाही की है वह लोकतंत्र का गला घोटने वाली कार्यवाही है। यह देखा गया है कि राष्ट्रपति ने जिन 33 मामलों में उद्घोषणाएं जारी की हैं उनमें से 28 मामलों में कांग्रेस दल लाभान्वित हुआ है। राज्यपाल के पद पर चुनावों में हारे हुए व्यक्तियों अथवा निराश राजनीतिज्ञों को नियुक्त किया जाता है। हमें पता है कि 140 सदस्यों के सदन मे कांग्रेस दल के 48 सदस्य थे और उन्हें दल-बदलुओं की सहायता से सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया गया था। दलबदलुओं को मंत्री बना दिया गया था। बजट सत्र चल रहा था। विनियोग विधेयक पास करवाया जाना था। विधान सभा में विभिन्न दलों की संख्या का पता लगाया जा सकता था। इस बात का पता लगाने के लिये राज भवन कोई ऊचित स्थान नहीं है।

सभा की बैठक प्रातः 8 बजे होनी थी और इससे आधा घण्टा पूर्व विधान सभा के सत्रावसान की घोषणा कर दी गई। इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल की कोई बैठक भी नहीं हुई। राज्यपाल ने विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या का पता लगाने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। जब श्रीमती नन्दिनी सत्पथी का बहुमत नहीं रहा तब उनको राज्यपाल को परामर्श देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। मणिपुर में राज्यपाल श्री बी० के० नेहरू के आग्रह पर विभिन्न दलों के सदस्यों की संख्या का पता लगाने के लिये विधान सभा की बैठक हो रही है। उड़ीसा के मामले में भी इसी प्रसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती थी। राज्यपाल ने बहुत ही संकीर्ण विचारों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट भेजी है। जिस प्रकार उड़ीसा के विधान सभा का सत्रावसान और विघटन किया गया है उसका उदाहरण पूरे इतिहास कही नहीं मिलता। मैं मांग करता हूं कि राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया जाये और इस देश के राजनितिक जीवन से अलग कर दिया जाये और उड़ीसा में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार बनाई जाये।

श्री दीनेश भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह एक और ऐसी घटना है जिससे पता चलता है कि हमारे देश में लोक तंत्र को खतरा है। यह संविधान सामाजिक संविधान नहीं है। परन्तु इसके अन्तर्गत जो न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार दिये गये है वह भी यह सरकार जनता को नहीं देना चाहती। यह सरकार केवल अपने हितों का ध्यान रखती है। इसी लिये उड़ीसा में श्रीमती नन्दिनी सत्पथी और पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर राय को मुख्य मंत्री बनाया गया है। कांग्रस पार्टी की यह चाल है कि सभी राज्य प्रधान मंत्री के संरक्षण में रहे।

उड़ीसा में सारी घटनाएं एक ही रात में हो गई। जब राज्य सभा के लिये चुनाव हुआ तब मुख्य मंत्री को पता चला कि उसका बहुमत नहीं रहा है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में दलबदलुओं का उल्लेख किया है। मैं श्रीमती इन्दिरा गान्धी पर आरोप लगाता हूं कि दलबदल के लिय वह स्वयं जिम्मेवार है और वह अब भी दलबदलुओं की सहायता से सरकार चला रही है, राज्यपाल कठपुतली की तरह काम कर रहा है। इसी प्रकार के लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है जो यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार की ओर से शासन चला सकें। उड़ीसा के राज्यपाल ने कितनी शर्मनाक रिपोर्ट दी है। यदि उनको लोकतन्त्र का कुछ भी ध्यान था तो वह विधान सभा में इस बात का पता लगा सकते थे कि किस दल का बहुमत है। मुख्य मंत्री ने इस लिये त्याग पत्र दिया था कि उनका बहुत नहीं रहा था। परन्तु राज्यपाल ने विरोधी पक्ष से बिल्कुल नहीं पुछा कि वे सरकार बना सकते है या नहीं। फिर जब सत्र चल रहा था तब इस मामले को सभा के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ? इस मामले पर विधान सभा में चर्चा करने के बाद निर्णय किया जा सकता था। सामान्य संसदीय प्रणाली के अनुसार यही कार्यवाही की जानी चाहिये थी। जब 140 सदस्यों के सदन में 72 सदस्यों ने घोषणा कर दी कि वे मुख्य मंत्री के विरुद्ध है तो क्या राज्यपाल का यह कर्तव्य नहीं था कि वे दूसरे पक्ष को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करते और फिर विधान सभा में पता लगाया जाता कि उस दल का बहुमत है या अल्पमत है ? परन्तु जब सरकार को स्थिति अनुकुल न दिखाई दे तो वे इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती। उड़ीसा के मामले में संविधान का उल्लंघन किया गया है और संसदीय लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। कांग्रेस पार्टी अपने पराजित उम्मीदवारों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर देती है जो उनकी कठपुतली के रुप में कार्य करते है। इस प्रकार नियुक्त किये गये राज्यपाल जनता के हितों का ध्यान नहीं रख पाते।

अतः केन्द्र पर मेरा पहला आरोप यह है कि देश में इस सारी अनुशासनहीनता के लिये वह उत्तरदायी है। सत्तारूढ दल कहीं भी संसदीय प्रजातंत्र को बने रहने देना नहीं चाहता है। उड़ीसा में शीघ्र ही चुनाव कराये जाने चाहिये और वहां लोगों को अपनी सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिये। योजना अथवा बजट की बात करना तो मामूली बात है। सरकार को चाहिये की उड़ीसा विधान सभा के] चुनाव अविलम्ब कराये।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

जो बजट यहां रखा गया है, मैं और मेरा दल इस पर मत नहीं देंगे क्योंकि यहां उड़ीसा का बजट पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वहां यह स्थिति नहीं होती हो वहां के लोग स्वयं यह निर्णय करते कि उन्हें किन-किन प्रयोजनों के लिये कितनी-कितनी राशि खर्च करनी है। यह कार्य श्री कृष्ण चन्द्र पन्त अथवा श्री के० आर० गणेश का नहीं है कि वे इस संसद में इसका निर्णय करें ....

श्री कृष्ण चन्द्रपन्त : परन्तु लोकसभा को इसका निर्णय करना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लोकसभा क्या होती है ? आपका बहुमत है, आप जो चाहेंगे वही करेंगे।

उड़ीसा में ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के बाद अब सरकार यह नहीं कह सकती कि हम प्रजातंत्र के हिमायती है। समूचे देश के सामने खतरे की घंटी बज उठी है। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है, कल वहीं बात अन्य राज्यों में हो सकती है। जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें चाहिये कि श्रीमती गांधी के इस अप्रजातांत्रिक एक-दल शासन का विरोध करे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : भरसक कोशिश कीजिए।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं इस सांविधिक संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल का प्रतिवेदन काफी विस्तृत है। उन्होंने प्रत्येक दल की सदस्य संख्या का उल्लेख किया है और 1971 के चुनावों से लेकर अब तक जो कुछ हुआ उसका भी उल्लेख किया है। जब मुख्य मंत्री ने यह पाया कि उनका बहुमत नहीं रहा है हो उन्होंने राज्यपाल को सलाह दी....... (व्यवधान) कि उन्हें पता लगा है कि कुछ सदस्य उनके दल से निकल रहे हैं और विरोधी दल के सदस्य बनसकते हैं। उन्होंने संवैधानिक कदम उठाया। मुख्य मंत्री की हैसियत से उनको राज्यपाल को सभा का सत्रावसान करने और उसे भंग करने की सलाह देने का हक था और उन्होंने ठीक कदम उठाया। उन्होंने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे दिया। राज्यपाल ने उस समय श्री बीजू पटनायक के समर्थक सदस्यों की गिनती की। श्री पटनायक मंत्रिमंडल बनाने के लिये राज्यपाल के पास पहुंचे परन्तु उन्होंने उन्हें पर्याप्त संख्या में नहीं पाया। राज्यपाल ने प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश की।

श्री पी० के० देव ने कहा कि जून, 1972 में कांग्रेस सरकार दलबदलुओं की सरकार थी परन्तु ऐसी बात नहीं है। उनका दल कांग्रेस के साथ मिलना चाहता था।

अब वे 25 विधायकों, से सरकार बनाना चाहते हैं तो राज्यपाल ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति न देने में औचित्य का परिचय दिया है।

विरोधी दल के सदस्यों की मैं इस भावना को समझता हूं कि वहां शीघ्र ही चुनाव कराये जाने चाहिये। परन्तु यह काम तो निर्वाचन आयोग का है।

बजट के बारे में मेरा यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को चाहिये कि उनका बजट अपने समय की सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों का परिचय दे परन्तु दुर्भाग्यवश उसमें ऐसा नहीं है, जिसका एक कारण यह हो सकता है कि 1971 में विरोधी पक्ष ने सरकारी बजट तैयार किया था। अब जब उड़ीसा में राष्ट्रपति का शासन है तो हमें देखना कि हमारे कार्यक्रम क्रियान्वित हो।

उड़ीसा पूर्णरूपेण कृषि प्रधान राज्य है। वहां की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि अर्थव्यवस्था है और कृषि के लिये बहुत थोड़ी व्यवस्था की गई है। लघु सिंचाई को व्यावहारिक रूप से टाल दिया गया है। सीमांत और छोटे किसानों, आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लोगों को लघु सिंचाई से ही लाभ होगा। इस समय उड़ीसा में भूमि की अधिकतम सीमा विधेयक को लागू किया जाता है। अब वहां राष्ट्रपति का शासन है और उस विधेयक को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा कानूनी रूप दिया जाना है। संयुक्त खेती को प्रोत्साहित करने का अवसर आ गया है। बची हुई भूमि भूमिहीनों में वितरित की जानी चाहिये।

राज्य में उद्योगों के विकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। औद्योगिक विकास निगम को दिये गये आशय-पत्रों को लाइसेंसों में परिवर्तित नहीं किया गया है।

प्रजातंत्र में प्राथमिक शिक्षा अत्यावश्यक है परन्तु चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

ऐसा लगता है कि बजट जल्दबाजी में तैयार किया गया है और बजट सम्बन्धी कागज़ों में विस्तृत ब्यौरा नहीं है।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki): I rise to support the General Budget (Orissa) and the Demands.

The Congress Party has all along been the defender of democratic values and traditions in the Country. To charge the Congress that it has encouraged defection is absolutely wrong.

The recommendation made by the Chief Minister of Orissa to the Governor to dissolve the Orissa State Assembly was based on democratic principles. The step taken by the Chief Minister under the circumstances in the State was the only democratic and constitutional alternative possible. We think that the recommendation made by the Governor for the Presidential Rule is a right step.

It is our sad experience that coalition Governments have not proved successful in different States. They have failed in delivering the goods. During their time, corruption was rampant and that has hit the democratic values. Under such circumstances, the action of the Governor is correct. When the Chief Minister of Orissa made efforts to bring about land reforms, remove socio-economic disparities, the corrupt leaders wanted to oppose her.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य के मुंह से उड़ीसा में प्रजातंत्र को बचाने की बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ।

ये स्वतंत्र पार्टी के लोग, जो भूतपूर्व महाराजाओं का गुट है, निहित स्वार्थों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, जन साधारण के हितों की नहीं।

श्री जगन्नाथ राव ने पहले ही बता दिया है कि उत्कल कांग्रेस के उन सदस्यों ने दल-बदल नहीं किया जो कांग्रेस में आये।

उड़ीसा में राज्यपाल ने संवैधानिक कदम उठाये हैं जो उचित हैं।

[श्री अर्जुन सेठी]

राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रधान ही नहीं होता है अपितु वह जनता के हितों का संरक्षक भी होता है ।

इस बजट को प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में कमी का एक भाग राज्य द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटा कर पूरा किये जाने की संभावना है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के लिये दो मिनट का समय मिलेगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 मार्च, 1973/2 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the March 23, 1973/Chaitra 2, 1895 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि7—4 लोक सभा/73—23-6-73—490.